द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १८
१० दिसम्बर, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (बिदेश में)

296 (Ai) LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३—अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . — १०५५–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ — १०७८–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . — १०८०–११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . — ११०४–४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . — ११४९–५१/
खण्ड २, ३ और ३-क . — ११५१–८०

कार्य मंत्रणा समिति—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . — ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में — ११८१

दैनिक संक्षेपिका — ११८२–८८/

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . — ११८९–१२१२/

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ — १२१२–२५/

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ — १२२५–६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . — १२२५/

स्थगन प्रस्ताव . . . १२६७–६८

गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता . १२६७–६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२६८–६९

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १२७०–८५

खण्ड ४ और अनुसूची १२७५–८०

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८२–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ १३१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९ १३३६–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४ १३५८–९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३९३–९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन १३९४

समिति के लिए निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति १३९४–९५

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १३९५–१४०२

खण्डों और अनुसूची पर विचार . १३९५–९९

संशोधित रूप में पारित करने का विचार १३९९–१४०२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १४०२–१५

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव १४१५–२८

चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा १४२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ . १४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ १४६४--७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९६५ और ९६७ १४७४--१५०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०९--११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११-१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२--४६

दैदिक संक्षेपिका १५४७--५८

अंक १५--शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०९, ६११ से ६१७, ६१९, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५--७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . १५७९--९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३९ १५९५--१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४-२५

राज्य सभा सें संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान लिलाना--

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६--३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३--४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४०--४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४३--४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७--६७

	पृष्ठ
देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प	१६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . .	१६७३–७९

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२	१६८१–१७०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३	१७०६–२८
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से १११५	१७२८–६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६१–६२
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	१७६२
लोक लेखा समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	१७६२
१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	१७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा	१७६३–६४
विधेयक पुर:स्थापित .	१७६४–६५
(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	
(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	
(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१७६५–१८०१
दैनिक संक्षेपिका .	१८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ .	१८०९–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१८३२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ .	१८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ से ११६७ . १८४८—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८—१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४—०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६—२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं`े की चर्चा . १६२५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८—३४

अंक—१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६—२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २०१८—२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८—३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २०५४—६१

अंक--१९, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८९ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२९९ और १३०१ से १३४२ २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२९

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य २१२९-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७ २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९५, ८९९, ९०१, ९०२, ९०४, ९२६, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ८९८, ९००, ९०३, ९०७, ९०९ से ९२५ और ९२७ से ९३३ . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . . . २२९३—९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . . २२९४—९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक——

परिचालित करन का प्रस्ताव . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मानव अधिकार दिवस का दसवां वार्षिक अधिवेशन

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय प्रधान मंत्री एवं सभासदो! संयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकृति का आज दसवां वार्षिक अधिवेशन है। यह सर्वथा उचित है कि लोक-सभा का सामान्य कार्य आरम्भ करने के पूर्व हम आज उस ऐतिहासिक घोषणा का स्मरण करें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा १० दिसम्बर, १९४८ को सर्वसम्मति से स्वीकार की गई थी।

इस घटना को आज दस वर्ष बीत चुके हैं। हमें दुर्भाग्यवश यह कहना पड़ता है कि विश्व के कुछ भागों ने इस 'घोषणा' को पूर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं किया है और कु ऐसे भी देश हैं जिन्होंने 'घोषणा' में अन्तर्निहित सिद्धान्तों की उपेक्षा की है।

यदि इस 'घोषणा' को पूर्ण रूप से स्वीकार एवं उसका अनुकरण किया जाये तो संसार की अनेक विपदाएं दूर हो जायेंगी।

यह सर्वथा उचित और सुसंगत है कि हम उस अवसर पर उस महिमावान 'घोषणा' पर विचार कर उसे निष्ठापूर्वक पालन करने का व्रत धारण करें।

(तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने 'घोषणा' की प्रस्तावना और उसके प्रथम दो अनुच्छेद पढ़े।)

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

१५ करोड़ डालर का अमरीकी ऋण

+

†*७७६. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८ के उत्तर के **सम्बन्ध** में लोक-सभा के पटल पर निम्न जानकारी बताने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक द्वारा स्वीकृत १५ क ोड़ डालर ऋण में से नियत रकम के बारे में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की वैयक्तिक परियोजनाओं के लिये विस्तृत ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) अभी तक ऋण की कितनी रकम प्रयुक्त की गई है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]**

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या विवरण में उल्लिखित छः उद्योगों में से किसी उद्योग को ऋण निधि आ टित करने के लिये कोई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है यह सब पहले से ही है और समय-समय पर मंजूरी दी जा रही है तथा लाइसेंस प्रदान किये जा रहे हैं।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** इस निर्यात-आयात बैंक समझौते के अधीन ऋण के लिये सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार कब तक इन आवेदनों पर विचार कर रकम आवंटित करने का निर्णय करेगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** प्रत्येक उद्योग से प्राप्त आवेदनों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है, किन्तु हम आशा करते हैं कि अगले १२ महीने या उसके आस पास उद्योगों की ओर से सब आर्डर दे दिये जायेंगे।

†**श्री दासप्पा :** जिन उद्योगों को यह रकम आवंटित करने की आशा है क्या वह उद्योगों से पृथक हैं जो विकास ऋण निधि से रकम प्राप्त करेंगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** जी नहीं, इन उद्योगों में कोई अन्तर नहीं है। एक ओर १५ करोड़ डालर हैं और दूसरी ओर ७.५ करोड़ डालर हैं कुल मिलाकर यह रकम २२.५ करोड़ डालर हुई।

†**श्री दासप्पा :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस निधि से अभी तक रकम नहीं ली गई है क्या कोई ऐसा समय निर्धारित है जब तक हम इस ऋण से लाभ उठा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हम आशा करते हैं कि अगले बारह महीने में आर्डर दे दिये जायेंगे। उस बैंक से वितरण के लिये हमने पहले ही कुछ दावे भेज दिये हैं।

†**श्री रामी रेड्डी :** प्रत्येक राज्य से प्राप्त आवेदन पत्रों की कितनी संख्या है?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हमारे पास यह जानकारी नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** गत अवसर पर हमें बताया गया था कि इस ऋण में से ५० करोड़ रुपये सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये नियत किये गये हैं और २१ करोड़ रुपये गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये निर्धारित हैं। हमें बताया गया है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये २५ करोड़ रुपये निर्धारित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के आवंटन में क्यों वृद्धि की गई है?

†**डा बे० गोपालरेड्डी :** यह मिली जुली रकम नहीं है इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है और हम आवंटित राशि पर भी विचार करते रहते हैं।

†**श्री नागी रेड्डी :** जब द्वितीय पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के लिये हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं तो विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को इस ऋण का वितरण करने के पश्चात् इस बात पर भी ध्यान दिया जायेगा कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** निस्संदेह ही इन सब पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और योजना आयोग लाइसेंस जारी करने के पहले विचार करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** २५ करोड़ रुपये की निर्धारित रकम से पृथक क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अध्यक्ष श्री गार्नर ने इस देश में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में कुछ करोड़ डालर पूंजी विनियोग करने का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो यह प्रस्तावित रकम कितनी है?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मेरे पास इस समय वह जानकारी नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री ने उस प्रश्न के उत्तर में, कि क्या कोई प्राथमिकता निर्धारित की गयी है, नकारात्मक जवाब दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मशीन-उपकरण आदि के उद्योगों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मशीन-उपकरण तो पहले ही उसमें सम्मिलित हैं।

†**श्री तंगामणि :** यह एक अत्यावश्यक उद्योग है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मशीनरी को प्राथमिकता दी जायेगी?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** प्राथमिकता देने का निर्णय तो योजना आयोग और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

†**श्री दासप्पा :** क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा चलायी गयी ऐसी बहुत-सी परियोजनायें हैं जिन्हें इस ऋण के अधीन सहायता की आवश्यकता है? यदि हां, तो सरकार ने उनके लिये अभी तक मन्जूरी क्यों नहीं दी है? क्या यह भी सच है कि सीमेन्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग भी उन उद्योगों में से एक है जिनके लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : सीमेन्ट उद्योग उन परियोजनाओं में सम्मिलित नहीं की जा सकी है। उन पर कुछ अधिक देर भी नहीं लगी है। परन्तु मंजूरी देने और लाइसेंस जारी करने में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अमेरिका स्थित सम्बन्धित उद्योगों से पहले बातचीत करनी पड़ती है ?

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या धन वितरित करते समय अल्पविकसित राज्यों के आवेदन-कर्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी, क्योंकि कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनमें कोई भी उद्योग नहीं चल रहा है जैसे कि आन्ध्र प्रदेश ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं नहीं समझता कि उसमें अल्पविकसित राज्यों अथवा विकसित राज्यों का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोयले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है और सभा-पटल पर रखे गये इस विवरण को भी ध्यान में रखते हुए कि कोयले के लिये अभी तक इस बैंक से जरा भी ऋण नहीं प्राप्त किया गया है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न करेगी कि कोयले के लिये शीघ्रातिशीघ्र सहायता प्राप्त हो सके ताकि योजना के सभी लक्ष्यों को पूरा किया जा सके ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : वे स्वयं ही कोई सहायता नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कोई आवेदन पत्र नहीं भेजा है।

†**श्री नागी रेड्डी** : परन्तु सरकारी क्षेत्र के कोयले के लिये तो ऋण मांगा जा सकता है।

प्रादेशिक सेना

†*७७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ एक गैर-सरकारी कम्पनियां और सरकार के स्वायत्तशासी निकाय अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना के शहरी तथा प्रांतीय यूनिटों में शामिल होने के लिये निरुत्साहित कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत नहीं आई है कि किसी विशिष्ट स्वायत्तशासी निकाय अथवा किसी विशिष्ट गैर-सरकारी कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में शामिल होने से निरुत्साहित किया है। पर हां सामान्य रूप से एक या दो शिकायतें प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में ·

हुई हैं कि गैर-सरकारी कम्पनियों के कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में भर्ती कराने की दिशा में कोई विशेष रुचि नहीं ली है। जब कि दूसरी ओर कुछ एक संगठित औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं ने विशेष रूप से इस दिशा में अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया है, और उन कर्मचारियों को कुछ रियायतें भी दी हैं जो कि प्रादेशिक सेवा में भर्ती हो चुके हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में यह बताया गया है कि कुछ एक संगठित औद्योगिक तथा वाणिज्यक संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया है और ऐसे कर्मचारियों को विशेष रियायतें भी दी हैं जो कि प्रादेशिक सेना में भर्ती हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें किस-किस प्रकार की रियायतें दी गयी हैं ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** निम्नलिखित रियायतें दी गयी हैं :—

(क) बम्बई मिल मालिक संस्था के अतिरिक्त अन्य कम्पनियां अपने कर्मचारियों को, जिन दिनों वे वार्षिक कैम्प में जाते हैं, सैनिक वेतन के अतिरिक्त उनके वेतन और भत्तों सहित १४ दिन तक की विशेष छुट्टी दी जाती है;

(ख) प्रादेशिक सेवा में भर्ती कर्मचारियों को प्रशिक्षण की अवधि के लिये सैनिक और असैनिक वेतनों का अन्तर अदा किया जाता है ;

(ग) उनके अतिरिक्त हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा दिये जाने वाले अधिकतम २४० घंटों का प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रत्येक कर्मचारी को ५० रुपये तक का अभ्युपकार दिया जाता है। बाटा शू कम्पनी लिमिटेड ने अपने प्रत्येक कर्मचारी को, जो प्रादेशिक सेना में भर्ती है, शिक्षण पूरा कर लेने पर बोनस के रूप में १०० प्रति वर्ष अदा करने का प्रस्ताव किया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** दिये जाने वाले इन प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समय तक प्रादेशिक सेना में कुल कितनी भर्ती हो चुकी है ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** यह बताना लोकहित में नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में बताया गया है कि बहुत सी प्राइवेट कम्पनियां इस सम्बन्ध में पूरी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि वे पूरी दिलचस्पी लें ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** हम तो उनसे केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन दें।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि बम्बई नगर और बम्बई राज्य में प्रादेशिक सेना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ एक व्यक्तियों को गोली चलाने के लिये आदेश दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम तो मूल प्रश्न से दूर जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

परीक्षा प्रणाली

†*७७८. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृति संघ की दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया की शिक्षा सुधार सम्बन्धी प्रादेशिक गोष्ठी ने, जिसकी दिल्ली में बैठक हुई थी, यह सिफारिश की थी कि भारत तथा इस प्रदेश के अन्य देशों में परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

गोष्ठी ने तो सामान्य रूप से यह सिफारिश की थी कि परीक्षा प्रणाली को ऐसा रूप दिया जाये जिससे वह विद्यार्थियों की केवल मात्र शिक्षा सम्बन्धी परीक्षा तक ही सीमित न रह जाये, अपितु उससे विद्यार्थी के वास्तविक शिक्षात्मक विकास और उन्नति की परीक्षा की जा सके। गोष्ठी के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट यूनेस्को के सचिवालय द्वारा तैयार की जा रही है और तैयार हो जाने पर उसकी प्रतियां सभी सदस्य देशों को भेज दी जायेंगी। भारत सरकार को पहले से ही भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के प्रश्न के पक्ष में है और इस समय उस प्रश्न पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग विचार कर रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि अमेरिका की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिये यहां से शिक्षा शास्त्रियों का एक दल वहां भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उस दल ने सरकार को कोई प्रतिवदन प्रस्तुत किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां, दल ने अपना काम भी प्रारम्भ कर दिया है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के प्रश्न पर परामर्श देने के लिये चार अमेरिकन विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे उन चार विशेषज्ञों के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है। पर हां एक विशेषज्ञ तो आया था।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या भारत के किसी भी स्कूल में परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** अलीगढ़ विश्वविद्यालय इस प्रकार के कुछ प्रयोग कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में यह बताया गया है कि यूनेस्को गोष्ठी की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षा प्रणाली के सुधार के प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और परिषद् गोष्ठी की सिफारिशों से अलग रह कर अपनी ओर से कार्य करेंगी या कि गोष्ठी की सिफारिशों के प्रकाश में कार्य करेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : गोष्ठी की सिफारिशों से पहले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् गोष्ठी इस सम्बन्ध में अलग रूप से विचार कर रही है। वास्तव में हमारे अनुदान आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद् और अन्य आयोग परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिये पहले ही सिफारिशें दे चुके हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों में से किसी सिफारिश को भारत के किसी विश्व-विद्यालय या स्कूल ने स्वीकार भी किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कई विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में सुधार करना प्रारम्भ कर दिया है। मैंने पहले भी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस सम्बन्ध में सभा को सूचित किया था और उन उन विश्वविद्यालयों के नाम भी बताये थे जहां इस प्रकार का सुधार किया जा रहा है। परन्तु वह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

†**श्री जगदीश अवस्थी** : क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उस सेमिनार की रिपोर्ट में भारतीय परीक्षा पद्धिति के किस प्रकार के दोषों को बताया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यूनेस्को की उस गोष्ठी ने किसी भी देश की परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया है। उसने तो परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में सामान्य रूप से प्रकाश डाला है।

श्री ब्रजराज सिंह : हिन्दी में बोलिए।

श्री नाथ पाई : हिन्दी में उत्तर देने का प्रयत्न करें।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कृप्या हिन्दी में उत्तर देने का कष्ट करें।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सेमिनार हुआ.....

श्री त्यागी : सेमिनार को महफल कहते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : गोष्ठी।

डा० का० ला० श्रीमाली : .....यह जो गोष्ठी हुई, उस का खास मकसद यह था कि साउथ ईस्ट इशियन मुल्कों की शिक्षा पद्धति के बारे में विचार करें और उस ने किसी भी देश की शिक्षा-पद्धति के बारे में विशेष रूप से विचार नहीं किया और ध्यान नहीं दिया। उस गोष्ठी ने भारतीय शिक्षा-पद्धति पर कोई खास तरह से विचार नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ७७६ ।

†**श्री हेम बरूआ** : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ८०७ को भी साथ ही ले लिया जाये क्योंकि दोनों के विषय एक समान हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां । उसे भी ले लिया जाये ।

पंचम अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

†*७७६. **श्री संगण्णा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सम्पत :
श्री अंसार हरवानी :
श्री मधुसूदन राव
श्री पाणिग्रही :
श्री वाजपेयी :
श्री ऊ० ल० पाटिल :
श्री हेम बरूआ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) नई दिल्ली में हुए पंचम अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ख) कैम्प में पौष्टिक भोजन के संभरण तथा वहां की स्वच्छता के सम्बन्ध में क्या क्या सावधानी की कार्यवाहियां की गयीं थीं ;

(ग) उस समारोह में किन किन विश्वविद्यालयों ने भाग नहीं लिया था और उसके क्या कारण थे ; और

(घ) क्या यह सच है कि उस समारोह को देखने के लिये सामान्य जनता को केवल आखिरी दिन टिकट जारी किये गये थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३ लाख रुपये मंजूर किये गये थे; परन्तु अभी तक हिसाब तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(घ) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

+

†*८०७. { **श्री हेम बरूआ :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक आयोजित किये अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) क्या उनसे कोई निष्कर्ष निकला है ;

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार के समारोह विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, परन्तु मंत्रालय को इस बात का संतोष है कि युवक समारोहों से पर्याप्त लाभ हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आये हैं कि स्थान को हर साल बदल दिया जाये। उन सुझावों पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

†**श्री संगण्णा :** क्या उन समारोहों के लिये कोई नियम और विनियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनकी एक प्रति संभा-पटल पर रखी जायेगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां। वैसा कर दिया जायेगा।

†**श्री हेम बरूआ :** इस युवक समारोहों पर लगाये उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए कि वे.....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को सीधे ही अपना प्रश्न पूछना चाहिये। मैं प्रश्नकाल में इस प्रकार की अभ्युक्तियां (रिमार्क्स) करने की अनुमति नहीं दे सकता। ऐसी बातें वादविवाद के समय तो कही जा सकती हैं, परन्तु प्रश्न काल में नहीं। प्रश्न सीधा होना चाहिये।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि युवक समारोह पर यह आरोप लगाया जाता है कि.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रकार की अभ्युक्तियों की अनुमति नहीं दे सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास प्रश्न पूछने को कोई सीधा प्रश्न है ही नहीं। श्री वासुदेवन नायर।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या विभिन्न राज्यों से विद्यार्थियों के दलों का चुनाव करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि मैं इस सम्बन्ध में निश्चित नियम सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को ज्ञात है कि युवक समारोह के सम्बन्ध में यह आलोचना की जा रही है कि कुछ एक संगीतों का प्रस्तुत करने का ढंग बड़ा ही खराब था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह सच नहीं है। यह आरोप सच नहीं है। विद्यार्थियों के कार्यक्रमों का परीक्षा करने के लिये हमने बड़े प्रसिद्ध कलाकारों को नियुक्त किया था और उन्होंने उनके कार्यक्रमों की बड़ी प्रशंसा की है।

श्री इ० मधुसूदन राव : चार बार यूथ फैस्टिवल इधर उत्तर भारत में हो चुका है। इसको अगर दक्षिण में मनाया जाए तो इससे वहां के लोगों को पार्टिसिपेट करने में सुविधा होगी, क्या इस पर विचार किया गया है या वहां मनाने का प्रयत्न किया जाएगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने इस बार यह निश्चय किया है कि अगर भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों में यूथ फैस्टिवल हो सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी और इसका प्रयत्न किया जाएगा।

श्री इ० मधुसूदन राव : दक्षिण भारत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि वहां पर यूथ फैस्टिवल मनाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी किसी जगह को ढूंढ कर यूथ फैस्टिवल मनाया गया तो दक्षिण वालों के लिए बड़ा मफ़ीद होगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यदि दक्षिण में इसको मनाया जा सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

†**श्री तिरुमालराव :** क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा कही गई इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि हमारे देश के नवयुवक उन खेल तमाशों की ओर अधिक प्रवृत्त हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके अध्ययन पर बुरा असर पड़ रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समाचार पत्रों में मैंने भी इस प्रकार की रिपोर्ट देखी है। परन्तु मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस युवक समारोह की ओर इशारा करते हुए यह बात कही है, क्योंकि वे स्वयं समारोह में आये थे और उन्होंने इस प्रकार के समारोह की सराहना की थी।

†**श्री अंसार हरवानी :** क्या भोजन की व्यवस्था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ एक विथार्थियों को बीमार होना पड़ा, किसी ठेकेदार द्वारा की गयी थी अथवा स्वयं मंत्रालय द्वारा की गयी थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया है जिसमें भोजन व्यवस्था सम्बन्धी किये गये कार्यों के सभी ब्यौरे दिये गये हैं। मेडिकल आफिसर ने सभी वस्तुओं का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया था। उस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत नहीं आयी है।

†**श्री खाडिलकर :** क्योंकि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, इसलिये इस बात का भय है कि विद्यार्थी कहीं अपने वास्तविक अध्ययन में पिछड़ न जायें, क्योंकि विद्यार्थी आगामी वर्ष के समारोह के लिये सारा वर्ष तैयारी करते रहते हैं। क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न पड़े ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं यह कभी भी सहन नहीं कर सकता कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा पड़े। परन्तु सामान्य रूप से यह अनुभव किया जाता है कि यदि विद्यार्थियों को आपस में मिलने का और कुछ दिन सहयोग से जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले तो उससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। और यह वास्तव में बड़ा भारी लाभ है।

†**श्री सम्पत** : कुछ एक विश्वविद्यालयों ने यह अभ्यावेदन किया है कि यह समारोह दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी आयोजित किया जाये; इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दे दिया है। इस सम्बन्ध में कई आये हैं और यदि वैसा कर दिया जाये तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच नहीं है कि इस युवक समारोह पर लगाये गये अधिकतर आक्षेप इस समारोह में भाग लेने वाले हमारे युवकों के चरित्र के सम्बन्ध में हैं ? क्या सरकार उन आरोपों का खण्डन करने का प्रयत्न करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे उन आरोपों के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है। परन्तु सरकार उनका खण्डन नहीं करना चाहती क्योंकि हमें उनके बारे में ज्ञान ही नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर : मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अखबारों की उस आलोचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि इस यूथ फैस्टिवल के लिए जो टिकटें बेची गई थीं उनका ठीक तरह से विक्रय नहीं किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि आगे के लिए इसका ध्यान रखा जाएगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, इसका बराबर ध्यान रखा जाता है और आइन्दा भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि इस फैस्टिवल के खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाये गये हैं वे ज्यादातर हिन्दुस्तान की एक खास राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगाये गये हैं, क्या यह बात ठीक है ? ये एलिगेशंस कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगाये गये हैं।

डा० का० ला० श्रीमाली : यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस फैस्टिवल को किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित न किया जाए। यह यूनिवर्सिटीस के लड़कों का फैस्टिवल होता है, इनको यूनिवर्सिटीस भेजती हैं और इससे किसी राजनीतिक दल का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : एलिगैशंस जो लगाये गये हैं, वे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ज्यादातर लगाये गये हैं, क्या यह ठीक है ?

†**श्री वी० चं० शर्मा** : पांच विश्वविद्यालयों ने उसमें भाग नहीं लिया था। उनके भाग न लेने के क्या कारण हैं ? एक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तो मुझे ज्ञान है, परन्तु शेष चार अर्थात् मद्रास, मैसूर, विश्वभारती और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों के कारणों के सम्बन्ध में मुझे ज्ञान नहीं है। क्या आगामी वर्ष तक वे कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जिनके कारण वे विश्वविद्यालय समारोह में शामिल नहीं हो सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस सम्बन्ध में ध्यान रखा जायेगा। परन्तु हर वर्ष एक या दो विश्वविद्यालय रह ही जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुम नाम शिकायतें

†७८०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध गुम नाम तथा गलत नामों से आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अपना रुख बदल दिया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें दी गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : इस सम्बन्ध में शिकायतें गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ४०/४/५१–३९ एस्टेब्लिशमेंट दिनांक १२ जुलाई में निहित हैं जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१**] जैसा कि उसमें बताया गया है, केवल उसी अवस्था में कार्यवाही की जाती है जब ऐसा विश्वास हो जाये कि उन शिकायतों में कोई सार है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि इस प्रकार के गुमनाम तथा गलत नामों से आने वाले पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, और बहुत सी शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करनी प्रारम्भ कर दी गयी है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सतर्कता विभाग (विजीलेंस डिवीजन) ने भी इस प्रकार की शिकायतों की जांच करनी प्रारम्भ कर दी है। परन्तु यह जांच केवल उन्हीं मामलों में की जाती है जिनमें कि शिकायतों में ऐसे तथ्य व आंकड़े दिये हों जिनसे प्रत्यक्षतः यह आभास मिलता हो कि यह जानकारी विश्वास करने योग्य है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : गलत नामों से आने वाली कितनी शिकायतों के बारे में इस वर्ष जांच प्रारम्भ की गयी है और उनमें से कितनी शिकायतों की जांच का परिणाम सफल सिद्ध हुआ है ?

†**पंडित गो०ब० पन्त** : मैं इतनी ब्यौरेवार जानकारी नहीं दे सकता। परन्तु विजीलेंस डायरेक्टरेट ने १९५७ की रिपोर्ट में इस प्रकार की पर्याप्त जानकारी दी है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार**: जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई गुमनाम या ग़लत नाम शिकायत आती है तो सबसे पहले क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : साधारणतः यदि शिकायत में कोई ब्यौरा नहीं दिया होता तो उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। परन्तु यदि उसमें कोई सार भूत बात बतायी गयी हो तो उस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् अभी बतलाया गया कि गुमनाम शिकायती पत्रों पर कार्यवाही तब होती है जब उनकी शिकायतें सब्सटैन्शियल नेचर की हों, तो मैं सब्सटैन्शियल नेचर की परिभाषा जानना चाहता हूं ?

पंडित गो० ब० पन्त : मैंने सब्सटैन्शियल नेचर तो नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि जब उनमें कोई खुलासा या तफसील ऐसी हो जिससे कि बात शायद सही हो सकती हो, तब उन पर अमल किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : किसी भी गुमनाम शिकायत पर कार्यवाही १९३९ में जारी किये गये किसी निदेश पर आधारित है । क्या सरकार अब ऐसे निदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी कि इन गुमनाम शिकायतों पर सामान्यतया कोई भी कार्यवाही न की जाये ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : वे निदेश १९३९ में नहीं अपितु १९५१ में जारी किये गये थे और उस के उपरान्त की स्थिति मैंने पहले ही बता दी है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार ने कोई ऐसा संगठन स्थापित करने का विचार किया है जिसको इस प्रकार की सभी शिकायतें भेजी जा सकें और उन शिकायतों को गुमनाम रखा जाये ?

†**पंडित गो०ब० पन्त** : जी, हां । इस काम के लिये सतर्कता विभाग (विजीलेंस डिवीजन) तथा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट) है । यदि लोग कोई शिकायत भेजेंगे तो हम उन शिकायतों को पूर्णरूपेण गुप्त रखेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या इस बात की भी कोशिश की जाती है कि सम्मानित पदाधिकारियों के खिलाफ अपमानोस्पद आरोप लगाने वाली शिकायतों के भेजने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाये ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सदा नहीं ।

इस्पात का उत्पादन

†*७८१. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में देश में इस्पात का कुल लगभग कितना उत्पादन हो जायेगा; और

(ख) इस अवधि में देश कितने इस्पात का निर्यात कर सकेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** :(क) सभवतः माननीय सदस्य उत्पादन की क्षमता के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं । उसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में २२ लाख टन प्रतिवर्ष और गैर-सरकारी क्षेत्र में २३ लाख टन प्रतिवर्ष होगा । फिर भी वास्तविक उत्पादन में कुछ अन्तर पड़ सकता है ।

(ख) आशा है कि सम्पूर्ण इस्पात के उत्पादन को इस देश में इस्तेमाल किया जा सकेगा । परन्तु हो सकता है कि उसकी कुछ एक किस्में फालतू भी बच जायें । इसलिये इस समय यह बताना कठिन है कि हम कितने इस्पात का निर्यात कर सकेंगे ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच है कि थोड़ी सी वृद्धि से ही रूरकेला कारखाने की उत्पादन क्षमता में भिलाई और दुर्गापुर कारखानों से कहीं अधिक वृद्धि की जा सकती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह बात ठीक है । उत्पादन क्षमता बढ़ाकर १६ लाख टन की जा सकती है ।

†**श्री मुरारका** : द्वितीय योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में वास्तव में कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** अभी से उसका अनुमान लगाना सहज नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : वार्षिक उत्पादन पंचवर्षीय योजना में निश्चित किये गये लक्ष्य के बराबर होगा या उससे कम होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमें आशा तो यही है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में लोहे और इस्पात का उत्पादन बढ़ाने का कुछ प्रयास किया जाता है और यदि हां, तो कितना ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां । उनका लक्ष्य तो यह है कि उत्पादन १ लाख टन कर लिया जाय, जब कि योजना-अवधि के आरम्भ में वह प्रतिवर्ष ३०,००० टन का उत्पादन कर रहे थे ।

†**श्री खाडिलकर** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के चेयरमैन श्री बीरेन मुकर्जी के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है कि इन सब कारखानों के फलस्वरूप इस देश में लोहे और इस्पात की बहुतायत हो जाने की संभावना है और इनके निर्यात के लिये बाजार नहीं मिलेगा ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने यह खबर पढ़ी थी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच है कि रूरकेला में तो अधिकतम मोटाई और लम्बाई वाली इस्पात की प्लेटें बनाना संभव है लेकिन अन्य दोनों कारखानों में यह संभव नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अन्य दोनों कारखाने चपटी चीजें बनाने के लिये नहीं हैं जब कि रूरकेला कारखाना प्राथमिक रूप से चपटी वस्तुयें बनाने के लिये है ।

†**श्री जाधव** : कितना कच्चा लोहा उपलब्ध होता है और उसमें से कितने का विदेशी मुद्रायें कमाने के लिये निर्यात कर दिया जाता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य कच्चे लोहे के संबंध में पूछ रहे हैं । अभी उस दिन ही इसके बारे में काफी लम्बे चौड़े प्रश्न पूछे गये थे ।

†**श्री विमल घोष**: क्या मंत्री महोदय के उत्तर का अर्थ यह है कि जब तक देश की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो जाती, बिल्कुल भी इस्पात के निर्यात की अनुमति नहीं दी जायगी ? क्या सरकार की नीति यही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मोटे तौर पर यही नीति है क्यों कि वास्तव में हमारी आन्तरिक आवश्यकताओं को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिये । लेकिन हमारे देश की आन्तरिक आवश्यकता क्या होगी यह योजना बनाने पर निर्भर है और यह योजना इस पर आधारित होगी कि हम अपने देश का जैसा औद्योगिक विकास करना चाहते ह उसका नमूना क्या होगा । हमारी आवश्यकता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने देश का औद्योगिक ढांचा कैसा रखना चाहते हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि यकुम अक्तूबर को जालन्धर में आनरेबुल वज़ीर महकमा स्टील, माइंस एंड फ्यूल ने यह फ़रमाया था कि हम इस साल इस क़ाबिल हो जायेंगे कि लोहे की तादाद दुगनी हो जाय और इस क़दर ज्यादा हो जाय कि हम बाहर के मुल्कों को भी सप्लाई कर सकेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दौरान ऐसे क्या वाक़यात पेश आये कि यह काम आखिर को नहीं पहुंच सका ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे ठीक से तो याद नहीं कि कौन सी तक़रीर के मुताल्लिक़ मेरे लायक़ दोस्त हवाला दे रहे हैं मगर यह ठीक है कि पिग आयरन के मुताल्लिक़ अब हम इस पोज़ीशन में हैं कि हम अपने देश से इसको बाहर भेज सकें और मेरा ख्याल है कि उसी पिग आयरन के मुताल्लिक़ ही मैं ने वहां भी कहा होगा। अगर किसी उर्दू प्रेस में ऐसा न छप कर ग़लत छप गया हो तो अगर माननीय मेम्बर उसे मेरे नोटिस में लायेंगे तो में उसको देख लूंगा।

†**श्री अ० मु० तारिक :** वह समाचार पत्र 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिनांक १ अक्तूबर, १९५८ था .....

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** तब तो अवश्य ही पिग आयरन होगा क्योंकि मैं समझता हूं कि अंग्रेजी के समाचार मेरे वक्तव्य के बारे में कभी गलती नहीं कर सकते .....

†**एक माननीय सदस्य :** केवल उर्दू के पत्र ही ग़लती कर सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह इसलिये क्योंकि संभव है कि उर्दू के पत्र में पिग आयरन का अनुवाद करते समय इस्पात लिख दिया गया हो।

†**श्री मुरारका :** क्या माननीय मंत्री द्वारा दिये गये पहले उत्तर से यह समझा जाये कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त में सरकारी क्षेत्र में इस्पात का वास्तव में कितना उत्पादन किया जा सकेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हमने प्राक्कलन तैयार किया है। हमें आशा है कि विकसित की गयी क्षमता वास्तव में इस्पात उत्पादन के लिये इस्तेमाल की जा सकेगी। परन्तु क्योंकि इसमें हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये यह अनुमान लगाना बड़ा अनुचित होगा कि वास्तविक उत्पादन देश की अधिक से अधिक क्षमता के अनुसार होगा।

†**श्री मुरारका :** प्राक्कलन क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** प्राक्कलन उस क्षमता के अनुसार है जिनका उल्लेख उत्तर में कर दिया गया है।

†**श्री कमलनयन बजाज :** क्या कोई ऐसी योजना है जिससे उत्पादित इस्पात में से बचा हुआ इस्पात देश के राजकीय सहायता प्राप्त उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि देश के उद्योगों का मानी रूप कैसा होगा।

कानपुर में उच्चतर औद्योकि संस्था

†*७८२. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री स० म० बनर्जी
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री जगदीश अवस्थी : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में स्थापित की जाने वाली उच्चतर औद्योगिकीय संस्था के लिये भूमि प्राप्त कर ली गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ कर देने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ।

(ख) आशा है कि निर्माण कार्य १६५६–६० के आरम्भ में ही शुरू कर दिया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**डा० म० मो० दास** इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो २ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं, परन्तु इसका पूर्व रूपेण विकास करने के लिये कुल ६ करोड़ रुपयों का खर्च होगा ।

†**डा० म० मो० दास** : योजना के अनुसार इस के लिये आवश्यक भूमि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दे दी है । उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि वह कुल १२०० एकड़ भूमि देगी उसमें से फिलहाल ५०० एकड़ भूमि दी जा रही है । परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि वह सरकार उस भूमि का अधिग्रहण कैसे कर रही है या क्या उसने कोई प्रतिकर दिया है यान हीं ।

†**श्री जादीश अवथी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार कोई विशेषज्ञ का दल इस शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये भेज रही है, और यदि भेज रही है तो वह दल कब जायेगा और क्या कार्य करेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : अमेरिकन सरकार ने इस संस्था की स्थापना में हमारी सहायता करना स्वीकार कर लिया है । अमेरिकन सरकार की ओर प्रविधिक सहकारी मिशन प्रविधिक शिक्षा और इंजीनियारग शिक्षा के छ : प्रविधिकों को भारत लाया है । यह दल यहां पर दो मास के लिये रहेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कुछ दिन पहले यह बताया गया था कि मद्रास की उच्च औद्योगिकीय संस्था में १ जुलाई १६५६ से दाखिला शुरू हो जायेगा । क्या कानपुर की संस्था में भी दाखिला उसी समय से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ताकि उन्हें इमारत के बन जाने तक प्रतीक्षा न करनी पड़े ?

†**डा० म० मो० दास** : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध कानपुर की संस्था से है । मद्रास की संस्था के लिये वे एक अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु माननीय सदस्य ने तो कानपुर की संस्था के सम्बन्ध में पूछा है ।

†**डा० म० मो० दास** : आशा है कि कानपुर की संस्था १६६० तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी ।

†**श्री दास्पपा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सभी औद्योगिकीय संस्थायें बड़े बड़े शहरों में ही स्थापित की जा रही हैं, क्या उन्हें ग्राम्य क्षेत्र में स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ?

†**डा० म० मो० दास** : हम तो राज्य सरकारों के परामर्श से ही स्थान चुनते है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संस्कृत शिक्षा

†*७८३. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत संस्थाओं से इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं कि परम्परागत संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में ली जा रही परीक्षाओं और उन के आधार पर दिये जा रहे प्रमाणपत्रों को अभिस्वीकृति दी जाये;

(ख) क्या उन आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में निर्णय कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क)

आन्ध्र प्रदेश से ४;
बम्बई से ५;
मद्रास से २;
मध्य प्रदेश से १;
पंजाब से १; और
उत्तर प्रदेश से ३ ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि निर्णय तभी किया जा सकता है जब कि हमें उन की पूर्वस्थिति के सम्बन्ध में पूरा-पूरा ज्ञान हो। इन के सम्बन्ध में कुछ एक राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से भी पूछा गया था। अब उन के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस प्रश्न पर उस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी विशेष निकाय द्वारा विचार किया जायेगा, अथवा स्वयं शिक्षा विभाग द्वारा विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सभी राज्य सरकारों से उत्तर आ जाने पर हम इस पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त करेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास**: क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इस पर विचार करेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय भी मांगी गयी है। आयोग से यह प्रार्थना की गई है कि वह संस्कृत आयोग की सिफारिशों पर विचार करे। हम उस के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री सूपकार** : संस्कृत आयोग की नियुक्ति और उस की सिफारिशों पर गत एक वर्ष से विचार करने के अतिरिक्त सरकार ने देश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये क्या-क्या ठोस कार्यवाही की है ? भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में परम्परागत संस्कृत शिक्षा की भाषा और परीक्षा स्तर के प्रमाणीकरण के लिये राज्यों को क्या क्या सहायता दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रश्न के बाद के भाग का तो मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। हम ने उस के बारे में राज्य सरकारों को लिखा है और कुछ एक का उत्तर प्राप्त भी हो गया है। शेष राज्यों को हमने फिर से याद कराया है, और आशा है कि उन के उत्तर भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे। जहां तक संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है, उस के लिये हम ने एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं, उन पर इस समय विचार किया जा रहा है। आशा है कि आयव्ययक सत्र तक हम यह बता सकेंगे कि हम इस सम्बन्ध में क्या-क्या ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं।

†**श्री सूपकार :** प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है ?

†**डा० का० श्रीमाली :** प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है और वह सभा-पटल पर भी रखा जा चुका है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन :** क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन संस्थाओं को सहायता देने की कोई व्यवस्था की गई है जो कि परम्परागत संस्कृत शिक्षा के अलग से पाठ्यक्रम चला रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है। सरकार इन सभी संस्थाओं को सहायता देने का विचार रखती है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विश्वविद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा की लोकप्रियता समाप्त होती जा रही है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस के कारणों की खोज की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** संस्कृत आयोग ने इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार किया था। उस आयोग की सभी सिफारिशों पर अब अच्छी प्रकार से विचार किया जा रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया है, मैं कुछ समय के बाद ही यह बता सकूंगा कि हम इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस प्रश्न का सम्बन्ध संस्कृत शिक्षा का जो आयोग बना था उस की रिपोर्ट से है। मैं जानना चाहता हूं कि उस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है और कौन सी खास अड़चनें हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : शिक्षा का अधिकतर सम्बन्ध राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उस का इस विषय से सीधा सम्बन्ध नहीं पड़ता। इसलिये जो भी काम इस सम्बन्ध में हो सकता है वह राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से मशवरा करने से ही हो सकता है और जैसा कि मैंने निवेदन किया, इस बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के जवाब आ गये हैं, कुछ के आने बाकी हैं। ज्योंहि सब के जवाब आ जायेंगे इस के बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या आन्ध्र प्रदेश में अलवल में संस्कृत कालेज से सहायता के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो अभी तक इसे कितनी सहायता दी गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ सहायता दी गई थी, किन्तु यदि माननीय सदस्य निश्चित प्रश्न पूछें तो मैं सहर्ष उस का उत्तर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर :** प्रारम्भिक ब्रिटिश काल में संस्कृत पाठशालाओं को सरकार का समर्थन प्राप्त था और इन पाठशालाओं में संस्कृत का अच्छा ज्ञान मिलता था। क्या इन्हीं पाठशालाओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिये सहायता देने की पुरानी परिपाटी प्रारम्भ की जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन सब विषयों का परीक्षण किया जा रहा है।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि सरल संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयत्नशील संस्कृत के कुछ पंज हुए विद्वानों ने सरकार से सहायता मांगी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** जब भी विद्वान सहायता की मांग करते हैं तो उन के गुणों पर विचार किया जाता है । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष विद्वान के बारे में जानना चाहें तो मुझे बतायें । मैं उन्हें निश्चित जानकारी दे दूंगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक कांफ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट

\+

†*७८४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण :
श्री सूपकार :
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० च० प्रधान :
श्री हाल्दर :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अक्तूबर, १९५८ में कोष-बैंक की कान्फ्रेन्स में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) क्या इस की एक प्रति लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी; और

(ग) इन कान्फ्रेन्स में जो निर्णय किये गये हैं उन के बारे में सरकार के क्या दृष्टिकोण हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति २ दिसम्बर, १९५८ को लोक-सभा में रख दी गई थी।

(ग) कोष और बैंक की १९५८ की वार्षिक मीटिंग में कोष और बैंक के संसाधनों में वृद्धि करने के बारे में ही केवल महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे। कोष और बैंक दोनों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिये बोर्ड आफ गवर्नर्स के समक्ष समुचित प्रस्ताव रखने का कोष और बैंक के कार्यकारी बोर्ड को अधिकार देते हुए पृथक् संकल्प स्वीकार किये गये थे। भारत सरकार ने इन संकल्पों के प्रति सिद्धान्त रूप में पूर्ण सहमति प्रकट कर दी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस कान्फ्रेन्स में और किन-किन देशों ने भाग लिया था ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** विश्व बैंक कांफ्रेन्स में लगभग ६८ देशों ने भाग लिया था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस कांफ्रेन्स में भारत सरकार ने किसी प्रकार के विशिष्ट प्रस्ताव रखे थे ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** जी नहीं । भारत सरकार अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव से सहमत है कि कोष और बैंक के संसाधनों में वृद्धि की जाये ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि विश्व बैंक कांफ्रेन्स में जापानी प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री सेडल ने अफ्रीका और एशिया के अल्पविकसित देशों की सहायता के लिये एक सामान्य रिजर्व फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था और इस विषय की जानकारी भारत को ही दी गई थी और यदि हां, तो इस प्रस्ताव के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं नहीं समझता कि इस कान्फ्रेन्स में यह प्रस्ताव रखा गया था। कदाचित् इस तरह की बात कहीं अन्यत्र रखी गयी थी । जापान सरकार द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या निधि में वृद्धि करने के लिये विशिष्ट सुझाव रखा गया था ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** वह संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रत्येक सरकार का जो कोटा नियत है उस में वृद्धि कर वह अतिरिक्त संसाधन की उत्पत्ति का प्रस्ताव रख रहे हैं ताकि अल्प विकसित देशों की सहायता की जा सके ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : उस दिन एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि विश्व बैंक अधिकारियों की कुछ रिपोर्टें सीधे विश्व बैंक को दे दी गयी थीं और सरकार के पास उन की प्रति नहीं है । क्या विश्व बैंक कांफ्रेन्स में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट का एक प्रति मिली है और यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री इस की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या राष्ट्रपति आइजनहोवर के इस प्रस्ताव पर कान्फ्रेन्स में विचार किया गया था कि कुछ सदस्य देशों के अंशदान से एक सामान्य निधि[1] स्थापित की जाये और यदि हां, तो भारत सरकार ने इस में कितना अंशदान दिया है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** भारत सरकार इससे भी सिद्धान्त रूप में सहमत है और कार्यकारी डाइरेक्टर इसका ब्यौरा तय करेंगे । इसके बाद यह भारत सरकार के सामने भी रखी जा सकती है ।

सेठ अचल सिंह : क्या यह रिपोर्ट सदन के सदस्यों को अवलोकनार्थ दी जायेगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** २ दिसम्बर, १९५८ को यह लोक-सभा के पटल पर रख दी गई थी ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह धारणा उचित है कि कान्फ्रेंस में जो आलोचनाएं की गई थीं वह हमारी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध थी और उससे गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को अधिक सहायता देने की भावना प्रकट होती थी ? कुछ भाषणों से ऐसा ही आभास होता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Common pool.

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह निष्कर्ष सही नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि कान्फ्रेंस में भाषण देते समय हमारे वित्त मंत्री ने दीर्घकालीन ऋण के लिये एक अनुपूरक अभिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया था—ऐसी योजना जो संभवतः लाभप्रद न होते हुए भी विकास के लिये मूलभूत सिद्ध हो सकती है, और यदि हां, तो इस विषय के लिये कान्फ्रेंस की क्या प्रतिक्रिया थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का परिज्ञान मंत्री महोदय से अधिक है ।

†**श्री हेम बरुआ :** समाचारपत्रों में ऐसी खबर छपी थी ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** समाचारपत्रों में कई ऐसी बातें छपती हैं जिनका वस्तुतः कोई आधार नहीं होता है ।

बोकारो कोयला खानों में जल-संभरण

†**७८५. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो कोयला खानों में श्रमिकों को विशुद्ध जल की समुचित मात्रा संभरित करने के लिये बम्बई के इंजीनीयर द्वारा तैयार की गई योजना का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो वहां किये गये निर्णय का क्या स्वरूप है; और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा):** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बम्बई के इंजीनियर ने कई वैकल्पिक योजनाएं प्रस्तुत की थीं जिनमें से प्रत्येक पर अनुमानित लागत ४५ लाख रुपये से लेकर १.०५ करोड़ रुपये थी । निगम ने यह निर्णय किया है कि किन्हीं उपयुक्त परामर्शदाता इंजीनीयरों की सेवाएं प्राप्त की जायें जो यह परामर्श दें कि इन में कौन-सी योजनाएं चुनी जायें और जो उनकी विस्तृत योजना तथा प्राक्कलन तैयार करें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** बम्बई के इंजीनीयर ने ऐसी कितनी वैकल्पिक योजनाओं का सुझाव रखा है कि इस विषय का निर्णय करने के लिए परामर्शदाताओं को आमंत्रित करना आवश्यक हो गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** बम्बई के इंजीनीयर ने लगभग पाच या छः योजनाएं रखी हैं । मैं ने उन पर लागत रकम का पहले ही उल्लेख कर दिया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् इस विषय में किन परामर्श-दाताओं के साथ परामर्श कर रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** परामर्शदाताओं की खोज हो रही है । अभी उनके काम के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : परिषद् कितने समय से इस विषय पर विचार कर रही है ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : वस्तुतः बम्बई इंजीनीयर द्वारा सुझाई गई योजनाओं में परिषद् द्वारा प्रबंधित एवं गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा संचालित दोनों प्रकार की कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों को जल संभरित करने का प्रश्न सम्मिलित हैं। चूंकि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की ओर से किसी प्रकार का विशेष उत्साह प्रकट नहीं किया गया तो हम ने बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित किया। उनकी प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं थी। अतः हम अभी तो राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् द्वारा संचालित कोयला खानों के श्रमिकों के लिए योजनाएं तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री प्रभातकार : इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि विशुद्ध जल श्रमिकों को सम्भरित किया जायेगा और परामर्शदाताओं का निर्णय करने में इतना समय लग गया है तो फिर परामर्शदाताओं का परीक्षण करने और इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि श्रमिकों को शुद्ध जल सम्भरित करने के लिए पूरे प्रयत्न किये जाने चाहिये किन्तु इस भावना को पैदा करना गलत है कि जैसे जल सम्भरण नहीं किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य पहले से सम्भरित किये जाने वाले जल की मात्रा बढ़ाना और जल की किस्म में सुधार करना है। अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि इस विषय में कुछ नहीं किया जा रहा है। जल सम्भरण के वर्तमान संसाधनों का विकास करने के लिए यह योजनाएं बनाई गई हैं और इस विषय में यथासम्भव शीघ्र ही निर्णय करने का प्रयत्न किया जायेगा।

विकलांग बच्चों के लिये स्कूल

+

† *७८६. { **श्री रा० च० माझी :** **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री लीलाधर कटकी :** }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग बच्चों के लिए एक नमूने का स्कूल खोलने की योजना का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह स्कूल कहां खोला जायेगा; और

(ग) स्कूल के खोलने में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). यह स्कूल खोलने और इस के स्थान की योजना विचाराधीन है।

†श्री रा० च० माझी : इस योजना के लिए कितना धन नियत किया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस योजना की कार्यान्विति के लिए द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २.७५ लाख रु० की व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** इन विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के उपरान्त काम पर लगाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि बाद में उन्हें क्या काम मिल सकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ऐसे विकलांग बच्चों के लिए, जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उपयुक्त काम खोजने के प्रश्न पर सरकार पहिले से ही विचार कर रही है । वास्तव में, इन व्यक्तियों के लिए नियोजन संस्थान का एक विशेष एकक खोलने का प्रस्ताव है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या देश में आजकल किसी अस्पताल से कोई स्कूल सम्बद्ध है और यदि हां, तो इन स्कूलों में बच्चों की भर्ती किस आधार पर होती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मुझे कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्वसूचना देंगे तो मैं सहर्ष उत्तर दूंगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ ने, जो इंगलैंड के निवासी हैं, सरकार को इन विकलांग बच्चों को काम देने के बारे में सलाह देने का प्रस्ताव किया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न रखें, तो मैं इसका उत्तर दूंगा ।

†**श्री लीलाधर कटकी :** इस स्कूल की कितनी क्षमता है अर्थात् कितने बच्चे भर्ती किये जा सकेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** योजना विचाराधीन है परन्तु विचार है कि आरम्भ में इस में ५० बच्चों के लिए स्थान होना चाहिए ।

†**श्री हेडा :** क्या इस स्कूल की व्यवस्था करते समय इन बच्चों के लिए अस्पतालों के प्रश्न का ध्यान रखा जायेगा तथा यदि हां, तो ऐसे अस्पताल आजकल कहां-कहां हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन बच्चों के लिए व्यवसाय जन्म रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार स्कूल के स्थान के प्रश्न पर विचार करते समय इन सब बातों का ध्यान रखेगी ।

†**श्री लीलाधर कटकी :** इस दृष्टि से कि देश में विकलांग बच्चों की संख्या बहुत है और इस दृष्टि से कि प्रस्तावित संस्था में रखे जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत थोड़ी है, क्या देश में और ऐसे स्कूल खोले जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यदि माननीय सदस्य सब प्रकार के विकलांग बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि सरकार ने स्कूल खोलने के बहुत से कार्यक्रम आरम्भ किये हैं । एक केन्द्र देहरादून में खुलेगा । बहरे बच्चों के लिये भी एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है । यह शल्य चिकित्सा के परिणामस्वरूप बने विकलांग बच्चों के लिये है और एक नमूने का स्कूल खोलने का विचार है ताकि अन्य राज्य भी ऐसे ही स्कूल खोल सकें । पूर्ण उत्तरदायित्व लेना केन्द्रीय सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक परिषद् के कर्मचारी

+

*७८७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि प्रादेशिक परिषदों के कार्यालयों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता ;

(ख) क्या यह सच है कि परिषदों की नोकरी को लोग अच्छा नहीं समझते क्योंकि सरकारी सेवा में अधिक अच्छी सुविधायें मिलती हैं, और इसलिये परिषदों को योग्य व्यक्तियों की सेवायें नहीं मिलतीं ; और

(ग) सरकार स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) टेरीटोरियल कौंसिलें, टेरीटोरियल कौंसिल्ज़ एक्ट १९५६ की धारा २१ के मातहत कारपोरेट बाडीज़ मानी गई हैं और इसलिये उन का अपना अलग स्टेटस है ।

(ख) सरकार को इस की जानकारी नहीं है लेकिन आम तौर से लोग सीधे सरकारी नौकरियों में ही आना पसन्द करते हैं ।

(ग) अगर क़ाबिल लोगों के मिलने में दिक्कत हुई तो सरकार मदद करेगी ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोलम्बो योजना के अधीन सहायता

†*७८८. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री १९५८ में अब तक भारत को कोलम्बो योजना के अधीन प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में एक विवरण रखने की कृपा करेंगे ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : १९५८ में कोलम्बो योजना के अधीन भारत को दी गई सहायता संबंधी विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९२]**

रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये किराये पर सामान लेना

†*७८९. **श्री पाणिग्रही :**
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में इस्पात के पुनः वेल्लित करने वाले रोलिंग मिलों[1] के भवन निर्माण के लिये पश्चिमी जर्मनी से किराये पर लिये गये सामान के लिये अब तक कुल कितना भुगतान हो चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Re-rolling mills.

(ख) इसमें से कितना धन उस काल के लिये दिया गया जबकि सामान का प्रयोग हो रहा था तथा कितना धन उस समय के लिये था जबकि सामान बेकार पड़ा रहा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). रूरकेला में रोलिंग मिलों में भवन निर्माण कार्य में प्रयुक्त संयंत्र तथा सामान का किराया उस काल में जबकि उन का प्रयोग किया जा रहा हो ३.२५ प्रतिशत मासिक एवं उस काल में जबकि वह बेकार पड़ा हो १.७ प्रतिशत मासिक है। ठेकेदारों ने ३० सितम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले काल के लिये संयंत्र व मशीन के किराये के बिल बनाये हैं। बिलों की जांच की जा रही है। वस्तुतः कोई भुगतान नहीं किया गया है।

वस्तुओं का पुनः आयात तथा पुनः निर्यात

†*७९०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में निर्मित वस्तुओं या उनके भागों को मरम्मत करने तथ पुनः निर्यात के लिये निःशुल्क पुनः आयात करने की सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दी गई सुविधायें क्या हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित जानकारी भारत सरकार की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ६८१, दिनांक ९-८-१९५८ में दी गई है। इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३]**

जीवन बीमा निगम

†*७९१. **श्री विमल घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने प्रत्येक खंड में पुरानी व नई पालिसियों का एकीकरण कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या निगम का विचार ऐसा करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (ग). जीवन बीमा निगम पुरानी व नई पालिसियों का धीरे-धीरे एकीकरण करना चाहती है तथा इस संबंध में कार्य आरम्भ हो गया। आशा है कि कार्य ३१ अगस्त १९६१ तक समाप्त हो जायेगा।

भारत का राज्य बैंक

†*७९२. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **वित्त** मंत्री १६ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य बैंक ने कुछ स्थानों में बचत बैंक खाते के लिये चैक प्रणाली लागू कर दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चैक-प्रणाली राज्य बैंक की सारी शाखाओं में लागू करने का विचार है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) हां ।

(ख) बचत बैंक खाते में जमा धन को चैक द्वारा निकालने की सुविधा अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं में लागू करने का प्रश्न भारत के राज्य बैंक के विचाराधीन है ।

लंढौर छावनी

*७९३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८८ के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि लंढौर छावनी के भविष्य के सम्बन्ध में इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : स्थिति पर दुबारा विचार किया गया है और फैसला किया गया है कि लंढौर छावनी को खत्म न किया जाय ।

बेलजियम से रोलों[1] का क्रय

†*७९४. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के रोलिंग मिलों के लिये बेलजियम से कुछ रोल[1] खरीदे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने रोल[1] खरीदे गये हैं और प्रत्येक के लिये कितना मूल्य दिया गया है ;

(ग) जबकि सारा रोलिंग मिल जर्मनी से खरीदा गया था, बेलजियम से रोल[1] खरीदने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह क्रय टेंडर प्रणाली द्वारा किया गया है अथवा अन्यथा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कुछ रोलों के क्रमादेश बेलजियम के दो रोल-निर्माताओं को दिये गये हैं ।

(ख) सात जोड़ी रोलों का क्रयादेश दिया गया है । एक जोड़ा २५,१७९ डालर का, दूसरा जोड़ा १५,६६६.४० डालर का, दो जोड़े २७,७२० डालर प्रति जोड़ा की दर से और तीन जोड़े ५,५९५ पौ० प्रति जोड़ा की दर से ।

(ग) बेलिजियम की फर्म के मूल्य जर्मनी के रोलिंग मिल देने वालों के मूल्यों की अपेक्षा कम थे ।

(घ) टेंडर प्रणाली द्वारा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rolls.

इंटरपोल की महासभा

†*७९५. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इंटरपोल की महासभा में, जो सितम्बर, १९५८ में लन्दन में हुई थी, भाग लिया था ;

(ख) उसमें किस विषय पर विचार किया गया ; और

(ग) सभा की चर्चा तथा निर्णयों में भारत का कितना हाथ रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) हां ।

(ख) (१) सोने का अवैध यातायात ।

(२) नशे की चीज़ों का अवैध यातायात ।

(३) महिला पुलिस ।

(४) अपराधों का पता लगाने वाली पुलिस द्वारा टेलीवीज़न का प्रयोग ।

(५) पहचान के लिये वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय सूची ।

(६) जाली कलात्मक एवं औद्योगिक वस्तुयें बनाना ।

(७) उंगलियों के निशानों का वर्गीकरण ।

(८) बेतार का संचार ।

(ग) सभा में कोई निर्णय नहीं किये गये परन्तु कार्य के तरीकों के बारे में सामान्य चर्चा एवं विचारों का आदान प्रदान हुआ था ।

नेपाल के हवाई अड्डों का सर्वेक्षण

*७९६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत से प्रार्थना की है कि वह उनके हवाई अड्डों का सर्वेक्षण करे; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी नहीं । नेपाल सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह नेपाल में और भी हवाई अड्डे बनाने के लिए दो स्थानों का सर्वेक्षण करे और यह प्रार्थना स्वीकार करने का निश्चय कर लिया गया है ।

शिव सागर में तेल के लिये छिद्र करने के कार्य

†*७९७. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवसागर में तेल के लिए छिद्र करने का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) मुख्य रूप से लगभग २००० टन भार की भारी मशीन एवं सामान को बहुत दूर तक ले जाने की कठिनाइयों एवं विलम्ब तथा उपयुक्त सड़कों के अभाव, आदि के कारण ।

आदिम जाति कल्याण

†***७९८. श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ आदिम जातियों में खानाबदोशी कम करने के तरीकों का सुझाव देने के लिए आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श बोर्ड द्वारा नियुक्त तीन आदमियों की रिपोर्ट कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा)** : उनकी रिपोर्ट लगभग तीन मास में तैयार हो जायेगी ।

लाइब्रेरियन

†***७९९. श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन लाइब्रेरियनों के प्रतिवेदन पर, जो अमरीका का भ्रमण करने गये थे, सरकार ने विचार कर लिया है तथा उस पर कोई कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ९४]**

बौध राज्य की गद्दी का उत्तराधिकार

†***८००.** { **श्री प्र० के० देव :**
श्री वि० च० प्रधान :
श्री प्र० गे० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंजम-नयागढ़ के जिला न्यायाधीश ने स्वर्गीय बौध राजा का उत्तराधिकारी के रूप में किसकी सिफ़ारिश की है और बौध के राजा के रूप में किसे मान्यता दी गई है;

(ख) यदि किसी को भी मान्यता नहीं दी गई, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में चूक के सिद्धान्त का पालन करेगी; और

(ग) सरकार की वर्तमान नीति कहां तक २८ मार्च, १९४८ को दिये गये राज्य मंत्रालय के सचिव के इस वक्तव्य के अनुसार है कि सरकार की इच्छा है कि राजाओं को समाप्त न किया जाये तथा यदि कोई राजा सन्तानहीन हो तो उसकी मृत्यु पर उसका स्वत्व समाप्त किया जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) गंजम-नयागढ़ के जिलाधीश ने सूचना दी थी कि उसके मतानुसार बौध की गद्दी के दावेदारों में श्री गिरीशचन्द्र रे उर्फ़ गिरीश चन्द्र देव

†मूल अंग्रेज़ी में

गद्दी का सर्वाधिक अधिकारी है। राष्ट्रपति ने बौध राजा के उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं दी है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद ३६६(२२) के अनुसार वह व्यक्ति, जिसे राष्ट्रपति ने तत्समय राजा के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी हो, देशी रियासतों के सम्बन्ध में शासक माना जायेगा। राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह प्रत्येक राजा के मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारी को मान्यता दे। निर्णय करने के पूर्व प्रत्येक मामले पर उसके गुणों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ग) सरकार को २८ मार्च, १९४८ को राज्य मंत्रालय के सचिव द्वारा दिये गये किसी सरकारी वक्तव्य की जानकारी नहीं है।

आदिम जाति कल्याण संबंधी

केन्द्रीय परामर्श बोर्ड

†*८०१. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने, जिसकी बैठक २८ सितम्बर, १९५८ को हुई थी, सिफ़ारिश की है कि आदिम जाति के व्यक्तियों को उस भूमि को छुड़ाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये जो उनके पास है या जिसे वे जोतते हैं; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की सिफ़ारिश लागू करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श बोर्ड की सिफ़ारिश सारी राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रशासनों को उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

त्रिपुरा परिषद्

†*८०२. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक परिषद् ने त्रिपुरा प्रशासन से उत्तम स्थान देने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) हां।

(ख) प्रशासन परिषद् के साथ कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गेहूं और चावल का चोरी छिपे ले जाना

†*८०३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्यायुक्त ने निगम के चुंगी विभाग के एवं खाद्य तथा असैनिक संभरण निदेशालय के इंस्पेक्टरों और उनसे बड़े अधिकारियों को संदग्ध गेहूं और चावल चोरी छिपे ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने तथा उनकी तलाशी लेने के अधिकार दिये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) हां ।

(ख) परिणामस्वरूप नियंत्रित वस्तुओं का पड़ौसी राज्यों में, जहां ऐसी वस्तुओं का मूल्य अधिक है, चोरी छिपे ले जाना काफी कम हो गया है ।

दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्य

†*८०४. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने एक संकल्प द्वारा यह इच्छा प्रकट की है कि निगम-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों में उसका हाथ रहे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) तथा (ख). नहीं । ४ अगस्त, १६५८ को निगम ने एक संकल्प स्वीकार किया था जो परिशिष्ट 'क' में दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]** यह दिल्ली प्रशासन को भेज दिया गया है और उसके विचाराधीन है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस

†*८०५. **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण :
श्री वाजपेयी :
कुमारी मो० वेद कुमारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को १६५७ के लिये बोनस देने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने बोनस की मांग की गई है; और

(ग) मांग पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) दो मास के वेतन के बराबर।

(ग) उचित रूप से विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि निगम, अपने विवेक पर, अपने दफ्तर के कर्मचारियों को बोनस दे सकता है परन्तु :

(१) बोनस लाभ-बांटना नहीं है ; और

(२) व्ययों के परिसीमन में बीमा अधिनियम, १९३८ के उपबन्धों का उचित ध्यान रखा जाये।

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारी) अधिनियम, १९५६

†*८०६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की आदिम जाति के लोगों ने सरकार को मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारी) अधिनियम, १९५६ को निर्सन करने के लिये अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) हां, कुछ आदिम जाति के लोगों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) अभ्यावेदन विचाराधीन हैं।

केरल के उच्च न्यायालय के लिये न्यायाधीश

†*८०८. **श्री ईश्वर आय्यर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल के उच्च न्यायालयों के लिये अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की सिफ़ारिशें प्राप्त हो गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) तथा (ख) : केरल उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं और वे केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में बाढ़ और तूफान

†*८०९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में किन किन स्थानों में पिछले दिनों बाढ़ व तूफान आये ;

(ख) कितने व्यक्ति प्रभावित हुए ;

(ग) कुल कितने धन व जिस की हानि हुई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कितने व्यक्ति तथा ढोर मारे गये और कितने व्यक्ति बेघर हो गये ;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में धान पानी से लाये गये रेत से पूर्णतया ढक गये ; और

(च) सरकार ने अब तक सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९६]**

(च) प्रशासन ने निम्न बाढ़ सहायता कार्य किये थे :—

१. (१) आश्रय स्थान और मकान बनाने के लिये फूस और बांस निःशुल्क दिये गये थे।

(२) भोजन के लिये ४,००० रुपये की नकद राशि बांटी गई थी।

(३) विद्यमान औषधालय फिर से चालू किये गये और दवाइयां निःशुल्क दी गईं।

(४) अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानें खोली गईं।

२. भारत सरकार द्वारा निम्न राशि मंजूर की गई :

(१) सहायता उपदान के लिये ५०,००० रुपये।

(२) सहायता सम्बन्धी कामों के लिये ३ लाख।

(३) जिन किसानों का नुकसान हुआ उन्हें तकावी ऋण के रूप में २ लाख रुपये।

३. जिन लोगों का नुकसान हुआ उन के लिये निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन मकान बनाने के लिये ऋण देने हेतु ५०,००० रुपये की मंजूरी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

कुलटी का कारखाना

†*८१०. **श्री नागी रेड्डी** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने कुलटी की भट्ठी और कोक-ओवन बैटरियां बन्द कर दी हैं ;

(ख) क्या यह कार्य सरकार की पूर्व-सहमति से किया गया है ;

(ग) क्या श्रमिकों को इस के बन्द किये जाने के विषय में कुछ नोटिस दिया गया था ; और

(घ) (१) उत्पादन और (२) रोजगार के संबन्ध में इस बन्दी का क्या प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) यह बन्दी सरकार की जानकारी में की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) (१) प्रतिमाह १०,००० टन कच्चे लोहे के उत्पादन की हानि हुई थी लेकिन कम्पनी की अतिरिक्त भट्ठियों से इस से कहीं अधिक उत्पादन हो जायेगा।

(२) अधिकांश श्रमिकों को बर्नपुर भेज दिया जायेगा और उन की नौकरी बराबर जारी समझी जायेगी। स्वेच्छा से पदत्याग करने वाले अथवा हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी पाने वाले श्रमिकों को छंटनी के समय के समस्त लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

सैनिक पदाधिकारियों के वेतन क्रम

†*८११. **श्री सुगन्धि :**
श्री उ० च० पाटनायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों, गैर-कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों और अन्य सामान्य सैनिकों के वेतन क्रमों में सुधार करने की कुछ योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप प्रदान कर लिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये परीक्षा के पूर्व पढ़ाई की व्यवस्था

†*८१२. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत प्रशासन सेवा, भारत पुलिस सेवा और अन्य केन्द्रीय नौकरियों की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के अभ्यर्थियों के लिये प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था आरम्भ करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या आगरा और कलकत्ता विश्वविद्यालय यह कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में योजनायें भी दे चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ये योजनायें किस प्रकार की हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) प्रयाग विश्वविद्यालय ने सरकार को एक पुनरीक्षित योजना भेजी है और इस पर विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पास छात्रावासों में इस प्रयोजन के लिये अलग से देने को स्थान नहीं है। इस लिये यह पूछा गया है कि क्या किराये पर उपयुक्त इमारत मिल सकती है। इस के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजभाषा

*८१३. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है ।

(ख) उम्मीद है कि राष्ट्रपति की अनुमति से जल्दी ही यह पार्लियामेंट के सामने रख दी जायेगी ।

पश्चिमी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था

†*८१४. **श्री सिदय्या** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बम्बई में पश्चिमी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक यूनेस्को से किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवैषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]**

एम० ई० एस० निर्माण समिति

†*८१५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एम० ई० एस० निर्माण समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर कुछ निर्णय कर लिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : एम० ई० एस० निर्माण समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

संस्कृत आयोग

†*८१६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सिम्तम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन सिफारिशों के बारे में निश्चित प्रस्ताव तैयार हो गये और निणय कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) यह सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों, प्रशासनों, विश्वविद्यालयों आदि के पास अपनी अपनी राय देने के लिये भेज दी गयी हैं । सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों, विश्वविद्यालयों आदि की टिप्पणियां आने और उन पर विचार हो जाने के पश्चात् निश्चित प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे और उन पर निर्णय कर लिया जायेगा ?

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली के सैनिक कैन्टीन में चोरी

†*८१७. **श्री संगण्णा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के साउथ ब्लाक में सैनिक कैन्टीन से ११,००० रुपये की शराब चोरी की गयी है;

(ख) क्या इस चोरी के संबंध में कुछ छानबीन की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) माहवारी स्टाक मिलाते वक्त शराब के स्टाक में ११,००० रुपये का स्टाक कम पाया गया था ।

(ख) और (ग). इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गयी है और वह उस की छानबीन कर रही है । उन की रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

तूलिका-चित्रों की प्रदर्शनी के बारे में ललित-कला अकादमी की गोष्ठी

†*८१८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित-कला अकादमी निकट भविष्य में एक गोष्ठी का आयोजन करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रतिनिधि भारतीय तूलिका-चित्रों की एक प्रदर्शनी विदेशों में भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों में ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां । ललित कला अकादमी मार्च, १९५९ में वास्तु-कला के संबंध में एक गोष्ठी करने की योजना बना रही है ।

(ख) ब्यौरा तैयार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) और (घ). जी हां। भारत सरकार प्रतिनिधि भारतीय कला की प्रदर्शनी, जिस में तूलिका चित्र भी शामिल होंगे, पश्चिम जर्मनी भेजने वाली है और संभव है यह स्विटजरलैण्ड भी जायेगी।

कोयले का उत्पादन

†*८१६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री विमल घोष :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) १६५८ में अक्तूबर के अन्त तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोयले का कितना कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्रमशः १५० और ४५० लाख टनों के उत्पादन का लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(घ) उत्पादन में कितनी कमी रह जाने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क)

	लाख टन
एन० सी० डी० सी० कोलियरी	२६.६
सिंगारेनी कोलियरी	१७ ४
गैर-सरकारी क्षेत्र	३२७.३

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

युद्ध-सामग्री कारखानों में इस्पात का उत्पादन

†*८२०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध-सामग्री कारखानों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की गयी है;

(ख) विभिन्न इस्पात कारखानों में १६५७–५८ में इस्पात का कितना कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या यह उत्पादन १६५६–५७ के उत्पादन से अधिक था; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) से (घ). १९५६–५७ का उत्पादन लगभग ३०,००० था । १९५७–५८ में लगभग ४ प्रतिशत की थोड़ी सी ही वृद्धि हुई थी ।

प्रविधिक संस्थाओं के लिये अध्यापक

†*८२१. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक संस्थाओं के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की योजना के क्रियान्वय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन अध्यापकों को किन-किन प्रविधिक संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) योजना को क्रियान्वित करने के लिये व्यवस्था पूरी की जा रही है ।

प्रशिक्षण के स्थानों के सम्बन्ध में राज्य-सरकारों, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संस्थाओं की वास्तविक आश्वयकताओं का पता लगा लिया गया है और उपयुक्त उम्मीदवारों का चुनाव शीघ्र ही कर लिया जायेगा ।

(ख) स्नातक-अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये निम्नलिखित पांच केन्द्र चुने गये हैं :

१. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, खड़गपुर ।

२. बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, शिबपुर, कलकत्ता ।

३. कालेज आफ इंजीनियरिंग, पूना ।

४. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ।

५. कालेज आफ इंजीनियरिंग, गिंडी, मद्रास ।

डिप्लोमाधारी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रों का चुनाव विचाराधीन है ।

आसाम और त्रिपुरा के लिये संयुक्त वित्त निगम

†*८२२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और त्रिपुरा के लिये एक संयुक्त वित्त निगम की स्थापना करने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी बढ़ई

†*८२३. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विदेशी बढ़इयों पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या ये बढ़ई अब भी काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या उन के वेतन का भुगतान हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किया जाता है या उस ठेकेदार और उस शीर्ष के अधीन किया जाता है जिस के अधीन पहले यह उपबन्ध किया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) ८.४६ लाख रुपये।

(ख) केवल पांच फोरमैन और एक विशेषज्ञ बढ़ई अब काम कर रहे हैं।

(ग) वेतन हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट (लिमिटेड) द्वारा दिया जाता है। मुख्य ठेका देते समय इस भुगतान की कल्पना नहीं की गयी थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां

†*८२४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को जो मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उन के लिये 'साधनों की जांच' न कर के गुणों को आधार मानने से क्या विभिन्न आय के वर्गों में इस प्रकार की छात्रवृत्तियां पाने वालों की संख्या बढ़ी है या घटी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कम आय वाले वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दिलाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के ऐसे सभी उम्मीदवारों को १६५८–५६ में छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिनको ये वृत्तियां मिल सकती हैं, और जो अपनी अन्तिम सालाना परीक्षा पास कर अगली कक्षा में दाखिल हो गये हैं। इस सम्बन्ध में पिछली परीक्षा में उनको जितने नम्बर मिले हैं उस पर विचार नहीं किया गया है।

इसलिये १६५८–५६ की छात्रवृत्ति देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के प्रार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के उम्मीदवारों के लिये 'साधनों की जांच' करने की प्रथा १६५७–५८ से समाप्त कर दी गयी है। इसलिये इन दो वर्गों के छात्रों से आय का प्रमाण-पत्र लेना बन्द कर दिया गया है। अतः छात्रवृत्तियां पाने वालों के आय-वर्गों के बारे में कोई विश्वस्त सूचना नहीं मिल सकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में लड़कियों से छेड़छाड़

†*८२५. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली पुलिस के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि लड़कियों से छेड़छाड़ के मामलों में मुकदमे बन्द कमरों में किये जायं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय हुआ है?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). इस आशय का एक प्रस्ताव आया था। पुलिस को यह सलाह दी गयी है कि वह इस सम्बन्ध में अदालत से ही प्रार्थना करे क्योंकि अदालत को उपयुक्त मामलों में मुकदमा बन्द कमरे में करने का अधिकार है।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम

†*८२६. **श्री वाजपेयी** :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम के उस संकल्प की एक प्रति मिल गयी है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि निगम के क्षेत्र में नई दिल्ली को भी शामिल कर लेने के लिये दिल्ली नगर निगम अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम विधेयक जिस समय संसद् में विचाराधीन था उस समय निगम के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर सविस्तार विचार कर लिया गया था। इसलिये सरकार ने इस संकल्प पर कुछ भी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†*८२७. **श्री झूलन सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री १८ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने अपने शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के अंग के रूप में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार करने के लिये जो योजनायें बनायी थीं क्या वह केन्द्रीय सरकार के पास आ गयी हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) आसाम, बम्बई, बिहार, केरल, मैसूर, मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार की योजनाओं को १६५८–५६ के विकास कार्यक्रमों में शामिल कर लिया है।

(ख) इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली राज्य-सरकारों को उचित केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

विदेशों में भारतीय नरेश

†*८२८. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में अखबारों में छपी उन खबरों की ओर आकृष्ट किया गया है कि कुछ भारतीय नरेश विदेशों में भारतीय रुपया बर्बाद कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार रुपया बर्बाद करने से राष्ट्रीय हित में हमारे विदेशी मुद्रा-संसाधनों पर लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन नहीं होता; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). नरेशों को विदेशों में अपनी चिकित्सा या अपने बच्चों की शिक्षा जैसे उचित कारणों के अलावा और किसी आधार पर विदेशी मुद्रायें नहीं दी जातीं। इन आवेदन पत्रों की सख्ती से छानबीन की जाती है और केवल न्यूनतम आवश्यकता भर राशि ही मंजूर की जाती है।

प्रविधिक और प्रशासनिक कर्मचारी

†*८२९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की प्रविधिक व प्रशासनिक कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(ग) इस अध्ययन की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) सभी राज्य सरकारों ने विभिन्न श्रेणियों के प्रविधिक कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये अध्ययन ग्रुपों की स्थापना कर दी है कुछ राज्यों में प्रशासनिक व्यक्तियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन भी आरम्भ किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ अध्ययन पूरे हो चुके हैं, और कुछ अभी चल रहे हैं।

(ग) जो अध्ययन छपे हुए अथवा साइक्लोस्टाइल किये हुए रूप में उपलब्ध हैं उन्हें संसद् पुस्तकालय में रखा जा रहा है।

स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का सुरक्षण

†*८३०. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों समेत समस्त स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या वह क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५५ के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में बिल्कुल यही सिफारिश की है। इस सिफारिश को अन्य सिफारिशों के साथ आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य-सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों के पास भेज दिया गया था। इन सिफारिशों पर राज्य-सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही का एक विवरण २२ अगस्त, १९५७ को लोक-सभा पटल पर रख दिया गया था। इस विशेष सिफारिश पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा इस विवरण के क्रमांक १८९ पर दिया हुआ है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†*८३१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की प्रथम ब्लास्ट भट्टी को कलकत्ता पत्तन पर आने के पश्चात् अभी कभी अवस्थाओं में उठाना शेष है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में सहकारिता-आंदोलन

†*८३२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन के कार्य की जांच करने के लिये जिस अन्तिम समिति की स्थापना की गयी थी क्या उसने तब से अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन पर क्या, कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की, और यदि इस पर कोई विमति टिप्पण हो तो उसकी भी, एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी; और

(घ) हिमाचल प्रदेश सहकारिता आन्दोलन के कार्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त की गयी समिति पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) समिति की सिफारिशों के बारे में निर्णय हो जाने पर प्रतिवेदन की एक प्रति पुस्तकालय में रख दी जायगी।

(घ) समिति पर कुल ४६,६७५ रुपये २४ नये पैसे व्यय हुए हैं।

सिंगारेनी कोलियरी

†*८३३. **श्री त० ब० बिट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० अगस्त, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगारेनी कोलियरीज़ कम्पनी ने थाक लगाने वाले संयंत्र[1] की, जो वह खरीदने और लगाने वाली है, मशीनों की विभिन्न मदों की लागत का ब्यौरा दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तब से ४० लाख रुपयों की राशि मंजूर की जा चुकी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कोयला बोर्ड ने आंध्र प्रदेश सरकार की इस गारंटी के अधीन रहते हुए, कि कोलियरी कम्पनी ऋणों की मंजूरी के करार की शर्तों के अनुसरण में इस ऋण को अदा कर देगी, अस्थायी रूप से ३७ लाख रुपयों का ऋण मंजूर किया है। बोर्ड अब गारंटी के प्रश्न पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

'स्टैनकैव' द्वारा तेल के लिये छिद्रण

†*८३४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डो-स्टैनवैक पैट्रोलियम परियोजना के अधीन चकदहा और घाटल में छिद्रण कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Stowing Plant.

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) और (ख). जी नहीं।

इन स्थानों पर छिद्रण का कार्य इनके १९५९ के कार्यक्रम में शामिल है।

छोटी भट्टियां[1]

†*८३५. **श्री मुरारका :**
श्री गोरे :
श्री उ० च० पटनायक :
श्री राम कृष्ण :
श्री सरजू पांडे :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभातकार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये छोटी भट्टियों की स्थापना की संभावनाओं के संबंध में कुछ अंतिम निर्णय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी भट्टियां किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ;

(ग) प्रत्येक की संभावित लागत कितनी होगी ; और

(घ) क्या इसमें कुछ विदेशी मुद्रायें भी खर्च होंगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). जी नहीं। १९५९ के आरम्भ में एक अध्ययन दल को चीन भेजने का विचार है जो उस देश में जाकर वहां छोटी भट्टियों के कार्य और आर्थिक पहलू का अध्ययन करेगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

†*८३६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में परिवारों को बसाने के लिये कोई प्रचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उसका क्या प्रभाव हुआ ; और

(ग) १९५७ और १९५८ में वहां बसने के लिये कितने परिवार गये थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) प्रेस विज्ञप्ति अथवा समाचार पत्रों के द्वारा कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) क्रमश: २३८ और २०० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Small Blast Furnaces.

कोयला खनन संबंधी मशीनरी की खरीद

†*८३७. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अमरीका से लगभग ५० लाख डालर की कीमत की कोयला खनन संबंधी मशीनरी खरीदने के लिये प्रबन्ध कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि जो मशीनरी खरीदी जाने को है वह अमरीका म पुरानी समझी जाती है ।

(ग) यदि हां, तो निगम द्वारा ऐसा सौदा करन क क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सौदे के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये क्या प्रगति की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ). निगम ने अभी हाल ही में १५० लाख डालर के अनुमानित मूल्य की कोयला खनन संबंधी मशीनरी और संयंत्र की खरीद करने के लिये सारे संसार से तीन टेंडर मांगे हैं । इसमें से अमरीका से कितना सामान खरीदा जायगा यह अभी नहीं बताया जा सकता, इसके साथ ही निगम इस बात पर विचार कर रहा है कि मिट्टी खोदने वाली भारी मशीनरी और वर्कशाप फालतू पुर्जे अमरीकी प्रतिरक्षा अतिरिक्त सम्पत्ति योजना के अधीन खरीदे जा सकते हैं । इन चीजों का पुस्त मूल्य ४० लाख डालर है । बिक्री एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर होगी और प्रत्येक सामान पर उसके पुस्त मूल्य का ५ प्रतिशत अंश वसूल किया जायगा । इनमें से कुछ का बनना अमरीका में बन्द हो गया है किन्तु भारत में उनसे काम लिया जा सकेगा । निगम अपने एक टेक्निकल पदाधिकारी को एक मास के लिये अमरीका भेज रहा है जो सामान की जांच करेगा तथा जो चीजें भारत में काम आने वाली होंगी उनका चुनाव करेगा और भारतीय संभरण मिशन, वाशिंगटन के द्वारा उनकी खरीद की व्यवस्था करेगा । इससे पता लगेगा कि खरीद इस शर्त पर की जायेगी बशर्ते कि वास्तविक जांच करने के पश्चात् सामान उपयुक्त सिद्ध हो ।

सरकारी कर्मचारियों का स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ना

†*८३८. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुमति प्राप्त करने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट शर्तों पर अनुमति की जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). जी हां । किन्तु सरकार की वर्तमान नीति सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने के लिये अनुमति न देने की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-पाकिस्तान बैंक संबंधी करार

†११९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (३० नवम्बर, १९५८ तक) भारत–पाकिस्तान बैंक संबंधी करार के अधीन भारत की बैंकिंग कम्पनियों द्वारा कितने मूल्य की आस्तियां वसूल की गई हैं ; और

(ख) कितने मूल्य की आस्तियों की वसूली अभी तक नहीं हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय बैंकों द्वारा पत्री वर्ष १९५८ के प्रथम दस महीनों में ३.६ लाख रुपये प्राप्त हुए थे जो पश्चिमी पाकिस्तान में भारत की अग्रिम राशि थी जिसके बारे में बैंकिंग करार संबंधी क्रियान्वय समिति की सहायता मांगी गई थी ।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय बैंकों की आस्तियों का कुल मूल्य जो अभी तक वसूल नहीं किया जा सका उसका अनुमान लगभग ५ करोड़ रुपया लगाया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

†११९९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन १९५७–५८ और १९५८–५९ में (३० नवम्बर, १९५८ तक) सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) ऐसे मामलों को निबटाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है !

(ग) कितने कर्मचारियों पर अभियोग चलाया गया है ; और

(घ) कितने मामलों की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है ;

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) १९५७–५८ २८.

१९५८–५९ (३० नवम्बर, १९५८ तक) ८४.

(ख) एक भ्रष्टाचार विरोधी एकक स्थापित किया गया है जो मुख्य सचिव के निदेशानुसार कार्य करता है, जो सतर्कता पदाधिकारी भी है ।

(ग) ७ को न्यायलयों द्वारा और ६० व्यक्तियों को विभाग द्वारा दण्ड दिया गया ।

(घ) ३५ ।

पंजाब में अस्पृश्यता

†१२००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब राज्य में अस्पृश्यता निवारण संबंधी प्रचार करने के लिये १९५८–५९ में कितनी राशि आंवटित की गई है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो वे योजनाएं किस प्रकार की हैं जिन पर यह राशि व्यय करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ६२,००० रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह राशि स्लाइडें, पोस्टरों, सिनेमा शो, ड्रामा आदि के द्वारा प्रचार कार्यों में व्यय की जायेगी ।

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

†१२०१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में १९५८-५९ में कितनी योजनायें प्रस्तुत की गई हैं ;

(ख) क्या इन में से कोई योजना मंजूर की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये पंजाब सरकार को कितनी राशि दी गई है अथवा देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ग्यारह ।

(ख) नीतिगत प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता "अर्थोपाय" लेखा के अधीन दी जाती है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता के रूप में १६.०५ लाख रुपये की राशि देने का विचार है ।

भारत में विदेशी छात्र

†१२०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा मंत्री** ८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अध्ययन करने वाले कितने छात्र १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में भारत आये थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नाभिकीय विज्ञान तथा इंजीनियरिंग

†१२०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व-विद्यालयों में नाभिकीय विज्ञान और नाभिकीय इंजीनियरिंग पाठ्य-क्रम लागू करने के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : गुड़की विश्व-विद्यालय द्वारा नभिकीय विज्ञान और नाभिकीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के बारे में प्रस्तुत की गई योजना की जांच वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक विशेषज्ञ समिति कर रही है । आन्ध्र विश्व-विद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई एक इसी प्रकार की योजना पर भी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल

†१२०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त उन गैर सरकारी स्कूलों के लिये स्थायी रूप से इमारतों की व्यवस्था करने के बारे में क्या और आगे प्रगति की गई है जो इस समय या तो तम्बुओं में लगते हैं या अस्थायी रूप से बने शेड आदि में लगते हैं ; और

(ख) इस कार्य के लिये क्या कोई राशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). प्रमुख रूप से तो गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबन्ध का यह उत्तरदायित्व होता है कि वे अपने नियंत्रण में चलाये जाने वाले स्कूलों के लिये स्थायी इमारतों की व्यवस्था करें फिर भी सरकार उन्हें कुछ रियायत पर स्थान प्राप्त करने, इमारत बनाने तथा उपयुक्त मामलों में वित्तीय सहायता दे कर उन की सहायता कर सकती है। सरकार उन्हें वास्तविक व्यय का २/३ तक भवन अनुदान के रूप में अधिकाधिक १ लाख रुपये तक दे सकती है। आय-व्ययक में इस के लिए प्रति वर्ष २ लाख रुपये का उपबन्ध किया जाता है।

जमुना के किनारों से गांवों का हटाया जाना

†१२०५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुना के किनारों पर ऊंची सतह पर स्थित उन १२ गांवों को वहां से हटाने के बारे में और आगे क्या प्रगति की गई है जो प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : एक गांव के अलावा अन्य गांवों के लोगों को, जो नए प्लाट आ टित किये गये थे उन का कब्जा दे दिया गया है। ढाका धीरपुर गांव (नगर क्षेत्र में) में विकास कार्य प्रगति पर है। मकान बनाने के लिये संबंधित ग्रामवासियों को ऋण देने के प्रबन्ध पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के गैर-सरकारी राज्य सहायता प्राप्त स्कूल

†१२०६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गैर-सरकारी राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार की सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं ; और

(घ) उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). समिति के प्रतिवेदन की अभी विस्तृत रूप से जांच की जा रही है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनिमय

†**१२०७. श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन १९५८ में अब तक कुल कितने मामलों का न्याय-निर्णयन किया गया ; और

(ख) दण्ड-स्वरूप कुल कितनी राशि लगाई गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १०३ मामले ।

(ख) ८,०३,०६२ रुपये ।

चन्द्रा नदी के ऊपर पुल

†**१२०८ श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जोबरांग और मालदा में चन्द्रा नदी के ऊपर पुल बनाने के बारे में पंजाब सरकार द्वारा कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उस के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और इस कार्य के लिये १.८८ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं ।

लाहौल और स्पीती

†**१२०९. श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल और स्पीती क्षेत्रों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) लाहौल और स्पीती के लिये अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]**

(ख) लाहौल और स्पीती क्षेत्रों के लिये स्वीकृत राशि के अलग-अलग आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है, जो प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ज्वालामुखी का तेल छिद्रण स्कूल

†**१२१०. श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी में खोले जाने वाले तेल छिद्रण स्कूल में प्रवेश पाने के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस स्कूल में 'रिग-मेन' और 'टाप-मेन' के प्रशिक्षण के लिये कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इंजीनियरिंग के स्नातक अथवा अवर-स्नातक जिन को छिद्रण सम्बन्धी अनुभव हो और जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में छिद्रण कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यदि बाहर से उपयुक्त उम्मीदवार मिल जाते हैं, तो उन पर भी विचार किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं ।

बम्बई में तम्बाकू की खेती

†**१२११. श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में १९५७-५८ में कुल कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की जा रही है; और

(ख) बम्बई में १९५७-५८ में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की कितनी राशि बकाया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख).

तम्बाकू बोई जाने वाली एकड़ संख्या	बकाया शुल्क (रुपये)
२,११,००६	२४,२३,१९५

निवृत्ति वेतन

†**१२१२. श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को यदि वे सेवा निवृत्त होने के पश्चात् राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं तो उन्हें निवृत्ति वेतन नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरिक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). सेना के निवृत्ति वेतन प्राप्त करने वालों को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनाने पर उनका वेतन बन्द नहीं किया जाता। (बशर्ते कि वह दल सरकार द्वारा गैर कानूनी नहीं घोषित किया गया है) और वह अपने प्लेटफार्म से खड़े होकर सरकार की नीति की आलोचना नहीं करते हैं। निवृत्ति वेतन राजनीतिक ढंग के अपराध करने पर किसी न्यायालय द्वारा दण्ड दिये जाने पर अथवा स्थानीय राज्य सरकार/प्रशासन की सिफारिश पर बन्द कर दिया जाता है। इसके अलावा एरिया कमांडर जैसे सक्षम प्राधिकार द्वारा न्याय निर्णयन किये जाने पर यदि किसी कर्मचारी पर साम्प्रदायिक उपद्रव की किस्म का राजनीतिक दुर्व्यवहार का अपराध लगाने पर भी निवृत्ति वेतन रोक दिया जाता है। सक्षम प्राधिकार द्वारा स्थानीय सरकार/प्रशासन के परामर्श से उपयुक्त मामलों में पूर्ण वेतन अथवा उसका कुछ अंश देना फिर से चालू किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में शिक्षितों की बेकारी

†१२१३. **श्री सरजू पांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को १६५७-५८ में शिक्षितों की बेकारी में कमी करने के लिए सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी थी; और

(ग) उत्तर प्रदेश में १६५७-५८ में उपर्युक्त योजना के अधीन कुल कितने लोगों को काम मिला था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) १,२१,३४१ रुपये की केन्द्रीय राशि स्वीकृत की गई थी।

(ग) १६५७-५८ में इस योजना के अधीन किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। इस योजना के अधीन नियुक्ति किये जाने का वर्ष १६५५-५६ था। योजना की शर्तों के अनुसार १६५५-५६ में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवाओं को जारी रखने के लिये किये गये व्यय का २५ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में दिया गया था और इसी कारण केन्द्रीय अनुदान १६५७-५८ में भी मंजूर किया गया यद्यपि उस वर्ष कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

उड़ीसा की आदिम जातियां

†१२१४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण योजना अनुदान में से उड़ीसा राज्य के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ख) इस कार्य के लिए विभिन्न मदों पर उप-डिवीज़न के अनुसार वास्तव में कितना व्यय किया गया था;

(ग) क्या राज्य ने कुल अनुदान का पूरा उपयोग किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उ० मंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) १,५६,२१,००० रुपये।

(ख) उप-डिवीज़न वार व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अनुसूचित जातियां

†१२१५. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्र में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत १६५७-५८ में प्राप्त लक्ष्यों के सम्बन्ध में जानकारी अब उपलब्ध हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९]** मैसूर की सरकार से प्रगति प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये कल्याण संस्था

†**१२१६. श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न संस्थाओं को क्या वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं दी गई हैं :

(१) भारतीय सिपाही, नाविक तथा विमान चालक बोर्ड;

(२) अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण फेडरेशन तथा उक्त फेडरेशन की अन्य सदस्य संस्थाएं; और

(ख) इन संगठनों के कार्यकलापों का समायोजन किस प्रकार किया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]**

लोहे की छड़ें आदि

†**१२१७. श्री लीलाधर कटकी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहे की छड़ें आदि का आसाम राज्य का कोटा १९५४ से संबंधित एजेंटों द्वारा नहीं उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी मात्रा व्यपगत हो गई है; और

(ग) क्या इस राज्य की अत्यधिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए चालू वर्ष में सरकार व्यपगत कोटा देने का विचार करती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जानकारी इस कारण उपलब्ध नहीं है कि इस्पात का श्रेणीवार नियतन केवल १-४-५८ से शुरू किया गया है। इस समय उसे उठाने वाले एजेंट नहीं हैं। सामान सीधे राज्य सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। आसाम राज्य को १-४-५८ से ३१-१२-५८ के बीच लोहे की छड़ों आदि की ९५३ टन मात्रा आवंटित की गई थी जिसमें से अगस्त, १९५८ तक ३३५ टन भेजा जा चुका है।

(ग) जी नहीं। सामान्य निर्णय यह है कि १-४-५६ से पहले के सभी असमायोजित आर्डर रद्द कर दिये जायें। (जो सभी राज्यों के मामले में लागू है।)

शिवसागर के स्मारक

†**१२१८. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) शिवसागर, आसाम में राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षित स्मारकों की देख भाल करने पर पिछले पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) क्या इन में से किसी स्मारक के निकट भविष्य में जीर्णोद्धार करने का कोई विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क)

	रुपये
१९५४-५५	१५,२२४.००
१९५५-५६	२१,२२४.००
१९५६-५७	१९,९९३.००
१९५७-५८	७,३८९.४४
१९५८-५९ (अक्तूबर, ५८ तक) . . .	२,८५६.०४

(ख) जी नहीं। पुरातत्व विभाग स्मारकों की देख-रेख और उनकी मरम्मत करता है, उनका जीर्णोद्धार नहीं करता।

निवृत्ति वेतन

†**१२१९. श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की रियासत की भूतपूर्व सेनाओं के भारतीय सेनाओं में विलयन हो जाने के पश्चात् भी सभी कर्मचारियों के लिये निवृत्ति वेतन मंजूर कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो लम्बित मामलों में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों की सेनाओं के एककों (जो गैर-भारतीय सेना एककों से भिन्न हैं) कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन/उपदान संबंधी दावों का निपटारा करना जिन्हें रियासत की सेना के भारत सेना में विलयन होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया था, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। निवृत्ति वेतन उपदान के हकदार ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या ११,१६६ थी। २३ मामलों को छोड़ कर उनके निवृत्ति वेतन/उपदान के दावों का निबटारा कर दिया गया है।

(ख) २३ अनिर्णीत मामलों में शीघ्रता करने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) बाजे वालों के १९ मामलों में असैनिक निवृत्ति वेतन नियम लागू होते हैं। नियमित सर्विस बुक के अभाव में और पिछले तीन वर्षों का औसत वेतन का हिसाब लगाने में कठिनाई के कारण ये मामले अब तक रोक लिये गये थे। निम्न के लिये विशेष सरकारी मंजूरी दी गई है :—

(१) एक विशेष मामले के रूप में पुनः तैयार की गई सर्विस बुक और उस में की गई प्रविष्टियां स्वीकार करना; और

(२) सामान्य वेतन के आधार पर उन का निवृत्ति वेतन निर्धारित करना।

निवृत्ति वेतन मंजूर करने वाला प्राधिकार उदाहरणतः प्रतिरक्षा लेखा (निवृत्ति वेतन) नियंत्रक, इलाहबाद से यह बताने के लिये कहा गया है कि क्या कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं जिन के बारे में सरकारी आदेशों की आवश्यकता है।

(२) एक मामले में पदाधिकारी के सेवा काल में तीन स्पष्ट परिवर्तन हुए थे, रियासत की सेना में दो बार एक जयपुर राज्य में एक असैनिक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से। उसे कितना निवृत्ति वेतन मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है। रियासत की सेना में उस ने जितने काल तक अन्तिम बार नौकरी की थी उस के लिये उपदान की मंजूरी देने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। अन्य दो बार उस की सेवा में जो परिवर्तन हुए उस के लिये भी निवृत्ति वेतन देने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) पदाधिकारियों के जो तीन और मामले अनिर्णीत हैं उन के बारे में आरम्भ में ही इस दृष्टि से कि वे अनियमित पदाधिकारी थे, उपदान को अनुमति देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके थे। तत्पश्चात् यह पता लगा कि उन्हें रियासत का नियमित कमीशन प्राप्त था। राजस्थान रियासत की सेना के नियमित पदाधिकारियों के रूप में उन्हें निवृत्ति/उपदान मंजूर करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में जल संभरण

†१२२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ में वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन से दिल्ली और नई दिल्ली को दिये जाने वाले जल संभरण को बहाल करने के लिये भारतीय सशस्त्र सेना की सहायता लेनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में पम्पिंग स्टेशन पर कितने पर सशस्त्र सेना के कितने व्यक्तियों को काम करना पड़ा; और

(ग) पम्पिंग स्टेशन तक पानी पहुंचाने वाली नहरों की खुदाई करने में सेना को कितनी सफलता मिली ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां।

(ख) अधिक से अधिक ६८५ कर्मचारी काम पर लगाये गये। पम्पिंग स्टेशन पर कार्य की मात्रा के अनुसार इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहा।

(ग) पम्पिंग स्टेशन में पानी ले जाने वाली चैनलों की खुदाई करने में वे सफल रहे। १९ अगस्त, १९५८ की रात को सेना ने दिल्ली को पानी सप्लाई करने का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और ४८ घंटों में उन्होंने एक अस्थायी चैनल बना कर सप्लाई बहाल कर दी। २९ अगस्त, १९५८ तक वे अस्थायी चैनल से काम लेते रहे और इस दौरान में उन्होंने मुख्य चैनल की खुदाई पूरी कर ली। उस के पश्चात् उन्होंने २५ अक्तूबर, १९५८ तक मुख्य चैनल से काम लेना जारी रखते हुए सारा उत्तरदायित्व दिल्ली निगम के सुपुर्द कर दिया।

"स्टोरी आफ लाइफ"[1]

†१२२१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्टोरी आफ लाइफ" की पांडुलिपि का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रकाशित होने वाली है; और

(ग) इस की बिक्री कब आरम्भ होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी "स्टोरी आफ लाइफ" की पांडुलिपि का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†नूज अंग्रेजी में

1. Story of Life.

हिमाचल प्रदेश में पंचायत घर

१२२२. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के अनुसार अब तक कितने पंचायत घर निर्मित हो चुके हैं;

(ख) वर्ष १९५८-५९ में अब तक कितने पंचायत घर बनाये जा चुके हैं; और

(ग) योजना कब तक पूरी होगी ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) (क) १२ पंचायत घर बनाये जा चुके हैं।

(ख) और (ग). २२ पंचायत घर बनाए जा रहे हैं और अन्य १६ पंचायत घरों के लिये सामान प्राप्त किया जा रहा है। दूसरी पंचसाला योजना के अन्त तक ९२ पंचायत घर बनाने की योजना है और आशा है कि योजना काल के समाप्त होने तक ये बन कर तैयार हो जायेंगे।

केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण संस्था

१२२३. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आपात प्रशिक्षण संस्था, नागपुर में अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) प्रशिक्षार्थी के लिये योग्यता और आयु का क्या माप दंड अपेक्षित है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) ४१९।

(ख) विभिन्न कोर्सों में ट्रेनिंग पाने के लिये लोगों की आवश्यक योग्यताओं और उम्र का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१]**

आदिम जातियों के ऋण

१२२४. { श्री पद्म देव :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्ष से अधिक काल से ऋण की कितनी राशि का भुगतान नहीं हुआ जिसे केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक बट्टे खाते में डाल दिया गया है; और

(ख) क्या आदिम जाति के लोगों से वसूल किये जाने वाले ऋण की कुल राशि को जानने के प्रयत्न किये गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिस में राज्य सरकारों द्वारा इस सिफारिश पर की गई कार्यवाही या इस मामले में उन के विचार दिये हुए हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

१२२५. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) वर्ष १९५५–५६ में हिमाचल प्रदेश विधान सभा और उसके प्रशासन पर कितना व्यय किया गया ; और

(ख) वर्ष १९५७–५८ में हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद् को अनुदान और अंशदान देने पर कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) ४,१३,६९४ रुपये ।

(ख) ७१,४५,००० रुपये ।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

१२२६. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ख) क्या भर्ती करते समय हिन्दी जानने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या हिन्दी के सारे पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं । पुलिस और जेल विभागों के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का इन्तजाम किया गया है ।

(ख) और (ग). हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और नौकरी के लिए आने वाले नये उम्मीदवार हिन्दी जानते हैं ।

(घ) ज्यादातर ।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी

†**१२२७. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि और उपदान का भुगतान कर दिया जाता है या कि काफी समय बाद ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को भुगतान करने के मामले दो तीन वर्ष से लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो युद्ध सामग्री कारखानों, युद्ध सामग्री डिपो, एम० ई० एस० और टैक्नीकल विकास प्रतिष्ठान में १ अक्तूबर १९५८ को कितने मामले लम्बित थे; और

(घ) इस विलम्ब को दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्राय: ऐसा नहीं होता ।

(ख) जी हां ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कुछ मामलों का निबटारा करने में असाधारण विलम्ब होने के कारणों की व्याख्या करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें यह भी बताया गया कि उनका शीघ्र निबटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]**

दोहरे कराधान के बारे में भारत-कनाडा वार्ता

†१२२८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरे कराधान से बचने के बारे में भारत कनाडा वार्ता पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समझौता हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). एक शिष्टमण्डल जिसमें श्री वी० वी० चारी, सदस्य, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (नेता), श्री एच० एन० नम्बी, सचिव, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड और श्री एम० एस० शिवरामकृष्ण, अवर सचिव, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, थे १ दिसम्बर, १९५८ को कनाडा गया। वे कनाडा के कराधान प्राधिकारियों के साथ इस उद्देश्य से बातचीत करेंगे कि आप पर दोहरे कराधान को रोकने के लिये कोई समझौता करने की कोई सम्भावना है या नहीं।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१२२९. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री प्र० गं० देब :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) अब तक कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल खोले गये हैं ; और

(ख) बहुप्रयोजनीय स्कूल से शिक्षा प्राप्त छात्र और सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक पास छात्र के स्तरों में क्या अन्तर होता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंकड़े ये हैं:—

उड़ीसा	३
त्रिपुरा	८
आसाम	१७
उत्तर प्रदेश	४३
मद्रास	१३५
बिहार	२५
आंध्र प्रदेश	४३
राजस्थान	३८
मध्य प्रदेश	३०
पश्चिमी बंगाल	३७८
केरल	११२
मैसूर	३८
जम्मू और काश्मीर	८
बम्बई	१६४
कुल	१०४२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उच्चतर माध्यमिक बहुप्रयोजनीय स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई विद्यार्थी तीन वर्ष के डिग्री कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकता है जबकि एक साधारण माध्यमिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र को चार वर्ष का कोर्स करना पड़ेगा या एक वर्ष के लिये उसे 'विश्वविद्यालय पूर्व' का कोर्स लेना पड़ेगा ।

आयकर की बकाया राशि

†१२३०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन करदाताओं के पास आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है जिन्हें एक लाख से अधिक कर देना था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उन करदाताओं से, जिनकी बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है, आयकर (जिसमें अतिरिक्त लाभकर और व्यापार लाभकर भी शामिल हैं) की कुल बकाया राशि ३०–९–१९५८ को १५४·६८ करोड़ रुपये थी ।

केन्द्रीय कांच तथा सिरेमिक गवेषणा संस्था

†१२३१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की केन्द्रीय कांच तथा सिरेमिक गवेषणा संस्था ने बेकार अभ्रक का प्रयोग करके 'वेट ग्राउण्ड अभ्रक' बनाने की विधि का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई विधि का क्या प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) इस नई विधि से भारत में कितना 'वेट ग्राउण्ड अभ्रक' तैयार किया जा सकता है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां ।

(ख) इस विधि द्वारा रंग-रोगन, रबड़, प्लास्टिक और ढलाई के उद्योगों में काम आने वाले 'वेट ग्राउण्ड' अभ्रक का उत्पादन किया जा सकता है ।

(ग) राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम इसके वाणिज्य विदोहन के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । प्रारम्भ में १००० टन 'वेट ग्राउण्ड' अभ्रक प्रति वर्ष तैयार करने वाला एक यूनिट लगाने का सुझाव दिया गया है ।

फंड बैंक वार्षिक सम्मेलन

†१२३२. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री दे० वें० राव :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में किये गये फंड–बैंक के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्य देशों से आने वाले प्रतिनिधयों को क्या सुविधायें दी गईं; और

(ग) इन सम्मेलनों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नई दिल्ली में किये गये फंड–बैंक सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल की रचना सभा-पटल पर रखी गई सूची में बताई गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]

(ख) फंड–बैंक जैसी संयुक्त राष्ट्र संगठन के विशिष्ट अभिकरणों द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले शिष्टमंडलों को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत जो सुविधायें मिलती हैं उनके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क परिवहन (प्रत्येक शिष्टमंडल को एक बार) और आगरा अथवा जयपुर की यात्रा करने की सुविधायें दी गई थीं और प्रतिनिधियों के लिये कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सवों का भी आयोजन किया गया था।

(ग) ठीक-ठीक यह बताना संभव नहीं कि सम्मेलन पर भारत सरकार का कितना खर्च हुआ क्योंकि अभी कुछ बिल नहीं मिले हैं। अनुमान है कि खर्च ६ लाख रुपये के लगभग हुआ ?

केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था

†१२३३. श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में एक केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संस्था अपना कार्य कब आरम्भ करेगी ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०५]

(ग) लगभग एक वर्ष में अनुसन्धान कार्य आरम्भ हो जायेगा।

दिल्ली में चोरियां और डकैतियां

†१२३४. श्री राम कृष्ण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों से सवाल जवाब करने पर पुलिस को दिल्ली में हुई बहुत सी डकैतियों, लूट के मामलों और चोरियों का सुराग मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों से सवाल जवाब किये गये और कितनों को गिरफ्तार किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन से कोई सम्पत्ति बरामद हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो वह सम्पत्ति किस प्रकार की थी ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) १० ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक कार, मोटर के पुर्जे, डाक्टरों के बैग, घड़ियां, वस्त्र, टाइपराइटर और साइकलें जिनका मूल्य ४६,७५० रुपये है । इसके अतिरिक्त दो कारें और ३ रिवालवर, जिनका प्रयोग वे डकैतियां करते समय किया करते थे, भी प्राप्त हुए ।

पश्चिमी बंगाल उड़ीसा विवाद

†१२३५. श्री राम कृष्ण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तट पर मछलियां पकड़ने के अधिकारों सम्बन्धी पश्चिमी बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार के विवाद का निबटारा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समझौता हुआ है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). पूर्वी ज़ोनल परिषद् के गत बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी और यह निश्चय किया गया था कि इस बारे में समझौता करने के लिये दोनों सरकारों के मुख्य सचिव विचार करें। आगे क्या प्रगति हुई इस बारे में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

स्टेट एसोसियेटिड बैंकों का भारत के राज्य बैंक के साथ मिलाया जाना

†१२३६. श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वोडयार :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री अगाड़ी :

क्या वित्त मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की इन सिफारिशों पर कि प्रमुख स्टेट एसोसियेटिड बैंकों को भारत के राज्य बैंक में मिला दिया जाये, विचार करके उसका परीक्षण किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया;

(ग) भारत के राज्य बैंक में कौन-कौन से बैंक मिलाये जाने वाले हैं ; और

(घ) अंशधारियों को किस दर से प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशों के मूल सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है ।

(ग) और (घ). अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

काश्मीर का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१२३७. **श्री राम कृष्ण :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा काश्मीर में किये गये खनिज पदार्थों के अनुसंधान के प्रतिवेदन तैयार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९५७-५८ में काश्मीर में भारत के भूतत्वीय सवक्षण द्वारा खनिज पदार्थों के लिये किये गये अनुसन्धान के दो प्रतिवेदन तैयार हो चुके हैं।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनुसन्धान के प्रतिवेदन की प्रतियां सभा-पटल पर नहीं रखी जाती हैं। यदि माननीय सदस्य की अभिरूची हो तो मैं उन्हें १९५७-५८ के 'फील्ड सीज़न' में काश्मीर में किये गये कार्य के प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कर सकता हूं। ये प्रतियां कुछ समय में प्रकाशित हो जायेंगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये संयंत्र तथा मशीनरी

†१२३८. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक रूरकेला इस्पात कारखाने को केवल २६ करोड़ रुपये के संयन्त्र तथा मशीनें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या शेष संयन्त्र मंगवाया जा चुका है ;

(ग) अब तक प्राप्त हो चुके संयन्त्र तथा मशीनरी में से कितना लगाया जा चुका है ; और

(घ) कितने प्रतिशत संयन्त्र और मशीनरी प्राप्त हो चुकी और लगाई जा चुकी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). ३१ अक्तूबर, १९५८ तक १,९४,७८० टन संयन्त्र और मशीनरी रूरकेला में पहुंचाई जा चुकी है जिसमें से ८५,६७६ टन लगाई जा चुकी है। इसका ठीक-ठीक मूल्य ज्ञात नहीं है। शेष संयन्त्र अनुसूचित कायक्रम के अनुसार मंगवाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) संयन्त्र और उपकरण का ५७ प्रतिशत भाग मंगवाया जा चुका है और इस में से ४४ प्रतिशत लगाया जा चुका है ।

इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब

†१२३९. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील (प्राईवेट) लिमिटेड अथवा सरकार ने यह हिसाब लगाया है कि कारखानों के निर्माण में विलम्ब के कारण प्रतिदिन कितनी हानि हो रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विलम्ब को कम करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). जैसा कि ८ सितम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर में बताया गया था संयंत्र के विभिन्न विभागों का काम पूरा करने की तिथियां प्रारम्भ में ही निश्चित कर दी गई थीं । संविदाओं में भी इन तिथियों का उल्लेख किया गया था ताकि कार्य समय पर समाप्त हो जाये और अन्य कार्य से उन का समन्वय रहे । हानि का अनुमान इस आधार पर लगाना पड़ेगा कि यदि विभागों का काम निश्चित तिथियों पर पूरा हो जाता तो उत्पादन की रफ्तार क्या होती । कारखाने के सभी विभागों को पूरा उत्पादन करने में कुछ समय अवश्य लगेगा । कितना समय लगेगा यह केवल इस पर निर्भर नहीं करता कि काम किस प्रकार है और उस में क्या कठिनाइयां हैं बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि कार्य करने वाले कितने दक्ष और प्रवीण हैं । हानि का अनुमान लगाने के लिये ये पूर्व धारणायें भी बनानी पड़ेंगी कि जितना उत्पादन होता उतना आयात भी करना पड़ता । इन कारणों से इस प्रकार का हिसाब लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता । परन्तु यदि धारणा बना ली जाये कि पूर्ण उत्पादन करने के लिये उतना ही समय लगेगा चाहे वह कभी भी आरम्भ किया जाये तो इस यथाकथित हानि का हिसाब प्रति दिन उत्पादन के मूल्य के आधार पर यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग पूर्ण क्षमता से उत्पादन कर रहा था, लगाना पड़ेगा । प्रत्येक संयंत्र में प्रति दिन २००० टन तैयार इस्पात का उत्पादन होगा । इस का मूल्य मोटे तौर पर ९ लाख रुपये होगा । हिन्दुस्तान स्टील प्राईवेट लिमिटेड को कितना लाभ होगा इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ग) कार्य को शीघ्र समाप्त करने और जहां कहीं सम्भव है समय की कमी को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कोयला उत्पादन के लक्ष्य

†१२४०. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोयला उत्पादन पर कुल कितना खर्च किया गया और इस प्रयोजनार्थ १९५८-५९ में कितना खर्च करने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किये गये खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह जानकारी एकत्र करने में काफी समय और मेहनत लगेगी क्योंकि कोयला खानों की संख्या बहुत है।

सरकारी क्षेत्र के बारे में जानकारी यह है :—

१९५६-५७ .	१,०४,७०,००० रुपये
१९५७-५८	३,३२,६५,००० रुपये
१९५८-५९ .	१०,७२,७०,००० रुपये
	(खर्च होने की सम्भावना है)

केरल विश्वविद्यालय

†१२४१. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल विश्वविद्यालय में समुद्र विज्ञान[1] विभाग स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग को कोई विशेष अनुदान दिया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां। १९४० में भूतपूर्व त्रावनकोर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये मेराइन बायालोजी विभाग की गतिविधियों का विस्तार कर के उसे 'बायालोजिकल ओशियनोग्राफी' विभाग का नाम दे दिया गया है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभाग के विकास के लिये १९५७-६१ की अवधि के लिये निम्नलिखित राशियां अनुमोदित तथा स्वीकृत की हैं :—

प्रयोजन	कुल अनुमोदित लागत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान
	रुपये	रुपये
अनावर्तक		
१. इमारतें, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यकतायें	५,५०,०००	३,६६,६६५
२. उपकरण . .	१,००,०००	६६,६६६
कुल अनावर्तक	६,५०,०००	४,३३,३३१
आवर्तक (१९५७-६१ की कुल अवधि के लिये)		
कर्मचारियों तथा संचालन .	८३,०००	४१,५००

†मूल अंग्रेजी में

[1]. Oceanography,

कोलम्बो जाने वाले यात्रियों की गिरफ्तारी

†१२४२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इटली के 'एशिया' नामक जहाज़ में जनेवा से कोलम्बो जाने वाले दो यात्रियों को १४ अक्तूबर १९५८ को बम्बई में इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया कि उन के कैबिन में ऐसे दस्तावेज़ मिले जिन से वे अपराधी ठहराये जा सकते थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जी हां ।

शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का रक्षण

†१२४३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने केन्द्रीय मंत्रालय की इस प्रार्थना को स्वीकार किया है कि शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये २० प्रतिशत स्थान रक्षित रखे जायें और इन छात्रों के लिये आयु सीमा तीन वर्ष और बढ़ा दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०६]

सोने का चोरी छिपे व्यापार

†१२४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जलपोत एस० एस० 'द्वारका' के एंजिन रूम से २,२०,००० रुपये का सोना २० अक्तूबर, १९५८ को बम्बई के सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने उस समय निकाला जब जहाज़ फारस की खाड़ी से आया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

खान तथा व्यावहारिक भूतत्व शास्त्र का भारतीय स्कूल, धनबाद

†१२४५. { **श्री झूलन सिंह** :
श्री ब० प्र० सिंह :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद के खान तथा व्यावहारिक भूतत्व शास्त्र के भारतीय स्कूल में प्रिंसिपल के अतिरिक्त एक निदेशक की नियुक्ति के पश्चात् अध्यापन तथा प्रशासनिक प्रबन्ध में क्या सुधार हुए ;

(ख) नये प्रबन्ध के कारण कुल कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ; और

(ग) निदेशकों की नियुक्ति किन कारणों से संघ लोक-सेवा आयोग की सिफारिशों से नहीं की गई ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) स्कूल के विस्तार तथा विकास की एक योजना लागू की जा रही है । खान इंजीनियरिंग का डिग्री का पाठ्यक्रम दुगना कर दिया गया है तथा व्यावहारिक भू-भौतिक के लिये नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ३१-३-१९५८ तक ३३,००० रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है। इस समय ३३६ रुपये प्रति माह का अतिरिक्त व्यय है।

(ग) भारत के भूतत्वीय परिमाप के भूतपूर्व निदेशक, जिन की सेवायें बढ़ा दी गई थीं, खान तथा व्यावहारिक भूतत्व शास्त्र के भारतीय स्कूल के १ मई, १९५७ से ३० जून, १९५८ तक निदेशक थे। संघ लोक-सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के अनुसार एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये अस्थायी तौर पर यह नियुक्ति की गई। इस पद को स्थायी बनाने की स्वीकृति तथा तत्पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से इस पर नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अलीपुर तथा कंझावाला ब्लाक

†१२४६. **श्री वाजपेयी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली प्रदेश के अलीपुर तथा कंझावाला ब्लाक में कई हज़ार एकड़ भूमि में, नालियां बन्द हो जाने के कारण पानी भर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि भारी वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर पानी भर गया है।

(ख) नियमित नालियों में मिलाने वाली नई अस्थायी नालियां स्थानीय ग्रामवासियों की सहायता से खोद कर यथासंभव पानी निकाला जा रहा है।

जामसर जिप्सम खानें

१२४७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में जामसर जिप्सम खान के अन्तर्गत कितने क्षेत्रफल भूमि है और जमीन के स्तर से वह कितने घन फुट नीची है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) बीकानेर डिवीजन में "सर्वश्री बीकानेर जिप्सम लि०" की दोनों खानों का क्षेत्रफल ४.२७ वर्गमील है। इन खुली खानों में काम करने का स्थान जमीन के स्तर से ३० फीट नीचा है।

त्रिपुरा परिषद् के कर्मचारी

†१२४८. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् द्वारा स्वीकृत संकल्प की एक प्रति सरकार को मिली है जिस में प्रादेशिक परिषद के कर्मचारियों की सेवाओं को निवृत्ति वेतन की सेवायें बनाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

त्रिपुरा प्रशासन

†१२४९. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन को अगरताला के नगरीय क्षेत्र में लगाये जाने वाले नये कर प्रस्तावों, जिन की अधिसूचना त्रिपुरा गजट में की गई है, के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी हां। प्रशासन को किराया-दर प्रतिवेदन के प्रारूप में अगतरताला नगर के लिये प्रस्थापित किरायों की दरों के विरुद्ध कितनी ही आपत्तियां मिली हैं। उन की जांच की जा रही है।

चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†१२५०. **श्रीमती मफीदा अहमद** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ अक्तूबर, १९५८ के एक फ्रांसीसी स्टीमर से, अदन से वापस आते हुए एक भारतीय यात्री के पास से बम्बई सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने २४० तोला सोना पकड़ा, और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां। फ्रांसीसी जहाज एस एस "कैम्बेज" के द्वारा अदन से आये एक भारतीय यात्री के सामान में से बम्बई सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने २४२ तोले सोना पकड़ा। सोने की सलाखें बना ली गयी थीं सन्दूक में सब से नीचे रखी हुई थीं। सोने पर काला रोगन किया हुआ था तथा पेरिस प्लास्टर लगा हुआ था।

प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन

†१२५१. **श्री उ० चं० पटनायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन में प्रत्येक श्रेणी में कितने वैज्ञानिकों की स्वीकृति है तथा इस समय कितने काम कर रहे हैं; और

(ख) संगठन के कर्तव्य क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन के लिये वैज्ञानिक परामर्शदाताओं समेत १७ वरिष्ठ नियुक्तियों के अतिरिक्त १४५ वरिष्ठ तथा १२६ कनिष्ठ वैज्ञानिक/प्रविधिक पदाधिकारी स्वीकृत हैं। इस समय १६ वरिष्ठ पदाधिकारी (मुख्य वैज्ञानिक पदाधिकारी तथा इससे उच्च पद) तथा १६३ वरिष्ठ तथा कनिष्ठ पदाधिकारी (वरिष्ठ वैज्ञानिक पदाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वरिष्ट वैज्ञानिक पदाधिकारी द्वितीय श्रेणी तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक पदाधिकारी) इस समय नियुक्त हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संक्षेप में प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन सेना, नौबल तथा वायु बल के उपकरण जैसे शस्त्रास्त्र, गोली बारूद, इलैक्ट्रोनिक, इंजीनियर भांडार, विमान तथा मोटर गाड़ी की गवेषणा, डिजाइन तथा विकास के लिये जिम्मेदार है ।

रेडियो वाल्व

†१२५२. **श्री मुरारका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में रेडियो वाल्व बनाने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेश से सहायता लेने का विचार है; और

(ग) योजना में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) सिद्धान्त रूप में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने रेडियो वाल्व बनाने का निश्चय कर लिया है ।

(ख) और (ग). एक विदेशी सार्थ से सहायता के बारे में बात चीत काफी आगे बढ़ चुकी है ।

पाकिस्तानियों का निश्चित अवधि से अधिक ठहरना

†१२५३. { **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९५८ तक जितने वीसा तथा अनुमति पत्र जारी किये गये थे, उनके अनुसार निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात् ८०,००० से अधिक पाकिस्तानी राष्ट्रजन, भारत में ठहरे हुए थे;

(ख) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये पाकिस्तानियों की जातिवार अब क्या संख्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन होने के पश्चात् बिना किसी वीसा अथवा अनुमति पत्र के भारत में आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या अब बढ़ गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विमानों के ढकने के लिये तिरपाल

†१२५४. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के ढ़कने के लिये तिरपालों का इतना उत्पादन होने लगा है कि आई०ए० एफ० के प्रत्येक स्टेशन को एक दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो कितने बनाये जा चुके हैं तथा उनका उत्पादन व्यय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) देश में उत्पादित तिरपालों को कुछ विमान बल के हवाई अड्डों को दिया गया है ।

(ख) लगभग ५१,००० रुपये के व्यय पर ११९ तिरपाल लिये गये हैं ।

शकूर बस्ती में नागरिक सुविधायें

†१२५५. { **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोहतक रोड की शकूर बस्ती के निवासियों क, नागरिक सुविधाओं के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर पालिका निगम शकूरबस्ती समेत ऐसे सभी क्षेत्रों का जिन में मूलभूत सुविधायें नहीं हैं, सर्वेक्षण कर रही है तथा निधि प्राप्त होने पर इन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये योजनायें बनायेगी ।

दिल्ली में हाई स्कूल

१२५६. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली राज्य में कितने हाई स्कूल हैं और इन स्कूलों में कितने अस्थायी तथा कितने स्थायी अध्यापक लगे हुए हैं;

(ख) दिल्ली राज्य में इस समय अध्यापकों को स्थायी बनाने की क्या प्रणाली है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली में और हाई स्कूल खोलने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो कब तक इसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) (१) दिल्ली में ४१ सरकारी और २१ सहायता प्राप्त गैर-सरकारी हाई स्कूल हैं ।

(२) सरकारी हाई स्कूलों में ७०८ अस्थायी और ४२९ स्थायी अध्यापक काम कर रहे हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है जो यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) स्थायी पदों पर पक्की नियुक्ति प्रवरता के आधार पर की जाती है, पर प्रवरता के साथ संतोषजनक काम और अच्छा स्वास्थ्य होना भी आवश्यक है ।

(ग) दिल्ली में ऐसे और हाई स्कूल खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। हां, नये उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने और/या वर्तमान हाई स्कूलों को क्रमशः उच्च माध्यमिक स्कूलों में बदलने का एक कार्यक्रम अवश्य बनाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल भूमि विकास तथा आयोजन अधिनियम

†१२५७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५१ तथा १९५५ के पश्चिमी बंगाल भूमि विकास तथा आयोजन (संशोधन) अधिनियमों को त्रिपुरा में लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५१ का संशोधन अधिनियम त्रिपुरा में लागू नहीं किया गया क्योंकि इस का उस प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं था। १९५५ के अधिनियम को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

प्रिविलेज टिकट आर्डर

१२५८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रिविलेज टिकट आर्डर के उपयोग के बारे में जो सूचना एकत्रित की जा रही थी उस का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : अभी कुछ मंत्रालयों से सूचना आनी बाकी है, उस के प्राप्त होने पर पूरी सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का सर्वेक्षण

१२५९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ में भूगर्भ-शास्त्रियों ने उत्तर प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों यथा, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून और टिहरी-गढ़वाल के किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया;

(ख) उन स्थानों के खनिज निक्षेपों के बारे में उनके द्वारा दी गयी रिपोर्टों का सार क्या है;

(ग) उन खनिज निक्षेपों की खुदाई के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) वर्ष १९५८-५९ के लिये कौन सा कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) कर्मचारी वर्ग और उपकरणों की कमी के कारण भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने १९५७-५८ के क्षेत्र में काम करने वाले मौसम में केवल अल्मोड़ा जिले के शिक्षानी, पियोरगढ़, देवलथाल और बड़ा अगार नामक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया ।

(ख) और (ग). अब तक जो काम किया गया है उससे किसी विशेष जलमार्ग का पता नहीं लगता । लेकिन भारत में नान फैरस धातुओं के महत्व के कारण तांबा और सीसे के भूभंडारों की खोज का काम बढ़ाया जा रहा है और अधिक क्षेत्र पर किया जा रहा है ।

(घ) १९५८-५९ के लिये जो कार्यक्रम बनाया गया है उस में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का १९५८-५९ के लिये क्षेत्रीय कार्यक्रम भी सम्मिलित है । जिसकी प्रति संसद् के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफजलगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती

१२६०. श्री भक्त दर्शन: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में अफजलगढ़ स्थित भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती में इस बीच सुधार के और कौन से कार्य सम्पन्न हुए हैं;

(ख) इस बस्ती को पूर्णतया विकसित करने के लिये अब कौन से कार्य शेष हैं;

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) उन कार्यों के अभी तक भी पूरा न हो सकने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) भूतपूर्व सैनिकों की अफजलगढ़ की बस्ती में अक्तूबर, १९५७ से अक्तूबर, १९५८ के समय में यह यह काम सम्पन्न हुए हैं :—

लगभग ११५० एकड़ भूमि को कृषियोग्य बनाया गया है । एक पंचायतघर-युक्त-प्राइमरी स्कूल तैयार किया गया है । एक छोटा डाकघर और ४ बच्चों के पार्क खोले गये हैं । अफजलगढ़-कालागढ़ मार्ग के दो मील टुकड़े पर पत्थर बिछाये गये हैं और बस्ती के गांवों को मिलाने वाली ४ मील लम्बी कोलतार सड़क तैयार की गई है । २० मील बिजली के तार बिछाये गये हैं । एक आटे की चक्की और चार खांड केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

एक चीनी का कारखाना जिसमें प्रतिदिन १००० मन गन्ना पीड़ा जा सकेगा तैयार हो रहा है और जनवरी, १९५९ में उसमें उत्पादन जारी होने की आशा है ।

१६ और भूतपूर्व सैनिकों को बसाया गया है और उन्हें १६ जोड़ी बैल दिये गये हैं ।

(ख) लगभग १९०० एकड़ भूमि अभी कृषियोग्य बनानी बाकी है । एक जूनियर हाई स्कूल, २ पंचायतघर, बसने वालों के लिए २७२ क्वार्टर, एक जच्चाखाना-तथा-शिशुकेन्द्र, लोहारे-तथा-बढ़ई का कारखाना, और पशुचिकित्सालय भी तैयार करने हैं । दो छोटे डाकघर, चार प्राइमरी स्कूल और ४ बच्चों के पार्क खोले जाने हैं । ग्राम्य दस्तकारियां स्थापित करनी हैं ।

(ग) भूमि को कृषियोग्य बनाने का काम प्रगतिशील है । जूनियर हाई स्कूल की इमारत के लिए निधि जुटाने का प्रबन्ध हो रहा है । दूसरे मदों के बारे में प्राथमिक पग उठाये गये हैं और शेष मदों को जितना शीघ्र हो सके कार्यान्वित करने के लिए यत्न किये जा रहे हैं ।

(घ) बस्ती का विस्तार क्रमशः हो रहा है और विभिन्न कार्य आवश्यकता और बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि अनुसार संपन्न किये जा रहे हैं ।

बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†**१२६१. श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान हायर सेकेन्डरी स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन स्कूलों के परिवर्तन के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हमारी जानकारी के अनुसार १०४२ सेकेन्डरी स्कूलों (माध्यमिक विद्यालयों) को बहुप्रयोजनीय स्कूल बना दिया गया है ।

(ख) प्रगति संतोषजनक है तथा आशा है कि १४३७ बहुप्रयोजनीय स्कूल बनाने का लक्ष्य द्वितीय योजना में पूरा हो जायेगा ।

मनीपुर में खेल

†१२६२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में मनीपुर में खेलों की उन्नति के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ; और

(ख) १९५८-५९ में अब तक मनीपुर की किन-किन खेल सन्थाओं को कितना कितना सहायक अनुदान दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). १९५८-५९ में मनीपुर में खेलों की उन्नति के लिए भारत सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है । अनुदान तदर्थ आधार पर दिये जाते हैं तथा १९५८-५९ में किसी राज्य के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है । परन्तु मनीपुर प्रशासन ने अब तक निम्न प्रकार से २,८०० रुपये की राशि स्वीकार की है :

(१) मुख्य आयुक्त के विवेकानुदान में से अखिल मनीपुर खेल सन्था (ऑल मनीपुर स्पोर्ट्स एसोसियेशन) को ६०० रुपये ।

(२) मुख्य आयुक्त के विवेकानुदान में से अखिल मनीपुर बैडमिंटन सन्था को २०० रुपये ।

(३) शिक्षा आय-व्ययक में से छः भिन्न भिन्न केन्द्रों में, पांच पहाड़ों में तथा एक घाटी में, स्कूल खेलों का संगठन करने के लिए २००० रुपये ।

मनीपुर में आदिम जाति क्षेत्र

†१२६३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्रों में सिंचाई और भूमि कृष्यकरण के लिए १९५७-५८ में ६८,३४२ रुपये व्यय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सिंचाई के लिए कितनी लम्बी नहरें बनाई गई हैं तथा प्रत्येक परगने (सब-डिवीज़न) में कितने एकड़ भूमि खेती योग्य बनाई गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जी हां । ११९ एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए ८६$^{1}/_{4}$ मील लम्बी नहरें बनाने के लिए ६८,३४२ रुपये १९५७-५८ में व्यय किये गये थे । परगना (सब-डिवीजन) वार आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं तथा उपलब्ध

†मूल अंग्रेजी में

होने पर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त तामेंगलांग बहुप्रयोजनीय खण्ड में ५११ एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए २५ मील लम्बी सिंचाई की नहरें बनाने के लिए ७८,३१९ रुपये व्यय किये गये थे ।

मनीपुर में पिछड़े वर्गों के लिये साक्षरता केन्द्र

†१२६४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न ग्रामों में ७ साक्षरता केन्द्र खोले गये थे; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उसमें किस प्रकार का कार्य होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) पिछड़े वर्गों के लिए छः साक्षरता केन्द्र खोले जा चुके हैं । एक और केन्द्र इस महीने खोला जायेगा ।

(ख) मेज़ कुर्सी, उपकरण तथा अध्यापन और अध्ययन की वस्तुएं खरीदने के लिए प्रत्येक केन्द्र के लिए २७५ रुपये आवंटित किये गये हैं । प्रत्येक केन्द्र के एक अध्यापक को प्रति मास १० रुपये मानदेय के रूप में देने का उपबन्ध किया गया है । प्रत्येक केन्द्र दो घंटे के लिए संध्या काल में क्लास लगती है । केन्द्र में आने वाले व्यक्तियों को किताबें, स्लेटें आदि मुफ्त दी जाती हैं ।

सेना का फालतू सामान

†१२६५. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से १९५८ तक प्रत्येक वर्ष बेचे गये सेना के फालतू सामान का पुस्त व विक्रय मूल्य क्या है; और

(ख) सेना में फालतू सामान का पता लगाने की क्या व्यवस्था है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १९५४-५५ से १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में बेचे गये फालतू प्रतिरक्षा सामान के पुस्त मूल्य तथा विक्रय मूल्य निम्नलिखित हैं :—

	पुस्त मूल्य (रुपये)	विक्रय मूल्य (रुपये)
१९५४-५५	१८.७९ करोड़	४.३५ करोड़
१९५५-५६	२२.५४ करोड़	४.७८ करोड़
१९५६-५७	१३.३५ करोड़	३.४५ करोड़
१९५७-५८	११.५६ करोड़	३.४३ करोड़

सेना के फालतू सामान के मूल्य के अतिरिक्त इन आंकड़ों में नौ बल, विमान बल, तथा आयुध कारखानों के भांडारों के मूल्य भी शामिल हैं । उत्सर्जन संगठन (डिस्पोज़ल्स आर्गेनाइज़ेशन),

†मूल अंग्रेजी में

जिससे ये आंकड़े मंगाये गये हैं, नौ बल, विमान बल तथा आयुध कारखानों के फालतू सामान की अलग अलग सांख्यकी नहीं रखते हैं और इसीलिये केवल सेना के फालतू सामान का मूल्य पता नहीं है ।

(ख) एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०७]**

सिपाही

†१२६६. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना के सिपाही का वेतन तथा सेवा की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सिपाही के लिए अनिवार्य भविष्य निधि योजना है; और

(ग) सेवा निवृत्त होने के पश्चात् उसको कितनी धनराशि निवृत्ति वेतन के रूप में दी जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क)

(एक) वेतन

भारतीय सेना के एक प्रशिक्षित सैनिक को वेतन के लिए, जिस श्रेणी में वह हो उसके अनुसार आठ वतन वर्गों में से किसी एक में रखा जाता है और फिर इस वर्ग के अन्दर भी उसे, उसकी प्रविधिक तथा शैक्षिक अर्हताओं व सेवा अवधि के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में से एक में रखा जाता है ।

(दो) सिपाही की वेतन दरें (जिसमें ३ रुपया माहवार आस्थगित वेतन भी शामिल है) निम्न हैं :—

(१) **भरती के समय रंगरूट**

	रुपये माहवार
(क) सामान्य भरती दर	२०.००
युवक सैनिक—एक वर्ष की सेवा के पश्चात्य दि सैनिक वेतन पाने के लिए प्रशिक्षित अथवा अर्ह न हुआ हो . . .	२२.५०
(ख) मैट्रिकों की भरती दर (उन रंगरूटों के लिए जिनका भरती के समय मैट्रिक होना आवश्यक है)	३५.००
(ग) प्रवीणों की भरती दर (कुछ वर्गों की श्रेणियों के रंगरूट, जिनके लिए भरती के समय प्रविधिक अथवा काम की अर्हता होना आवश्यक है)	वर्ग ३ अथवा ४ के उपयुक्त दर (जिस श्रेणी के लिए भरती किया जाये इसका निर्णय कमान पदाधिकारी करेगा) ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) प्रशिक्षित सैनिक

वर्ग	श्रेणी ४	श्रेणी ३	श्रेणी २	श्रेणी १
	प्रतिमास रु० नये पैसे	प्रतिमास रु० नये पैसे	प्रतिमास रु० नये पैसे	प्रतिमास रु० नये पैसे
(क)	—	७२.५०	८२.५०	९०.००
(ख)	४०.००	५२.५०	६२.५०	७२.५०
(ग)	३५.००	४५.००	५२.५०	६२.५०
(घ)	३०.००	३५.००	४५.००	५२.५०
(ङ)	—	३०.००	३५.००	४०.००
(च), (छ) तथा (ज)	—	२५.००	३०.००	३५.००

३. एक सिपाही को २.५० प्रतिमास की दो वृद्धियां—एक पांच वर्ष पश्चात् तथा दूसरी दस वर्ष पश्चात् मिलती है।

४. सिपाही को निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं:—

१. मंहगाई भत्ता—यदि वेतन ५० रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है तो २२.५० प्रतिमास और यदि उसका वेतन ५१.०० रुपये तथा १००.०० रुपये के बीच है तो २७.५० रुपये प्रतिमास।

२. प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता—उन स्थानों पर जहां कि उक्त भत्ता असैनिकों को मिलता है, असैनिकों से आधा।

३. राशन भत्ता—जब मुफ्त राशन नहीं दिए जाते, १.१७ रुपये से ३.०० रुपये प्रति व्यक्ति।

४. क्वार्टर न दिये जाने पर प्रतिकर नियमों के अधीन विवाहित को मिलने वाला स्थान न मिलने पर १०.५० रुपये प्रति मास। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। नई दिल्ली तथा शिमला में ५० प्रतिशत और।

५. 'कंज़र्वेंसी' भत्ता—नियमों के अधीन, जब निःशुल्क 'कंज़र्वेंसी' की व्यवस्था न हो, ७.०० रुपये प्रति माह अधिकतम।

६. कपड़ा भत्ता—व्यक्तिगत कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं को बदलने तथा उनकी मरम्मत के लिए। प्रशिक्षण के समय २.५० रुपये प्रति मास। रंगरूट को, तथा ५.०० रुपये प्रति माह प्रशिक्षित सैनिक को।

७. मुफ्ती कपड़ा भत्ता—मुफ्ती कपड़ा खरीदने के लिए १६.०० रुपये।

८. बाल कटवाने व धुलाई का भत्ता—जहां पर ये सेवायें उपलब्ध नहीं हैं २.०० रु० प्रति माह।

९. कुछ परिस्थितियों में अन्य विभिन्न भत्ते—जैसे पैराशूट वेतन १५.०० रुपये प्रति माह जब पैराशूट का काम कर रहा हो। पैराशूट में लगातार २ वर्ष तक काम करने के पश्चात् ५.०० रुपये प्रति मास वेतन में वृद्धि। भारत से बाहर जाने पर १०.०० रुपये प्रति मास विदेश भत्ता।

(दो) सेवा की शर्तें

सिपाही की सेवा की शर्तों में बहुत से आदेशों विनियमों का समावेश रहता है। इसलिये ये बहुत विस्तृत हैं। फिर भी मुख्य सेवा की शर्तें संक्षिप्त में नीचे दी जाती हैं।

सेवा अवधि

एक सिपाही की कुल सेवा अवधि में 'रिज़र्व' में काम की अवधि तथा दक्षता सेवा अवधि सम्मिलित होती है। बैंड मैंनों को छोड़ कर—क्योंकि उनकी रिजर्व सेवा नहीं होती—एक सिपाही की कुल सेवा अवधि जिस श्रेणी में वह हो उसके अनुसार होती है जो एक सशस्त्र सेवा से दूसरी में भिन्न हो सकती है। परन्तु सामान्यतः सेवा अवधि यह होती है :—

७ वर्ष 'कलर्स' में तथा ८ वर्ष 'रिज़र्व' में १२ वर्ष 'कलर्स' में तथा ८ वर्ष 'रिज़र्व' में १० वर्ष 'कलर्स' में तथा १० वर्ष 'रिज़र्व' में।

जो सिपाही योग्य होते हैं उनकी सेवायें बढ़ाई जा सकती हैं तथा 'कलर्स' और 'रिज़र्व' सेवा अवधि के अतिरिक्त भी निर्धारित शर्तों पर बढ़ाई जा सकती हैं।

पदोन्नति

निर्धारित परीक्षा पास करके तथा कुछ शर्तों को पूरा करके एक सिपाही नायक, हवलदार, जमादार, सूबेदार, तथा सूबेदार मेजर हो सकता है। जिनकी इनमें पदोन्नति हो उनको इन पदों के लिए निर्धारित अवधि तक सेवा पूरी करने की अनुमति है। एन सी ओ बन जाने के पश्चात् एक सिपाही, सैनिक कालिज, देहरादून की रक्षित रिक्त स्थानों में जाकर स्थायी नियमित कमीशन भी प्राप्त कर सकता है।

छुट्टी :

सिपाही को एक वर्ष में ३० दिन की आकस्मिक छट्टी मिल सकती है। जो एक बार में अधिकतम १० दिनों की होगी। (विशेष मामलों में इसको २० दिन की किया जा सकता है) वार्षिक छट्टी ६० दिन की होती है जिसको एक कैलण्डर वर्ष से दूसरे में नहीं ले जाया जा सकता है परन्तु यदि किसी वर्ष कोई सिपाही आकस्मिक छट्टी के अतिरिक्त और कोई छुट्टी नहीं लेता है तो अगले वर्ष वह ९० दिन की छट्टी ले सकता है। इसके अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी तथा विशेष छुट्टी भी उसको मिल सकती है। वार्षिक छुट्टी के साथ एक सिपाही को कर्तव्य के स्टेशन से, घर तक का एक रियायती यात्री पास मिलता है। यदि कव्यर्ट के स्टेशन से घर तक का मार्ग दो दिन से अधिक का हो तो सिपाही को वार्षिक छुट्टी के साथ घर तक पहुंचने के दिनों की अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाती है। यह रियायतें एक वर्ष में एक बार मिलती हैं।

(ख) जी नहीं। सशस्त्र सेना कर्मचारी भविष्य निधि में धन जमा करना सिपाही की इच्छा पर निर्भर है।

(ग) निवृत्ति वेतन की नई संहिता, जो १ जून, १९५३ से लागू है, के अधीन एक सिपाही सेवा निवृत्ति के पश्चात् सेवा निवृत्ति वेतन पाने का अधिकारी होता है। निवृत्ति वेतन की दर उसके 'वेतन वर्ग' तथा 'अर्हता सेवा अवधि' के अनुसार निश्चित की जाती है।

ये दर इस प्रकार हैं :–

पद (रेंक)	अर्हता सेवा के पूर्ण वर्ष	सेवा निवृत्ति वेतन की दरें					
		वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'	वर्ग 'ग'	वर्ग 'ध'	वर्ग 'ङ'	वर्ग 'च', छ तथा ज
१	२	३	४	५	६	७	८
		रुपये माहवार					
सिपाही	१५	२७	२२	२०	१७	१६	१५
	१६	२८	२३	२१	१८	१७	१६
	१७	२९	२४	२२	१९	१८	१७
	१८	३०	२५	२३	२०	१९	१८
	१९	३१	२६	२४	२१	२०	१९
	२०	३२	२७	२५	२२	२१	२०

नोट:—एक युवक सैनिक (जिसने प्रशिक्षित सैनिक के वेतन पाने की अर्हता प्राप्त नहीं की है) को १५ वर्ष या उससे अधिक की अर्हता सेवा पूरी करने के पश्चात् १४ रु० माहवार का निवृत्ति वेतन मिलेगा ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये टेलीफोन

१२६७. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक लगाये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) तीन के अलावा सब पुलिस स्टेशनों में ३१ मार्च १९५९ तक टेलीफोन लग जायेंगे । तार लग जाने के बाद बाकी तीन पुलिस स्टेशनों में भी टेलीफोन लगा दिये जायेंगे ।

हिमाचल प्रदेश के सम्बद्ध कालेज

†१२६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९५६ से १९५८ में अब तक हिमाचल प्रदेश के सम्बद्ध कालेजों को वास्तव में कुल कितनी राशि आवंटित की और कितनी का भुगतान किया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अध्यापकों के वेतन क्रमों में सुधार करने पर १९५७-५८ में हुआ अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दो सम्बद्ध कालेजों को अब तक ३,९२६ रुपये की राशि दी गयी है। १९५८–५९ में इस मद पर हुए व्यय के लिए भुगतान इन कालेजों से चालू वित्तीय वर्षों के वेतनों संबंधी विवरण प्राप्त होने पर किया जायगा। आयोग इन कालेजों के लिये इस मद के संबंध में प्रत्येक वर्ष कोई निश्चित राशि मंजूर नहीं करता।

पंजाब में शिक्षितों की बेरोजगारी

†**१२६९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में शिक्षितों की बेरोजगारी कम करने के लिये सरकार ने १९५८–५९ में पंजाब सरकार को कोई अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गयी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के भुगतान के लिये इस वर्ष जो नयी पद्धति लागू की गयी है उसके अनुसार अलग-अलग योजनाओं के लिये उन्हें पृथक अग्रिम मंजूरी नहीं दी जाती। इसके स्थान पर, विकास के सभी क्षेत्रों के लिये मंजूर की गयी कुल केन्द्रीय सहायता का ३/४ अंश तक 'अर्थोपाय पेशगी' के रूप में उन्हें एक मुश्त माहवारी किश्तों में दे दिया जाता है। ये किश्तें मई, १९५८ से आरम्भ होती हैं ।

इस योजना के अनुसार राज्य सरकारों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा सकेगी इसका हिसाब वर्ष की चौथी तिमाही में इस आधार पर लगाया जायेगा कि पहली तीन तिमाहियों में उन्होंने वास्तव में कितनी प्रगति की है और चौथी तिमाही के लिये उनके प्राक्कलन क्या हैं। इसी के अनुसार उस समय प्रत्येक योजना के लिये अलग अलग राशि मंजूर कर दी जायगी ?

भारत में विदेशी छात्र

†**१२७०. श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में जो विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भारत सरकार से कितनी वार्षिक सहायता मिल रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में यातायात संबंधी नियम

†**१२७१. श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की यातायात-पुलिस[1] दिल्ली में यातायात संबंधी विनियमों और उप-नियमों का कितना प्रचार करती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Traffic Police.

(ख) १९५८-५९ में इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) प्रचार प्रेस-विज्ञप्तियों द्वारा, और कभी-कभी पर्चों द्वारा किया जाता है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये कोई पृथक राशि आवंटित नहीं की गयी है ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†**१२७२. श्री सिदय्या:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें प्रत्येक राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने क्रियान्वित कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन की उन सिफारिशों की, जिनका संबंध राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों से है, क्रियान्विति के संबंध में अब तक प्राप्त हुए उत्तरों के आधार पर, वर्त्तमान स्थिति का एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०८]**

स्टेनोग्राफरों की परीक्षा

†**१२७३. श्री माने** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त करली थी उन सब को लिया नहीं जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उसी सीमा तक लिया जा रहा है जिस हद तक रिक्त स्थान उपलब्ध हैं । जिन ७०१ उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की है उनमें से अब तक ५४१ व्यक्तियों से नौकरियां देने का प्रस्ताव किया है । १९५८ की परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक जो स्थान रिक्त होंगे उन पर नियुक्ति इस सूची वाले व्यक्तियों में से की जायेगी ।

मैसूर को लोहे और इस्पात का संभरण

†**१२७४. श्री सिदय्या** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के लिये लोहे और इस्पात के संबंध में मैसूर राज्य की आवश्यकताएँ कितनी हैं और उन्हें कितना आवंटन किया गया है ; और

(ख) अब तक वास्तव में संभरण कितना किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). यह जानकारी नीचे दी जाती है :

	मांग	आवंटन	प्रेषण[1]
	(अप्रैल-अक्तूबर, '५८) टन	(अप्रैल-अक्तूबर, '५८) टन	(अप्रैल-अक्तूबर, '५८) टन
इस्पात	४९,४४०	१४,९३८	५,६०२
कच्चा लोहा	२,६००	२,३००	उपलब्ध नहीं है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण

†१२७५. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों के लिये जिस हद तक उम्मीदवार न मिलें उस हद तक उन सुरक्षित स्थानों को उसी पदाली के उसके बाद वाले निचले ओहदे के लिये हस्तांतरित करने और उन्हें उस ओहदे में सुरक्षित स्थानों में जोड़ देने ; और

(ख) अर्हता प्राप्त करने की परीक्षाओं को छोड़कर अन्य तरीकों से बिना चुनाव भरे जाने वाले और चुनाव के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के साथ की जाने वाली रियायत को बढ़ा देने ;

के संबंध में १९५६-५७ के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने जो सिफारिशें की हैं उन पर केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) भारत सरकार ने इस सिफारिश पर पूरी तरह विचार किया था लेकिन इस प्रकार की सिफारिश को क्रियान्वित करने से जो प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी उनका ध्यान रखते हुए वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी ।

जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, भारत सरकार को पता नहीं है कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है क्योंकि यह मसला ऐसा है जो पूर्णतः उन्हीं के क्षेत्र में आता है ।

(ख) मंत्रालयों को यह हिदायतें दे दी गयी हैं कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के दावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और चुनाव के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के संबंध में उनके हित में रियायती मानदण्ड अपनायें ।

मैसूर उच्च न्यायालय

†१२७६. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में (अक्तूबर के अंत तक) मैसूर उच्चन्यायालय ने कुल कितनी लेख-याचिकायें और बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवेदन पत्र ग्राह्य किये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Despatches.

(ख) इनमें से कितने निबटाये जा चुके हैं और कितने विचाराधीन हैं; और

(ग) कितने मामलों में सरकार के विरुद्ध निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†१२७७. **श्री गोरे :**
श्री जाधव :
श्री हेम बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न विभागों में ऐसे कितने अस्थायी कर्मचारी हैं जो तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं लेकिन जिन्हें अभी तक अर्द्ध-स्थायी या स्थायी नहीं घोषित किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई अवधि निर्धारित कर दी है जिसे पूरा करने के बाद सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी बने रहकर काम करने की आवश्यकता न रहेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ मई, १९५७ को १,७१,१९४ (रेलवे के कमचारियों को छोड़कर) ।

(ख) जी नहीं ।

पंजाब में राष्ट्रीय सेना छात्र-दल

†१२७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५८ को पंजाब में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल के कुल कितने डिवीजन थे; और

(ख) इस समय कितने डिवीजन कार्य कर रहे थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) १-१०-५८ को पंजाब के राष्ट्रीय सेना-छात्र दल में ४८५ अफ़सर और १७,९०१ सेना-छात्र थे, जिन का विवरण इस प्रकार है :—

सीनियर डिवीजन	अफसर	सेना-छात्र
स्थल सेना विंग	१४३	६,१३१
नौ-सेना विंग . .	२	६०
वायु सेना विंग . . .	२	१६०

†मूल अंग्रेज़ी में

. जूनियर डिवीजन

स्थल सेना विंग . .	२८०	९,२४०
नौ-सेना विंग . . .	११	३६३
वायु-सेना विंग	१४	४६२
लड़कियों का डिवीजन		
सीनियर विंग .	१८	८१०
जूनियर विंग .	१५	६७५
	४८५	१७,९०१

(ख) १-१०-१९५८ के बाद से पंजाब के राष्ट्रीय सेना-छात्र दल की सख्या में कोई कमी नहीं हुई है ।

हिमाचल प्रदेश की पुलिस

†१२७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक हिमाचल प्रदेश की पुलिस में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं ;

(ग) क्या उन के लिये सुरक्षित कोटा पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) ।

	१९५७-५८	१९५८-५९
कुल भर्त्ती .	१७२	६३
अनुसूचित जातियां .	११	५

(ग) जी नहीं ।

(घ) शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मानदण्ड और शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें घटा देने पर भी अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके ।

पदोन्नति संबंधी नियम

†१२८०. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय में द्वितीय और तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) के कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नतियों के सम्बन्ध में कुछ नियम मौजूद हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इन कर्मचारियों की पदोन्नति का मौजूदा तरीका क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय में द्वितीय और तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) के पद आमतौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की पदालियों में ही शामिल हैं। इन पदालियों में पदोन्नति के सम्बन्ध में अभी तक कोई संविहित नियम तो नहीं बनाये गये हैं लेकिन केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन तथा प्रवर्तन) योजना, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा योजना और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में आवश्यकतानुसार समय-समय पर किये गये रूपभेदों के साथ उस सम्बन्ध में जो उपबन्ध मौजूद हैं उन का ही पालन किया गया है। जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है उन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। जिन पदों का उल्लेख किया गया है उन में पदोन्नतियों के सम्बन्ध में वर्त्तमान स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :—

(१) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

असिस्टेंटों को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंटों की बाद वाली ऊंची ग्रेड (केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड ३) में आंशिक रूप से योग्यता के अधीन रहते हुए वरिष्ठता के आधार पर और आंशिक रूप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। आधी पदोन्नतियां वरिष्ठता-समूह में से होती हैं और आधी विभागीय परीक्षा के उम्मेदवारों में से ।

(२) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

लोअर डिवीजन क्लर्कों को वरिष्ठता का उचित ध्यान रखते हुए योग्यता के आधार पर अपर डिवीजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नति दी जाती है। अपर डिवीजन क्लर्कों को आंशिक रूप से तो वरिष्ठता के आधार पर असिस्टट बनाया जाता है लेकिन यदि उन को अनुपयुक्त पाया गया तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, और आंशिक रूप से संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असिस्टेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

(३) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा

इस सेवा की ग्रेड ३ से २ में और ग्रेड २ से ग्रेड १ में पदोन्नति योग्यता के आधार पर चुनाव द्वारा की जाती है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मनीपुर राज्य बैंक लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

† **राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में मनीपुर राज्य बैंक लिमिटेड, इम्फाल के कार्य का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० टी०-११०६/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे तथा लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन सहित संचालकों का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-११०७/५८]

(३) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक, नई दिल्ली का जनरल मैनेजर, मनीपुर राज्य बैंक लिमिटेड, इम्फाल को भेजा गया दिनांक १९ जुलाई, १९५८ का पत्र संख्या ५२५/रेप० २/२६५७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-११०८/५८]

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के अधीन नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) हिमाचल प्रदेश गजट अधिसूचना संख्या एच० २८-२४२/५७ दिनांक २१ नवम्बर, १९५८ में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन नियम, १९५७ और तत्सम्बन्धी एक शुद्धिपत्र ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-११०९/५८]

(२) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या एफ० २२(१०)/५४-होम, दिनांक १६ मई, १९५८ में प्रकाशित स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन (दिल्ली) नियम, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१११०/५८]

(३) त्रिपुरा गजट अधिसूचना संख्या एफ०९ (६)-पी डी/५७, दिनांक १८ नवम्बर, १९५८ में प्रकाशित स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन (त्रिपुरा) नियम, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०-११११/५८

गैर-सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति के लिये निर्वाचन

विश्वभारती की संसद्

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विश्वभारती अधिनियम, १९५१ की धारा १९ की उप-धारा (१) के खण्ड (१२) तथा उस के साथ पठित विश्वविद्यालय की पहली संविधियों की संविधि १० के खण्ड (५) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) में उक्त अधिनियम तथा संविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन सदस्य के रूप में काम करने के लिये (लोक-सभा द्वारा मई, १९५७ में निर्वाचित सदस्य के अतिरिक्त) अपने में से एक और सदस्य चुनें।"

साथ ही मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि विश्वभारती की संसद् की सदस्यता से कोई सदस्य अनर्ह नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विश्वभारती अधिनियम, १९५१ की धारा १९ की उप-धारा (१) के खण्ड (१२) तथा उस के साथ पठित विश्वविद्यालय की पहली संविधियों की संविधि १० के खण्ड (५) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) में उक्त अधिनियम तथा संविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन सदस्य के रूप में काम करने के लिये (लोक-सभा द्वारा मई, १९५७ में निर्वाचित सदस्य के अतिरिक्त) अपने में से एक और सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "फार्मेसी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि फार्मेसी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री करमरकर** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक — जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री दातार द्वारा ३ दिसम्बर, १९५८ को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेंगे ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट) : इस विधेयक का अभिप्राय हिमाचल प्रदेश विधान सभा को मान्यता देना है। यद्यपि उक्त विधान सभा को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अवैध घोषित कर दिया है। गृह मंत्री ने यह बताया है कि हमें विधेयकों का पृथक रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। संसद् को चाहिये कि वह विधान सभा को मान्यता दे देवे जिस के फलस्वरूप उस विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को भी मान्यता प्राप्त हो जाय। मैं गृह मंत्री के उक्त तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरा सुझाव है कि विधेयक में सम्पूर्ण शक्तियां देने की अपेक्षा हमें उन विधेयकों की सूची संलग्न करनी चाहिये जिन्हें संसद् ने मान्यता प्रदान कर दी है। संभव है बहुत से ऐसे विधेयक हों जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा के शक्ति परस्तात् हैं। उन पर संसद् की मुहर लग जायेगी तो वे भी मान्य हो जायेंगे। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। साथ ही वहां के बहुत से विधेयकों की प्रतिलिपियां हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं जब कि संविधान के अनुच्छेद ३४८ (३) के अनुसार राज्यों की विधान सभाओं के लिये यह अनिवार्य है कि यदि वे विधेयकों के लिये हिन्दी में एक के अलावा किसी अन्य भाषा का उपयोग करे तो उस की अधिकृत प्रतिलिपि अंग्रेजी में भी तैयार कर लेवें अन्यथा वह विधेयक संविधान के प्रतिकूल समझे जायेंगे और उन पर आपत्ति की जा सकेगी। इस के अतिरिक्त संसदीय प्रणाली की एकता बनाये रखने के लिये भी यह आवश्यक है कि हिन्दी न जानने वालों के लिये इन विधेयकों का अनुवाद हिन्दी में किया जाए ।

निस्संदेह जिन दो वर्षों की अवधि में उस विधान सभा ने कार्यवाही की उस अवधि के लिये हमें उक्त सभा द्वारा पारित विधेयकों को मान्यता देने से इन्कार नहीं हो सकता है। तथापि उन्हें अनिश्चित समय के लिये मान्यता देने के पूर्व हमें उन के औचित्य पर विचार करना आवश्यक है। क्या हमें ऐसे विधेयकों को भी मान्यता देनी चाहिये जो वांछनीय नहीं हैं या जिन की अब कोई उपयोगिता नहीं है अतः हमें उन अधिनियमों को रद्द कर देना चाहिये जिन की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है या जो समयानुकूल नहीं हैं ? वस्तुतः यह प्रश्न सरकारी पक्ष तथा विरोधी पक्ष का नहीं है अपितु औचित्य का है। आशा है गृह मंत्री प्रश्न के औचित्य को समझते हुए मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : इस विधान के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि सभा यह विधान पारित करने में पूरी तरह से समर्थ है इस में किसी प्रकार की संवैधानिक अड़चन नहीं है मैं विरोधी पक्ष द्वारा रखे गये तर्कों से भी सहमत नहीं हूं कि इस से संविधान के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन होता है। संविधान के किसी भी उपबन्ध से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। यदि हम इस सम्बन्ध में संविधान के २४५ और २४६(४) को देखें तो उस में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों सूचियों के सम्बन्ध में समस्त शक्तियां तथा अवशिष्ट शक्तियां भी संसद् के पास हैं। अतः वह इस विधान को पारित करने में पूरी तरह से समर्थ हैं वस्तुतः सभा के लिये उक्त विधान सभा द्वारा पिछले दो वर्षों में की गई कार्यवाही को मान्यता प्रदान करना आवश्यक हो गया है क्योंकि उक्त सभा ने न केवल अधिनियम ही पारित किये हैं अपितु बजट भी पारित किया है जिस की राशि व्यय

†मूल अंग्रेजी में

कर दी गई है वह राशि किसी प्रकार भी वापस नहीं आ सकती है। इस लिये यह मानते हुए भी कि उन्होंने संविधान की कुछ विशेष धाराओं के प्रतिकूल कार्यवाही की है हम उस गलती को ठीक करने में समर्थ हैं ।

यथापि यह प्रश्न संवैधानिक अधिकार का न हो कर औचित्य का है। क्या हमें उन सभी अधिनियमों को मान्यता दे देनी चाहिये जिन्हें उक्त विधान सभा ने पारित किया था अथवा हमें उन अधिनियमों की पृथक पृथक रूप से जांच करनी चाहिये और देखना चाहिये कि क्या उन अधिनियमों को पारित करने में उस सभा ने संविधान के प्रतिकूल कार्यवाही तो नहीं की है। उदाहरणार्थ मान लीजिये कि सभा ने ऐसे भी विधान पारित किये हैं जो राज्य सूची में नहीं हैं तो क्या उन्हें भी मान्यता प्रदान कर देनी चाहिये। इसलिये हमारे लिये यह उचित है कि मान्यता प्रदान करते समय हम यह भी देखें कि जिन विधानों को हम मान्यता दे रहे हैं वे उचित भी हैं या नहीं। इसलिये सभा को उन विधानों के अध्ययन का अवसर अवश्य मिलना चाहिये। और यदि उन में कोई बात जनता के हितों के विरुद्ध हो तो उन्हें मान्यता नहीं देनी चाहिये। मुझे ज्ञात हुआ है कि बड़ी जमीदारियों का उन्मूलन अधिनियम में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें यह सदन कभी पारित नहीं करता। इस विधान पर उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति की जा सकती है कि यह विधान संविधान के बुनियादी अधिकारों के विरुद्ध है। इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम यह विचार करें कि क्या हम संविधान के आधारभूत अधिकारों के प्रतिकूल तो नहीं जा रहे हैं। मैं आपके उन बहुमूल्य सुझावों का समर्थन करता हूं कि हमें गृह-मंत्री के साथ एक दो घंटे बैठ कर उन सभी विधानों पर गौर कर लेना चाहिये। हमें यह देख लेना चाहिये कि उनमें कोई बात संविधान के प्रतिकूल नहीं है और उन पर उच्चतम न्यायालय में भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखें और सदस्यों को उन सभी विधानों पर विचार करने का एक मौका दिया जाये जिससे कि वे उन्हें पारित करने के पूर्व एक बार इस बात पर विचार कर सकें कि उन्हें पारित करना उचित भी है या नहीं।

श्री ब्रज राज सिंह (फीरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस संसद् को उन कानूनों को पास करने का अधिकार है या नहीं जिन में से एक को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया है कि जिस असैम्बली ने इस को पास किया है वह ठीक ढंग से नहीं बनी थी इस बात पर मैं निश्चित रूप से नहीं जाना चाहता। यद्यपि मैं महसूस करता हूं कि जहां तक संसद् के अधिकार का सवाल है, उस के अधिकार बहुत ही विस्तृत हैं और वह आज भी और कल भी जो बात हो चुकी है उस के सम्बन्ध में जो चाहे कर सकती है। लेकिन सवाल केवल इतना ही नहीं है कि संसद् को जो अधिकार हैं वे विस्तृत हैं या नहीं संसद् जो चाहे कर सकती है, सवाल यह भी है कि इस तरह का कानून पास कर के, जिस को कि हम पास करने जा रहे हैं, हम कुछ गलत परम्परायें तो नहीं डाल रहे हैं? ३७ कानून थे जो उस असैम्बली ने पास किये और उस को कानूनी तौर पर इन को पास करने का हक नहीं था । उस असैम्बली का जिस का कि अस्तित्व ही नहीं था उस का अस्तित्व कायम करने जा रहे हैं। उस के अस्तित्व में ही सुप्रीम कोर्ट ने शंका व्यक्त की है ।

३७ कानूनों में से मैं मानता हूं कि बहुत से कानून ऐसे थे जो काफी प्रगतिशील रहे होंगे। लेकिन जिस विशेष कानून को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किया यदि उस को आप देखें तो पता चलेगा कि १९५४ और १९५५ के दो सालों में ही उस असैम्बली ने तीन बार उस कानून को एमेंड किया। हिमाचल प्रदेश एबालिशन आफ बिग लैंड एस्टेट्स एंड लैंड रिफार्म्स एक्ट पहले १९५४ में पास हुआ और उस के बाद उस का १९५५ में संशोधन हुआ । इसके बाद दसवें कानून में जा

[श्री ब्रज राज सिंह]

कर संशोधन किया गया। इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कानून कितना विवादास्पद रहा होगा। जब इतनी शीघ्रता से किसी कानून में संशोधन किये जाते हैं तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बहुत ही विवादास्पद कानून होगा।

यहां पर यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश की असैम्बली ने जो कानून पास किये हैं या जो प्रस्ताव पास किये हैं उन को कानूनी शक्ल देने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही कौन सा है सिवाय इसके कि जो असेम्बली अस्तित्व में नहीं उस का अस्तित्व आज पैदा कर दें। इस के अलावा दूसरा रास्ता यह है कि जितने कानून वहां पास किये गये हैं उस असैम्बली के द्वारा उन सब को हम यहां देख लें और देखने के बाद उन को पास कर दें फिर से। मैं कहना चाहता हूं कि इस रास्ते के बजाय अगर वह रास्ता अखत्यार किया गया होता कि पूरे ३७ कानूनों पर हम विचार करते और उस में अगर कोई बात रही होती जो कि संसद् के लिये पास करनी उचित थी या उस में कोई संशोधन करना उचित था, तो उसे हम करते, तो मैं समझता हूं कि कोई विशेष नुकसान नहीं होता। अब इस समस्या को संसद् के अलावा और कोई सुलझा नहीं सकता है। किसी दूसरे को इस के बारे में कोई अधिकार नहीं है। यह संसद् सार्वभौम संसद् है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकती है। इन सब बातों को मानते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह काम करके हम गलत परम्परायें डाल रहे हैं। अगर इन ३७ कानूनों पर फिर से विचार कर के और अगर जरूरत होती तो उन में संशोधन कर के उन को यहां पास किया जाता तो कोई गलत परम्परा नहीं पड़ती।

मैं आप के सुझाव का बहुत ही स्वागत करता अगर स्वयं माननीय गृह-मंत्री महोदय ने उसे स्वीकार कर लिया होता और इस में मैं समझता हूं ज्यादा वक्त भी न लगता। हम में से किसी की भी यह इच्छा नहीं है कि इस तरह के प्रगतिशील कानून को जिस को कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया है उस को अमल में न लाया जाय, हम तो चाहते हैं कि उस को जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाय हमारी इच्छा यह भी है कि कहीं संसद् इन कानूनों को तथा इस असैम्बली की प्रोसीडिंग्स को कानूनी अस्तित्व दे कर जो कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने है उस में कहीं पर कोई कमी न रह गई हो, इस को भी देखा जाये। कोई कमी रह जाने वाली जो बात है, यह सब से बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में जो अपना जजमेंट दिया है, उस में उन्होंने सिर्फ एक ही पहलू इस प्रश्न का लिया और वह पहलू यह था कि आया हिमाचल प्रदेश की असैम्बली को कानूनी तौर से इस तरह के कानून बनाने का अधिकार था कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जब उस का अस्तित्व ही नहीं था तो इस तरह के कानून बनाने का अधिकार भी नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट जहां तक कि उस के कानूनी पहलू का सवाल था उस में गया और उन्होंने उक्त निर्णय दिया कि उन को इस तरह के कानून बनाने का अधिकार नहीं था। गृह-मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे इस खतरे की तरफ ध्यान दें क्योंकि हो सकता है कि आज संसद् के सामने हिमाचल प्रदेश की असैम्बली की कार्यवाहियों को कानूनी अस्तित्व देने के लिये जो बिल रक्खा गया है, संसद् द्वारा यह बिल पास करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में उस की मेरिट्स का सवाल उठेगा कि वहीं यह किसी के फंडामेंटल राइट्स का तो हनन नहीं करता है, मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश की असैम्बली ने डेढ़ साल के अन्दर तीन संशोधन किये हैं। हो सकता है कि उस में कुछ इस तरीके की बात हो कि जिस की बिना पर सुप्रीम कोर्ट उस को गैर कानूनी घोषित कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट, अगर फिर गैर कानूनी ठहरा देता है तो हमें देखना पड़ेगा कि यह जो खतरा इसमें मौजूद है उस का कैसे सामना

किया जाय । अगर सुप्रीम कोर्ट इस को फिर गैर-कानूनी ठहरा देता है तो इस के अमल में आने में फिर दो, तीन साल की देर होती है और जिस उद्देश्य से यह कानून बना था, खास तौर से लैंड रिफार्म्स और इसी तरह की अन्य चीजें जो कि कृषि से सम्बन्ध रखती हैं । और जिन को कि हम ने अपनी नीति के रूप में माना हुआ है, उन को हम फिर अमल में नहीं ला सकेंगे । इसलिये हमें यह देखना होगा कि हम इस संसद् में जो हिमाचल प्रदेश की असैम्बली के अस्तित्व को फिर कायम कर रहे हैं, अगर इस तरीके की इस में गलती फिर रह जाती है जिस से कि फिर इस में रुकावट पड़ जाती है और उस में देर होती है तो हम भूमि सुधार के अपने उद्देश्य को अमल में नहीं ला सकेंगे । अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि हम उस जनता के साथ बहुत ही अन्याय करेंगे जिस जनता के लिये यह कानून बना रहे हैं ।

खाली यही एक सवाल नहीं है बल्कि एक दूसरा औचित्य का सवाल है और वह यह है कि जब यह कानून बनाया गया तो हिमाचल प्रदेश की जो नई असैम्बली बनी उस में ४१ सदस्य होने थे, ३६ पुराने हिमाचल प्रदेश के होने थे और ५ मेम्बर पुराने बिलासपुर के होने थे लेकिन इस कानून के बनाते वक्त उन ५ आदमियों का चुनाव नहीं हुआ, उन का अस्तित्व ही नहीं था । अब चूंकि कानून को पुराने बिलासपुर पर भी लागू किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इस को इस बिना पर गैर कानूनी न ठहरा दे कि चूंकि बिलासपुर का उस में प्रतिनिधित्व नहीं था, बिलासपुर के प्रतिनिधियों को असैम्बली में बैठने का मौका नहीं मिला, मैं उस में नहीं जाना चाहता कि उस में उन्हों ने श्रोथ नहीं ली । वह भी एक कमी है, तो यह खतरा इस में अब भी मौजूद है । आखिर हम सब का उद्देश्य यह है कि जो हमारी नीति है और एक लैंड सुधार का काम है वह पूरा हो । मैं यह तो मानता हूं कि अगर हम इस बिल को संसद् में पास कर देते हैं और वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर कानूनी घोषित न किया जाय तो हम अपनी नीति को अमली रूप देने में कामयाब हो सकेंगे और तब हमारा उद्देश्य पूरा हो सकेगा, लेकिन कहीं एसा न हो कि जिस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं, उस उदेश्य का सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल निर्णय द्वारा हनन हो जाय क्योंकि वे ५ व्यक्ति जो कि बिलासपुर से चुने जाने थे उन को उस असैम्बली में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उन का चुनाव नहीं हुआ था और उन का बिना चुनाव हुए ही ३६ आदमियों ने पुराने बिलासपुर के लिये भी कानून बना दिया, उस में भी कानन लागू होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी गलती हो सकती है कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट फिर इसे अवैध घोषित कर दे । पुराने हिमाचल प्रदेश पर यह लैंड रिर्फाम्स का कानून लागू हो सकता है लेकिन पुराना बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ, उस पर यह लागू नहीं होगा । आज हमें देखना यह है कि कहीं कोई इस तरीके की कोई गलती न रह जाय जिस की कि वजह से जिस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं और जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किया और जिस को कि हम काननी शक्ल देना चाहते हैं, उस को वाकई कानूनी शक्ल मिल सके और फिर कोई उस के रास्ते में रुकावट न आ जाय । मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अब भी इस में अगर कोई गलती रह गई हो जिस से कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो बजाय इस के कि फिर यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दे दिया जाय, बहतर यह होगा कि इस पर एक दो दिन का समय लगा दिया जाय और मेरा सुझाव है कि इन सब कानूनों को इस हाउस की एक छोटी सी सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा सकता है और उन पर विचार किया जा सकता है और उन में अगर कोई गलती रह गई हो तो उस को दुरुस्त किया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि ऐसा करने में कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठना चाहिये । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ऐबोलिशन आफ बिग लैंड इस्टेट्स एंड लैंड रिफार्म्स एक्ट एक प्रगतिशील कानन है और उस के गैर-कानूनी घोषित होने से वहां की जनता को नुकसान होगा हम इस में उन के साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि उस पर

[श्री ब्रज राज सिंह]

जल्दी से जल्दी अमल हो लेकिन सवाल यह है कि अगर कहीं पर कोई गलती रह जाती है जिस से कि उस के रास्ते में रुकावट पड़े और उस का पालन न होने पाये, तो बेहतर यह है कि हम अभी ही आपस में बैठ कर उस पर पूरी तरह से विचार कर लें और उस गलती को सुधार लें। अगर इस काम में एक आध दिन का समय लगता है तो यह कोई देर नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध ठहरा दिये जाने से तो बहुत काफी देर लग जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाये।

कल गृह-मंत्री महोदय ने हमें बताया कि उन्हों ने इस विषय में एटार्नी जनरल की राय ले ली है और उन का मत है कि ऐसी कोई गैर काननी करार दिये जाने वाली बात नहीं होने वाली है; उन का ऐसा मत हो सकता है लेकिन हमारे गले के नीचे तो यह बात नहीं उतरती है और हमें तो आशंका है कि यह खतरा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर जाने से उस में देरी हो सकती है और इस कानून का किसानों की भलाई करने का जो उद्देश्य है उस के पूरा होने में रुकावट पड़ेगी और इसी दृष्टि-कोण को लेते हुए मैं इस का विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि इस पर इसी निगाह से सोचा जाय और इस तरह की कोई गलती कर के हम भविष्य के लिये कोई ऐसी गलत परम्परा न डालें क्योंकि आखिर हम इस देश में जनतन्त्र का विकास कर रहे हैं और संसदीय संस्थाओं की परम्परा का विकास कर रहे हैं। लोगों को हम ऐसा कहने का अवसर न दें कि जिस का कि अस्तित्व नहीं था, जिस का कि कभी जन्म भी नहीं हुआ था, उस असेम्बली को हम ने जीने दिया। इन शब्दों के साथ मैं गृह-मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार कर कि क्या इस बिल के पास करने में दो तीन दिन की देरी कर के और उन पर पुनर्विचार कर के, हम आगे के खतरे को जो कि हमें पेश आ सकता है, दूर नहीं कर सकते हैं ?

श्री हेम राज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के कानूनों को या उसकी कार्यवाही को वैधानिक करार देने के लिये जो यह बिल लाया गया है, उस के मुताल्लिक बहुत सारी रायें यहां पर पेश की गयी हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने इस की बहस में हिस्सा लिया है और अपने अपने विचार प्रकट किये हैं, सब के सब यह चाहते हैं कि यह बिल पास हो जाये लेकिन वे यह समझते हैं कि इस में कुछ वैधानिक अड़चनें हैं जिन की कि वजह से उन को आशंका है कि इस बिल के अमल में आने में फिर रुकावट पड़ सकती है।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस के सामने इस वक्त जो बिल पेश है, उस में जैसे कि हमारे माननीय गृह-मंत्री ने अपनी तकरीर में फरमाया था, महज़ बिल्स का ही सवाल नहीं है बल्कि उस में तो उस असेम्बली ने जितनी भी कार्यवाही की हैं, बिल्स की सूरत में की है, चाहे रेजोलूशन्स की सूरत में की है, चाहे वह पैसे रुपये की जांच करने की सूरत में की ह या जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के एलेक्शन की सूरत में की है, उस सब कार्यवाही को वैधानिक रूप देने के लिये यह बिल पेश किया गया है और जब यह चीज है तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे सामने जो यह सवाल रक्खा जाता है कि वह सारे बिल्स हमारे सामने लाये जायें, मैं समझता हूं कि उस के लिये कोई ठोस आर्गुमेंट (तर्क) नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह उज्र उठाया कि चूंकि वह बिल्स हमारे सामने नहीं लाये गये तो हो सकता है कि वह स्टेट लिस्ट नम्बर १ और ३ में न हों। लेकिन मेरा कहना है कि जो बिल्स की लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट को पढ़ने से यह पता चलता है कि यह जो ३७ कानून बनाये गये हैं, उन में से कोई भी ऐसा कानन नहीं है जो कि स्टेट लिस्ट नम्बर १ और ३ के बाहर जाता हो। अगर यह बात है

तो फिर यह उज्र करना कि यह जो कानून है, वे उन स्टेट लिस्टों से बाहर हैं, मैं समझता हूं कि यह जायज नहीं है ।

दूसरा सवाल यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सवाल उठाया है कि चूंकि उस वक्त की जो असेम्बली थी वह जायज नहीं थी, जायज तौर पर नहीं बनी थी तो उस के लिये मेरा कहना है कि उस वक्त जब हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को मिला कर हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर की एक नई स्टेट बनाने का बिल पास हुआ था तो उस में क्लाज १६ म बड़े साफ तौर पर यह लिख दिया गया था कि भाग "ग" राज्य सरकार अधिनियम १९५१ में उल्लिखित पांच वर्ष की अवधि इस नये राज्य की विधान सभा के लिये उस दिन से समझी जायेगी जिस दिन से वर्तमान हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने कार्य करना प्रारम्भ किया था ।

ो यह बात थी कि वह असेम्बली पांच साल लगातार चलनी थी । जो इस संसद् ने ऐक्ट बनाया था उसम कहीं भी यह प्रावीजन नहीं किया है कि जो पहली असेम्बली थी वह उस वक्त से डिजाल्व समझी जायेगी जिस वक्त से ये मेम्बर चुने जायेंगे । तो इसका यही मतलब लगाया जा सकता है कि सेक्शन १५ के मुताबिक जो ३६ मेम्बर चुने गये थे वह सारी कार्रवाई कर सकते थे । उसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । सेक्शन ७३ रिप्रेजेंटेशन आव पीपल्स ऐक्ट के मुताबिक जब यह पार्लियामेंट बनती है तो यही समझा जाता है कि सारी कांस्टीट्यूएंसीज के मेम्बर आ जाने चाहिए । लेकिन जब यह पार्लियामेंट बनी तो हमारे हिमाचल कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश के ६ मेम्बर नहीं आ सके थे । पर फिर भी यहां पर स्पीकर का चुनाव हुआ, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ और प्रेसीडेंट का चुनाव हुआ हालांकि पहाड़ी इलाके के ६ मेम्बर उस वक्त मौजूद नहीं थे । इसी तरह से सेक्शन १५ और १६ के तहत यह व्यवस्था की गयी थी कि वह जो ३६ मेम्बर, गो कि उनको इलेक्ट नहीं किया गया, वह तसव्वुर में आ जायेंगे । इस लिहाज से जो दूसरा हाउस बना उसके वह जायज तौर पर मेम्बर थे । सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उस के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते । लेकिन इस वक्त जो हम को फैसला यहां देना है वह यह नहीं है कि यह जो बिल बनाये गये और जो कार्रवाई की गयी वह जायज थी या नाजायज थी । यहां पर तो यही सवाल है कि वहां पर जो असेम्बली बनी थी उसमें कुछ खामी रह गयी थी उसको दुरुस्त कर दिया जाये । मैं मिसाल के तौर पर कहूं कि एक घर बनने के बाद अगर यह महसूस होता है कि इस में कहीं कमजोरी रह गयी है तो उस जगह सपोर्ट दी जाती है, इसी तरह यहां पर भी सपोर्ट देने का सवाल है । यहां पर यही सवाल है कि वह जो हाउस बना उस में कुछ खामी रह गयी और उसको सपोर्ट दिया जाये, ताकि उसने जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया या जो और कार्रवाई की वह जायज समझी जा सके । एक नोटीफिकेशन न छपने की वजह से वह असेम्बली लंगड़ी सी रह जाती है इसलिए उसको सपोर्ट देने की जरूरत है । और आज यह पार्लियामेंट वह सपोर्ट देने की अवस्था में है । इस पार्लियामेंट को जो अख्तियारात मिले हुए हैं उनके ज़रिये से वहां पर जो खामी रह गयी थी उसको यह पूरा कर सकती है । और इस बात को तो हमारे पंडित ठाकुर दास जी भार्गव भी, जो कि हमारे बहुत पुराने मेम्बर हैं, मानते हैं कि हमारे संविधान में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो यह कहती हो कि हम इस बात को कर नहीं सकते या करने के काबिल नहीं हैं । और अगर हम यह करने के काबिल हैं तो यह कहने का इस वक्त कोई सरोकार नहीं है कि हम उन बिलों को देखना चाहते हैं, हम उन ऐक्ट्स को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वे लिस्ट १ या ३ में आते हैं या नहीं । इस वक्त तो हमें यही सरोकार है कि उस वक्त उस असेम्बली ने जो कार्रवाई की उसको वैधानिक करार देदें । इसलिए मैं समझता हूं कि इस हाउस को इस वक्त यही एक तरीका अख्तियार करना चाहिए जिससे कि जो कार्रवाई उस वक्त हिमाचल प्रदेश असेम्बली ने की थी उसको जायज

[श्री हेमराज]

करार दे दिया जाये ताकि जो प्रोग्रेसिव लेजिसलेशन उस वक्त उस असेम्बली ने पास किया वह कायम रह जाये ।

आपके यहां पर जो मंडी से सदस्य आये हैं उन्होंने भी सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की हिमायत की है । इस संसद् के जो सारे मेम्बरान हैं जहां मैं उनकी मजमुई लियाकत को सपोर्ट करता हूं उसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो असली हालात थे हिमाचल प्रदेश के उनको मैं और आप उतनी अच्छी तरह से नहीं जान सकते जितनी अच्छी तरह से कि वहां के लोगों द्वारा चुने वह मेम्बर जान सकते थे जो कि हिमाचल प्रदेश की असेम्बली में थे । इस लिए उन्होंने जो कानून बनाये वे वहां के हालात को जज करते हुए बनाये थे । अब अगर उन कानूनों के बारे में हम यह कहें कि वे पूरे तौर पर ठीक नहीं उतरते तो यह जायज नहीं होगा । हमको तो यह मानना चाहिए कि उन जनता के चुने हुए नुमायन्दों ने जो चीज बनायी है वह अवाम के हालात के मुताबिक बनायी है और इस बात को तसलीक करते हुए हमें उन कानूनों को जायज करार देने में कोई हिच नहीं होनी चाहिए ।

एक बात मैंने आप से कही है कि हमारे मंडी के जो सदस्य हैं वह भी कहते थे कि हम सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी चाहते हैं । लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर ये कानून न हों तो वहां पर किस तरह का पैटर्न होगा । इन कानूनों के बनने के पहले वहां पर राजाओं का राज था और राजा लोग ही सारी जमीन के मालिक होते थे । ये लोग जिसको मरजी होती जमीन का पट्टा देते थे और जिससे चाहते थे पट्टा छीन लेते थे । क्या वे यह चाहते हैं कि वहां पर फिर यह पैटर्न चालू हो जाये जिसमें हम बड़े जमींदारों और राजाओं के रहम पर गरीब जनता को छोड़ दें । जिस सोशलिस्ट पैटर्न का जिक्र राजा साहब ने किया था उसके अन्दर राजा लोग जनता से बेगार लिया करते थे । चाहे जिससे वह अपना काम बेगार में ले सकते थे । इन हालात में क्या आप यह समझते हैं कि जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन वहां पर बना वह ठीक नहीं है । वे तो उस पैटर्न की सोशलिस्टिक सोसाइटी के हिमायती हैं जिस में वह बेगार ले सकें, चाहे जिसकी जमीन को अपने पास रख सकें । लेकिन हिमाचल प्रदेश असेम्बली ने जो कानून बनाये उनसे जो मिल्कियत राजाओं से पास थी वह गरीब जनता के पास आ गयी जिसके पास जमीन नहीं थी ।

फिर यह सवाल उठाया गया कि अगर हम ने इस कानून को पास कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उन कानूनों को रद्द कर दिया जा सकता है । उसके मुताल्लिक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि फर्ज कीजिये कि आप एक कमेटी बनाते हैं और फिर उन कानूनों को देखते हैं, तो क्या यह जरूरी है कि वे कानून फूल प्रूफ हो जायेंगे और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा । सुप्रीम कोर्ट में किसी कानून को चैलेंज करने का हक तो हर वक्त रहेगा । इसलिए मेरा कहना है कि हमें इसी सूरत में इस कानून को पास कर देना चाहिए । यही बामौका चीज है । यही बामौका चीज है कि इस बिल को जिस सूरत में हमारे गृह मंत्री जी लाये हैं उसी सूरत में हम पास कर दें ताकि वहां की गरीब जनता को जो राहत मिली हुई है वह कायम रहे और पिछले दिनों में उन्हें जो सहूलियतें मिली हैं उनसे वे पूरा फायदा उठा सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की हिमायत करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारा यह संसद् इसको पास कर देगा ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय , मैं नहीं समझता कि इस सादे से कानूनी मसौदे को इस सदन के वकीलों ने इतना पेचीदा क्यों बना दिया । माननीय गृह-मंत्री महोदय ने

बताया था कि यह एक सादा सा कानून का मसोदा है । एक मामूली सी त्रुटि है जिसको दूर करने के लिए यह विधेयक सदन के सामने रखा गया है । चूंकि एक नोटीफिकेशन जारी नहीं हो सका इस वजह से एक टेकनिकल ग्राउंड के ऊपर जो दो साल में हिमाचल प्रदेश असेम्बली ने कार्रवाई की है वह रद्द हो रही है । वह हाउस लोगों के चुने हुए नुमायन्दों का था, उन्होंने जो कानून बनाये थे उनको रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है । तो इस टेकनिकल डिफेक्ट को दूर करने का यह छोटा सा सवाल है ।

भरूचा साहब ने इस में कई एक वैधानिक आपत्तियां उठाई । लेकिन मैं नहीं समझता कि इस में कोई ऐसी बात है, जो कि हमारे रास्ते में आ जाती है । उन्होंने यह डर भी दिखाया कि यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अवैधानिक करार दे दे । मैं समझता हूं कि वह डर तो हमेशा हर एक कानून के बारे में हमारे सिर पर रहता है । अगर उस डर का हमें हमेशा ध्यान रहेगा, तो शायद हम एक कदम भी नहीं चल सकते । इस देश में संविधान के साथ जो शिड्यूल में भूमि सुधार कानून रखे गये हैं । उन से जाहिर होता है कि इस बारे में कितना डर महसूस किया जाता है । हमारे लायक दोस्त वकील साहबान रहेंगे और गरीबों के बजाय अमीरों की तरफ ज्यादा देखेंगे, तो वह डर ज्यादा रहेगा । उस डर से न डरते हुए हमें आगे बढ़ना है ।

भूमि-सुधार कानून के जो अच्छे गुण हैं, उन से श्री ब्रजराज सिंह सहमत हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह इस सिलसिले में एक ऐसे रास्ते से क्यों चलना चाहते हैं, जिस से देरी हो । मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि ये कानून लागू हो चुके हैं । एक आध केस में शायद स्टे आर्डर मिला हो, या न मिला हो, उस का हमें पता नहीं है । हमें यह देखना है कि यहां पर कानून चालू करने का सवाल नहीं है, बल्कि चालू हुए कानूनों को रखने का सवाल है ।

इस के बाद पंडित ठाकुर दास भार्गव और दूसरे दोस्तों ने यह सवाल भी उठाया कि उस असेम्बली ने जो ३६, ३७ कानून बनाये, जिन का कि यहां पर सवाल है, वे सही हैं या ग़लत हैं । इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के पांच सौ मेम्बरों और दूसरे हाउस के ढाई सौ मेम्बरों--कुल मिला कर साढ़े सात सौ मेम्बरों--को हर वक्त यह अख्तियार है कि वे जब चाहें किसी भी ग़लत कानून को रिपील करने का नोटिस दे सकते हैं । इस वक्त ऐसी कोई विपत्ति नहीं है कि हम इसी वक्त देखें कि ये कानून सही हैं या ग़लत । इस दो क्लाज़ के बिल को पास करने में हम को कई घंटे लग रहे हैं । अगर उन ३७ कानूनों को हम ने देखना शुरू कर दिया और उन के बारे में बहस शुरू कर दी, तो यह सदन शायद और कोई काम न कर सकेगा । स्टेट लिस्ट के कानून बड़े पेचीदा होते हैं और उन की हर बात के बारे में कई ख्यालात होते हैं । इसलिये उस में बहुत देर लग जाने का अन्देशा है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इस बारे में औचित्य और संसदीय प्रणाली का भी जिक्र किया गया है । मैं नहीं समझता कि यहां पर कोई खराब प्रणाली चलाई जा रही है । यह प्रणाली ऐसी नहीं है, जिस पर इतनी आपत्ति जाहिर की जाय । यह कोई नई बात नहीं है । मैं समझता हूं कि हमें इस कानून को पास कर देना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ राव (कोरापट) : इस विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों को मान्यता प्रदान करना है । इस पर कई आपत्तियां उठाई गई हैं । श्री नौशीर भरूचा ने यह आपत्ति उठाई है कि राज्य विधान सभा होने के नाते हिमाचल प्रदेश विधान

सभा को कुछ औपचारिक कार्यवाहियां करनी थीं जो नहीं की गई हैं। इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि हिमाचल प्रदेश संघ क्षेत्र है राज्य नहीं। अतः वे संवैधानिक आपत्तियां निर्मूल हैं।

श्री वें० प० नायर ने संविधान के अनुच्छेद २० के आधार पर आपत्ति उठाई है। वह आपत्ति निराधार है उसका कारण यह है कि हम किसी नये अपराध का निर्माण नहीं कर रहे हैं अपितु तत्कालीन अधिनियमों के अनुसार जो अपराध थे उन्हें मान्यता प्रदान कर रहे हैं। भले ही विधान उस समय अवैध रहे हों।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : क्या माननीय सदस्य के कथन का तात्पर्य यह है कि अवैध विधि के अधीन भी डण्ड दिया जा सकता है? और उन मामलों के सम्बन्ध में अब क्या होगा जो ऐसी विधि के अन्तर्गत निलम्बित है जिन्हें उच्चतम-न्यायालय ने ऐसी विधान सभा द्वारा निर्मित घोषित कर दिया है जो न्यायोचित रूप से निर्मित नहीं थी।

†**श्री जगन्नाथ राव** : हम किसी नये अपराध का निर्माण नहीं कर रहे हैं। यदि हम विधान बना सकते हैं तो विधानों को मान्यता भी प्रदान कर सकते हैं।

जहां तक प्रत्येक अधिनियम को बिना विचार किये मान्यता प्रदान करने का प्रश्न है मेरा उत्तर है कि हम उक्त अधिनियमों को पारित नहीं कर रहे हैं अपितु केवल मान्यता दान दे रहे हैं इसलिये प्रत्येक विधेयक पर पृथक से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक भाषण कर्त्ता सदस्य ने यह बात स्वीकार की है कि इस प्रकार का विधान पारित करना संसद के सामर्थय के अन्दर है। आपने भी इसी आशय का निर्णय दिया था। इस बात को स्वीकार कर लेने के पश्चात् अब किसी बात पर तर्क करना बाकी नहीं रह जाता है। संसद की सामर्थय को स्वीकार कर लेने पर श्री भरूचा या श्री नायर ने जो कुछ भी कहा वह सब असंगत सिद्ध हो जाता है। वस्तुत: मैं किसी जिद के कारण यह विधेयक पारित करने को नहीं कह रहा हूं। विधेयकों की संख्या ३५ या ३६ ह। उनकी परीक्षा करने का परिणाम क्या होगा। मान लीजिये हम में से कुछ सदस्य दो या तीन विधेयकों के उपबन्धों से सहमत नहीं होते हैं तो क्या प्रत्येक विधेयकों के उन खण्डों पर यहां चर्चा की जायेगी। क्या ऐसा करना व्यावहारिक होगा। इस सभा का कोई भी सदस्य कोई भी ऐसा विधेयक सभा में उपस्थापित कर सकता है जिससे इन अधिनियमों के किसी खंड का संशोधन होता हो। क्योंकि संसद को यह अधिकार है कि वह हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित किसी भी बात पर चर्चा कर सकती है।

इसलिये यदि कोई सदस्य उक्त अधिनियमों में से किसी से असहमत हों तो वह एक संसोधक अथवा निरसक विधेयक उपस्थापित कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि आप प्रत्येक विधेयक का पृथक-पृथक रूप से परीक्षण कर उन्हें पारित करते हैं तो आप उनके उपबन्धों से अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ता से बचन बद्ध हो जायेंगे। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में किसी को कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये। खंड ४ में से यह स्पष्ट उल्लिखित है कि कोई न्यायालय नई विधान-सभा या इसके पूर्व पारित किसी अधिनियम, अनुदान संकल्प या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं कर सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित की गई थी जो उक्त विधान सभा की कार्यवाही का संचालन करने या उसमें भाग लेने का अधिकारी नहीं था।

केवल इस त्रुटि को दूर करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त यदि विधेयक किसी अन्य कारण से आपत्तिजनक हो तो उस पर कोई भी व्यक्ति यथाचित कार्यवाही करने में स्वतंत्र है ।

श्री भरूचा ने कई काल्पनिक प्रश्न रखे हैं जैसे कि क्या प्रत्येक विधेयक को अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त हो चुकी है अथवा क्या प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत हो चुका है । इन प्रश्नों के सम्बन्ध में हमें यह आशा करनी चाहिये कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने इन बातों की कभी उपेक्षा नहीं की होगी । विधि के अनुसार भी जो कुछ किया गया है उसे तब तक नियमित रूप से किया गया मान लिया जाय जब तक कि उसके विरूद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । इसलिये हमें मान लेना चाहिये कि सभी विधेयक वैध रूप से पारित हुए हैं । यदि कोई आपत्ति करना चाहे तो वह यथाचित कार्यवाही कर सकता है । यदि संसद् को अधिकार है तो क्या यह उचित है कि हम उन विधेयकों को केवल इस लिये अस्वीकृत कर देवें कि वह उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के द्वारा पारित किये गये हैं । हमें यह मानना चाहिये कि उन्हें उस क्षेत्र के सम्बन्ध में हमसे कहीं अधिक जानकारी है और वह भी जनता के दायित्वों और विशेषाधिकारों के प्रति उतने ही सजग हैं जितने कि हम ।

सभा में ३६ सदस्य थे । सभा की अवधि पहली सभा के प्रारम्भ की तारीख से मानी गई है । केवल उसमें चार अतिरिक्त सदस्य और शामिल किये गये । किन्तु अधिसूचना नहीं निकाली गई । हम अपने समय को केवल इस कारण बर्बाद कर रहे हैं कि क्योंकि यह अधिसूचना नहीं निकाली गई इसलिये उक्त सभी विधेयक अस्वीकृत कर दिये जायें और उन विधेयकों पर पुनर्विचार किया जाय और उन्हें पुनः पारित किया जाये या उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाय ।

ऐसी कार्यवाही करने के पक्ष में समुचित तर्क नहीं दिये गये हैं । इस प्रकार का कदम उठाना विलम्बकारी और अवांछनीय होगा । इतना ही नहीं इस प्रकार का कार्य करना संसद् की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होगा ।

उन ढाई वर्षों में बहुत से अन्य कार्य भी किये गये । कई बजट पारित किये गये और बहुत बड़ी राशियां व्यय की गईं । कुछ व्यक्तियों को कारावास प्रदान किया गया और उनकी भूमि का अर्जन किया गया । क्या हम यह कहना चाहते हैं कि वे बातें अनुचित थीं उनके लिये वैध स्वीकृति प्राप्त नहीं थी ? क्या आपने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी विधेयक के किसी एक खंड को अस्वीकार करने का क्या परिणाम होगा ? उससे उस विधेयक के अन्तर्गत की गई प्रत्येक कार्यवाही अवैध हो जायेगी । इसलिये मुझे दुख है कि अध्यक्ष द्वारा यही मत व्यक्त किये जाने पर भी ये बातें कहनी आवश्यक समझी गईं ।

यह विधेयक उपयोगी और शक्तिशाली है । इसका पारित करना बहुत आवश्यक है । इसलिये आप लोगों को यह विधेयक पारित करना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री ब्रज राज सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित करते समय बिलासपुर के चारों सदस्य उपस्थित थे और क्या चुनाव इस विधेयक के पारित होने के पूर्व हो गये थे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** वस्तुतः मैं इसे नहीं जानता हूं। तथापि मैं यह भी जानता हूं कि यदि संसद् के १० या २० सदस्य निर्वाचित न हुए हों या उनका चुनाव अवैध ठहरा दिया जाये तो भी उस आधार पर संसद् की कार्यवाही अवैध नहीं ठहरायी जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि हिमाचल प्रदेश और विलासपुर (नये राज्य) अधिनियम १९५८ के अधीन निर्मित नये राज्य हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के गठन तथा कार्यवाही को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ५, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ५, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गये।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं इस बात से सहमत हूं कि सभा को यह विधेयक पारित करने का अधिकार है। जहां तक अधिकार का सम्बन्ध है सभा इस विधान को मान्यता देने में समर्थ है तथापि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम जिन विधानों को मान्यता देने जा रहे हैं उन्हें देखने का तथा उन पर विचार करने का अवसर भी हमें न दिया जाये। यह बात अनुचित है क्योंकि जब वह अधिनियम मेरे मत से मान्यता प्रदान कर रहा है तो मुझे उस अधिनियम के औचित्य और अनौचित्य देखने का भी पूरा अधिकार है।

निस्संदेह इस विशेष मामले में मेरे विचार न करने से कोई विशेष हानि नहीं होगी तथापि भविष्य के लिये यह एक पूर्ववर्तिता बन जायेगी और यह बड़ी शोचनीय स्थिति होगी जब हमसे विधेयकों को देखे बिना ही उन्हें पारित करने को कहा जायेगा।

जहां तक इस प्रश्न के संवैधानिक पहलू का सम्बन्ध है मैं गृह-मंत्री से सहमत हूं लेकिन जहां तक औचित्य का प्रश्न है प्रत्येक सदस्य की उक्त अधिनियमों के सम्बन्ध में भिन्न राय हो सकती है। भले ही इन अधिनियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता न हो तथापि एक ऐसा प्रमेय स्थापित करना कि किसी सदस्य को इन पर गौर करने का इस कारण अधिकार नहीं है कि यदि कोई त्रुटि होगी तो उच्चतम न्यायालय में इसका उपचार किया जा सकता है, गलत है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं ने केवल इस विधेयक के सम्बन्ध में ही मत दिया था। मैं कोई विधि नहीं बना रहा हूं। मैं भविष्य के लिये कोई नियम या परम्परा कायम नहीं कर रहा हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यदि ऐसी बात है तो ठीक है। मैं भी यह बात समझता हूं कि आज दो वर्ष बाद उन विधेयकों या उस सभा द्वारा पारित किये गये बजट इत्यादि की त्रुटियां निकालने से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। यदि माननीय मंत्री जी के कथन का तात्पर्य यह

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि सभा इन अधिनियमों पर विचार करने की अधिकारी है तो मैं संतुष्ट हूं। मैं केवल सभा के इस अधिकार के सम्बन्ध में व्यग्र हूं कि उसे उन विधेयकों पर विचार करने का पूरा अधिकार है जिनको वह मान्यता प्रदान कर रही है। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

†**श्री वें० प० नायर :** इसी मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दी गई है। कार्य रोकने के सम्बन्ध में सुनवाई के लिये १५ तारीख स्थिर हुई है। उस समय संसद की बैठक भी नहीं होगी और यदि उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान की शक्ति के परे घोषित कर दिया तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह एक काल्पनिक प्रश्न है जब तक उच्चतम न्यायालय इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न करे तब तक सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर सकती है ?

श्री पद्म देव : (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई कि ३२ आदमियों की अपीलें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग हैं, मैं इस के बारे में बतलाना चाहता हूं कि उन का फैसला तो हो चुका और इसी बिना पर यह सारी की सारी कार्यवाही १९५४ से १९५६ तक की अवैध घोषित की गई है और उसी को वैध घोषित करने के लिये आज यह वैलिडेटिंग बिल.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात पर अब बहस करने की जरूरत नहीं है।

श्री पद्म देव : माननीय सदस्य इस के बारे में यह कह रहे थे.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने उन से भी कहा है कि अभी इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिये। आप दूसरी बात जो कहना चाहते हैं, कहें।

श्री पद्म देव : दूसरी बात माननीय पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने सीलिंग के बारे में कही थी। जहां तक सीलिंग का सवाल है हिमाचल में १२५ रुपया सालाना तक मानिये कि वह है और अगर किसी जागीरदार ने सारी की सारी जमीन मुजायरों को दे रखी हो तो उस को यह भी अधिकार है कि वह २५ बीघा तक जमीन ले सकता है। जैसा कि अभी कहा गया था पोजीशन दर असल यह थी कि हिमाचल में जितनी जमीन थी वह जागीरदारों या उनके अहलकारान के पास थी और उन्होंने आगे दे रखी थी। खेती करने वाले कृषक थे और मालिक दूसरे। जो मालिक थे उन को बैठे बिठाये अनाज आता था। उसकी मौजूदगी में जब वहां पर लोक प्रिय सरकार बनी, उसके सामने अगर कोई सब से बड़ा सवाल सुधार का था तो वह इसी के बारे में था। वहां के लोग जमीन को अपना सब कुछ समझते हैं और उन की इस भूख को शान्त करने का सवाल था। मुझे हैरानी है कि वे लोग जो गरीबों का बड़ा भारी समर्थक अपने आप को कहते हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तीसरी रीडिंग में नहीं कही जा सकती है।

†**श्री जोगेन्द्र सेन** (मंडी) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस मत से सहमत हूं कि उन विधियों को पारित करना जो अनुसूची में नहीं है और वह भी उन पर बिना विचार करने का अवसर मिले हुए, उचित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने सुधार अधिनियम पर आपत्ति उठाई है। इसी लिये मेरा सुझाव यह है कि उक्त अधिनियम को मान्यता प्रदान नहीं की जाये और उस पर यहां विचार किया जाये और यदि उस में

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई उपबन्ध संविधान के प्रतिकल हो तो उस का संशोधन किया जाये। निसंदेह जमीदारों की आशंका उचित है और उच्चतम न्यायालय ने इस बात का समर्थन किया है कि उनका इस प्रकार दमन करना उचित नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हम कई बार इसका आश्वासन दे चुके हैं कि ज्यू ज्यू चुनाव होते रहेंगे और उनका अनुभव हमें होता रहेगा तथा उच्चन्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा विधि का स्पष्टीकरण होता रहेगा, हम उस के आधार पर इस अधिनियम में संशोधन करते रहेंगे। यह एक ऐसा विधेयक है जिसके सम्बन्ध में किसी एक दल को रुचि नहीं होगी। प्रारम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन हम कर रहे हैं उस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में और संशोधन किये जाने आवश्यक नहीं हैं। अपितु यह संशोधन, इसलिये किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग कुछ संशोधनों को बहुत आवश्यक समझता है और चाहता है कि इन्हें १ जनवरी, १९५९ से पहले लागू किया जाये। परन्तु हम सभा के सेवक हैं और यदि सभा चाहती है कि इस सम्बन्ध में और जांच की जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैं संशोधनों के सम्बन्ध में संक्षेप में बताऊंगा। खण्ड २, १२, ३ तथा १३ द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में केवल शाब्दिक परिवर्तन किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के पश्चात् सीटों का पुर्नअवंठन किया जाना था और पिछले अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया था। धारा ३ तथा धारा ७ में राज्य पुर्नगठन से पूर्व की सीटें तथा पुनर्गठन के पश्चात् आवंटित की जाने वाली सीटें क्रमशः बताई गई हैं। पुनर्गठन होने के पश्चात् अब यह आवश्यक नहीं रहा कि अनुसूचियों में पुनर्गठन के पहिले की सीटों का उल्लेख किया जाये। इसलिये खंड २ तथा १२ के द्वारा हम लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में से पिछले अधिनियम के उस अंश को निकाल रहे हैं जिस में पुनर्गठन के पहिले की सीटों का आवंटन बताया गया है।

खण्ड १३ तथा ४ के द्वारा हमने अधिनियम की धारा ७ का संशोधन किया है और उस का भी यही प्रभाव है। भाग ग राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में १९५० के अधिनियम की धारा ३क को खण्ड ३ के द्वारा हटाया गया है क्योंकि भाग ग राज्यों का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए रक्षित सीटें परिसीमन आदेश में रखी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि खण्ड ५ के द्वारा जो परिवर्तन किया जा रहा है उस के सम्बन्ध में सभा में मतैक्य होगा। परिवर्तन अर्हतादायक तिथि में दिया जा रहा है। हमने इस समय अर्हता तिथि १ मार्च रखी है। यह सभी जानते हैं कि अधिकांश चुनाव पंजीयन पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी होते हैं और इन राजस्व पदाधिकारियों को १ मार्च से बहुत काम रहने लगता है और इसीलिये वह पंजीयन के काम में अपना उतना समय नहीं लगा पाते हैं जितना उनको इसमें लगाना चाहिये। १ मार्च से पहले के तीन महीनों में वह पंजीयन के काम में पर्याप्त समय लगा सकते हैं इसलिये यह उचित समझा गया कि अर्हतादायक तिथि को १ मार्च के स्थान पर १ जनवरी रख दिया जाये।

वर्तमान अधिनियम में, एक व्यक्ति का पंजीयन उस स्थान की मतदाता सूची में हो सकता है जहां पर वह आम तौर से रहता है। परन्तु इस व्यवस्था के द्वारा उस का कई मतदाता सूचियों में नाम आ जाता है। ऐसा देखा गया है कि यदि किसी का नाम ऐसे स्थान की मतदाता सूची में है जहां वह वोट नहीं देगा तो उस व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा वोट देने की गुंजाइश रहती है। हमने इस प्रकार की जालसाजी को रोकने का प्रयत्न किया है। और यह सुझाव दिया है कि एक मतदाता का नाम एक ही सूची में होना चाहिये और वहां होना चाहिये जहां वह आम तौर से रहता है। इसी आधार पर धारा १७ का संशोधन किया गया है।

खण्ड ७ में इस सम्बन्ध में और भी सावधानी रखी गयी है। पहली धारा १९ में अर्हतादायक तिथि आयु तथा निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निवास के सम्बन्ध में थी। अब साधारण निवास तो तब कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति ने दीर्घकाल तक कहीं निवास किया हो। अब इसको किसी खास तारीख के लिये सीमित करने के मतलब पहली बात का उल्टा करना होगा; फिर यह व्यवस्था संविधान के अनुकूल भी नहीं है क्योंकि संविधान में अर्हतादायक तिथि आयु के सम्बन्ध में रखी गई है, निवास के सम्बन्ध में नहीं रखी गयी है। इसलिये अब हम केवल इसी तथ्य पर विचार करेंगे कि उस समय वह व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में आम तौर से रहता है अथवा नहीं। खण्ड ८ के द्वारा यही व्यवस्था की गई है।

खण्ड ९ के द्वारा चुनाव पंजीयन पदाधिकारियों को चुनाव सूची में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। यदि उसको पता लगता है कि किसी मृत व्यक्ति अथवा उस स्थान पर न रहने वाले व्यक्ति अथवा अनर्ह व्यक्ति का नाम उस सूची में है तो वह सूची में परिवर्तन कर सकता है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब जिस व्यक्ति के बारे में ऐसी कार्यवाही की जा रही हो उसको इसका उपयुक्त नोटिस दिया गया हो।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : विधेयक में यह नहीं कहा गया है।

†**श्री हजारनवीस** : यदि सभा इस को रखा जाना आवश्यक समझती है तो ऐसा उपबन्ध रखा जा सकता है।

खण्ड ११ के द्वारा विधि को और स्पष्ट किया गया है। संभवतया दण्ड संहिता में उपबन्ध पर्याप्त थे, परन्तु संदेह के मामलों में हम विशिष्ट उपबन्ध रखना चहते हैं और अपराध को स्पष्ट करना चाहते हैं। दावे के मुकदमे में झूठे बायानात देना अथवा दिलवाना अपराध माना जायेगा। क्योंकि मत देने का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है इसलिये यदि कोई प्राधिकारी अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की

†मूल अंग्रेजी में

जा सकती है। हमने यह व्यवस्था भी की है कि उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि खण्ड १२ तथा १३ पुनर्गठन के कारण रखे जा रहे हैं।

खण्ड १४ के द्वारा 'अथवा संघ क्षेत्र के निर्वाचकगण में' शब्द हटाने की व्यवस्था है क्योंकि अब कोई निर्वाचकगण नहीं हैं।

अधिनियम की धारा ७ का अन्वय करना कठिन पाया गया है वह इस प्रकार है :—

"एक व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन का या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य रहने के लिए अनर्ह होगा:—

* * * *

(घ) यदि वह समुचित सरकार को वस्तुओं के प्रदाय के लिए या समुचित सरकार द्वारा उपक्रमित किन्हीं कार्यों के निष्पादन के लिए या किन्हीं सेवाओं की पूर्ति के लिए संविदा में स्वयं या अपने लिए न्यास के रूप में या अपने फ़ायदे के लिए या अपने लेखे पर किसी व्यक्ति के, या व्यक्तियों के निकाय द्वारा कोई अंश या हित रखता है।"

इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह उपबन्ध इंग्लैण्ड की सांविधानिक विधि में या इंग्लैण्ड की चुनाव विधि में रखा गया था क्योंकि ऐसा पाया गया था कि बहुत से संसद् सदस्य ठेकेदारी में रुचि लेते हैं जिनके द्वारा लड़ाई के कामों के लिए अमरीका को रुपया भेजा जाता था और वे युद्ध में लगे विभिन्न विभागों को वस्तुओं के संभरण के ठेके लेते हैं। १९३१ में सर स्ट्रेफोड क्रिप्स ने एक संशोधन प्रस्तुत किया जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह उपबन्ध अचल सम्पत्ति के ठेकों पर लागू नहीं होगा। इसको बाद में और संशोधित कर दिया गया था। ऐसा अनुभव किया गया कि इस प्रकार के उपबन्ध को लागू करना असम्भव था; जब सरकार ने स्वयं सभी प्रकार के कामों को अपने हाथ में ले लिया है तो किसी व्यक्ति का सरकारी विभागों के सम्पर्क में न आना असम्भव सा था। इस आधार पर उन्होंने अनर्हता के खण्ड में से इस खण्ड को निकाल दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इस विधि को भी अंग्रेजी विधि के समान बनाने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया है। हमने तो केवल यही प्रयत्न किया है कि विधि में से निरर्थक अथवा अस्पष्ट शब्दों को निकाल दिया जाय।

जहां तक वकीलों और मुवक्किलों का प्रश्न है हाउस आफ कामन्स की समिति के समक्ष यह विचार प्रकट किए गए थे कि वकील तथा उसके मुवक्किल का सम्बन्ध नौकर तथा मालिक का सम्बन्ध नहीं है। इसलिये सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों को छूट दी गई है। विधि को स्पष्ट करने के लिये हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। हमने पंडित ठाकुर दास भार्गव के विचारों के अनुसार इसको अंग्रेजी विधि के समान बनाने का प्रयत्न नहीं किया है। हम तो चाहते हैं कि वस्तुओं के संभरण आदि के ठेके लेने वाले व्यक्ति को अनर्ह किया जाये और हम "समुचित सरकार द्वारा उपक्रमित सेवाओं" शब्दों को हटा रहे हैं।

परिषदों अथवा राज्य परिषद् के उम्मीदवारों से जमानत लेने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है। हमने इसीलिये यह उपबन्ध रखा है जिससे जो व्यक्ति चुनाव में खड़े होने के काबिल नहीं है वह भी चुनाव के लिए खड़ा होता है और हार जाता है, तो भी उसे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। इसीलिए जमानत का उपबन्ध रखा है।

खण्ड २० तथा २१ के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री तंगामणि तथा ब्रजराजसिंह यह जान कर प्रसन्न होंगे कि हमने उनके सुझाव के अनुसार काम किया है और हम धारा ५५क हटा रहे हैं।

खण्ड २३ धारा ५६ के सम्बन्ध में हैं। अभी मतदान केन्द्र आठ घण्टे के लिए खोला जाता है। परन्तु परिषद् के चुनावों में मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि मतदान केन्द्रों को आठ घण्टे के लिए खोला जाये अथवा चुनाव अधिकारी जो चुनाव के काम में लगे हों, वे आठ घण्टे तक बैठे रहें जबकि मतदाताओं के आने की कोई आशा न हो। इसलिए हम इस संविहित सीमा को हटा रहे हैं और इसके निर्धारण का अधिकार चुनाव आयोग को दे रहे हैं।

खण्ड २४ अनुमतिदायक खण्ड है। अभी यह व्यवस्था है कि मन्त्री तथा उपमन्त्री आदि कुछ लोग अपना मत डाक द्वारा डाल सकते हैं। सम्भव है वह कहीं पर अत्यावश्यक काम में लगे हों और अपना मत न दे पायें इसलिये यह व्यवस्था रखी गई है। लेकिन ऐसी हुआ है कि मन्त्री अथवा उपमन्त्री जो स्वयं उम्मीदवार थे, मतदान के केन्द्र में गए और उनको मतदान नहीं करने दिया गया। इस संशोधन से वे डाक द्वारा अन्यथा वहां जाकर मतदान कर सकेंगे।

खण्ड २५ एक महत्वपूर्ण खण्ड है। एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति द्वारा मतदान करने को रोकना बहुत जरूरी है और इसलिये कुछ नियम बनाये जाने चाहिए। वर्तमान अधिनियम में यह दिया है कि "जो व्यक्ति मतदान केन्द्र में मतदान के लिए मतदान पत्र अथवा पत्रों को मांगता है उसके अंगूठे अथवा उंगली पर, उन मतदान पत्रों को देने से पहले न मिटने वाली रोशनाई लगाई जायेगी।"

इसके साथ हम यह रखना चाहते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के अधीन बताये गये नियमों के अनुसार यदि मतदान केन्द्र के उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को फोटो वाले अथवा बिना फोटो वाले पहचान-पत्र दिये गये हैं तो मतदान पत्रों को दिये जाने से पहले उन्हें निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान-पत्र दिखाने होंगे।

इस उपबन्ध के द्वारा चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए हैं जिनका उपयोग वह कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकते हैं। ठीक है कि इसमें कुछ व्यय होगा। परन्तु इस बात से सब उम्मीद वार सहमत होंगे कि जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या हो और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत आते जाते हैं और उनके पहचानने में कठिनाई हो, तो उन स्थानों पर निष्पक्ष चुनाव के लिए पहचान पत्र दिये जाने आवश्यक हैं, चाहे पहचान पत्र फोटो वाले हों अथवा बिना फोटो वाले। चुनाव आयोग को इस विषय में अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह इस बात के लिए उचित उपाय करें कि ठीक और सही लोग ही वोट दें।

खण्ड २६ तथा २७ के द्वारा धारा २६४ तथा ६७क का अनुसांगिक संशोधन किया जा रहा है क्योंकि धारा ५५क हटा दी गई है।

खण्ड २८ एक प्रकार से महत्वपूण है; प्रश्न यह है कि जिन मामलों में चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा प्रारम्भ में ही याचिका को खारिज कर दिया गया हो तो क्या उनकी अपील धारा ९८ के अधीन की जा सकती है अथवा नहीं। हमारे विचार से इन मामलों में उच्च-न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस प्रकार के आदेश की अपील भी उच्च-न्यायालय में की जा सकेगी।

खण्ड २९ चुनाव विवाद की प्रगति के सम्बन्ध में चुनाव आयोग को सूचना देते रहने के लिए है। प्रायः ऐसा होता है कि चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है और आगे कार्यवाही रोकने के आदेश दे दिये जाते हैं लेकिन इसकी सूचना आयोग को नहीं दी जाती। इसके फलस्वरूप

चुनाव की तिथि निश्चित कर दी जाती है तथा अन्य प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में हमने नियम बनाये हैं कि चुनाव आयोग को इसकी सूचना दी जाया करे परन्तु अब इनको हम संविहित आधार पर रख देना चाहते हैं।

धारा ११७ के अधीन इस कठिनाई का सामना करना पड़ा कि ज़मानत की रक़म चुनाव आयोग के सेक्रटरी के नाम जमा की जाये अथवा चुनाव आयोग के नाम। कुछ न्यायाधिकरणों का मत था कि जब तक रक़म चुनाव आयोग के सेक्रटरी के नाम जमा नहीं होगी उसको ठीक नहीं माना जायगा। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिये "सेक्रेटरी" शब्द को हटाया जा रहा है।

खण्ड ३२ द्वारा हम ज़मानत की राशि को निर्वाचन अधिकारी से वापस लेने की अवधि छः महीने से एक वर्ष कर देना चाहते हैं।

खण्ड ३३ के द्वारा एक आनुषंगिक संशोधन किया गया है।

खण्ड ३४ के द्वारा एक ऐसी कमी की पूर्ति की जा रही है जिसको उच्चतम-न्यायालय ने बताया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रिश्वत देने वाला व्यक्ति अनर्ह होगा, लेने वाला नहीं। हम अब यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रिश्वत देने वाला ही भ्रष्टाचार का दोषी नहीं होगा अपितु लेने वाला भी दोषी माना जायेगा।

वास्तव में खण्ड ३५ को १९५० को अधिनियम में ही रखा जाना चाहिए था क्योंकि १९५१ के अधिनियम के अधीन चुनाव पंजीमन पदाधिकारी तथा सहायक चुनाव पंजीयन पदाधिकारी को कोई काम नहीं करना होता है। १९५० के अधिनियम के अधीन ही उनको कुछ काम करने होते हैं।

खण्ड ३७ धारा १५८ के सम्बन्ध में है। इसमें यह व्यवस्था थी कि चुनाव एक मतदाता को एक मतदान-पत्र दिये जाने के आधार पर होंगे। अब चुनाव आयोग ने एक ऐसा मतदान-पत्र लागू किया है जिस पर मतदाता को अपना मत अंकित करना पड़ता है। धारा १५८(३) में दिया गया है कि वोटों की संख्या वही मानी जायेगी, जितने कि मतदान-पत्र होंगे। अब नई व्यवस्था में यह उपबन्ध ठीक नहीं है। इसलिये धारा १५८ (३) को हटा दिया गया है। इसके साथ-साथ हमने यह भी व्यवस्था रखी है कि जो उम्मीदवार अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली से चुना जा रहा है उसको यदि कुछ निश्चित न्यूनतम अंक नहीं मिलते तो उसकी ज़मानत ज़ब्त कर ली जायेगी।

यही सब विभिन्न प्रकार के संशोधन हैं जिनमें से कई के सम्बन्ध में हमें विरोधी पक्ष के सदस्यों के सुझाव मिले थे। मैं समझता हूं कि इनके सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि सभा की इच्छा इन संशोधनों की विस्तृत रूप से जांच करने की हो तो प्रवर समिति को इन्हें भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु कठिनाई केवल इतनी ही है कि यदि इसको पारित अभी नहीं किया गया तो आगामी वर्ष के अर्हतादायक तिथि को १ मार्च के स्थान पर १ जनवरी नहीं किया जा सकेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं जिस के द्वारा मैं विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राम कृष्ण** (महेन्द्रगढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं । जिस में मैं ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव रखा है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करता हूं । इस के द्वारा मैं चाहता हूं कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये ।

†**श्री आसर** (रत्नगिरि) : मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं जिस के द्वारा मैं विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपना चाहता हूं ।

†**श्री ईश्वरअय्यर** : मैं अपना संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं जो विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में है ।

क्या माननीय मंत्री इसे प्रवर समिति को सौंपने के हमारे प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं ?

†**श्री हजारनवीस**: माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद ही, मैं इस का निर्णय कर सकता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं ने प्रवर समिति के लिये जिन सदस्यों के नाम रखे हैं, उन को बढ़ाया भी जा सकता है । मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि हों, क्योंकि यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है । जिन्हें भी निर्वाचन के सम्बन्ध में काम करने का अनुभव हो, उन सभी को इस पर विचार कर के इसे अच्छे से अच्छा बनाने में योग देना चाहिये । इस विधयक का तो उद्देश्य ही यह है कि हमारे देश में अधिक से अधिक स्वतंत्र और उचित ढंग से निर्वाचन हो सके ।

हमारे देश में मतदाताओं की संख्या अन्य देशों की संख्या से कहीं अधिक है । हमारे यहां दो बार निर्वाचन हो चुके हैं, जबकि अभी पाकिस्तान में एक बार भी निर्वाचन नहीं हो सका है । देश के सभी दलों का हित इस में है कि हमारे यहां निर्वाचन स्वतंत्र और उचित ढंग से हों । इस के लिये हमें इस में अन्य स्वतंत्र देशों की सभी स्वस्थ प्रथाओं का समावेश करना चाहिये । इसीलिये मैं ने अपने संशोधन में व्यवस्था की है कि प्रवर समिति को सभी संशोधनों पर विचार करने की शक्ति रहनी चाहिय ।

माननीय विधि उपमंत्री ने खण्डों के सम्बन्ध में जो टिप्पणियां दी हैं, वे काफ़ी स्पष्ट हैं ।

मेरा तो ख्याल है कि कुल मिला कर यह विधेयक पहले से अच्छा है । लेकिन कुछ मामलों पर सभा को ब्यौरेवार चर्चा करनी ही चाहिये। और यह चर्चा तभी की जा सकती है जब इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये । ऐसे सभी विवाद-ग्रस्त विधानों को प्रवर समिति में जाना ही चाहिये । इस में कई सारे मामले अन्तर्ग्रस्त हैं, और उन पर सभा में खुल कर चर्चा नहीं की जा सकती । माननीय विधि उपमंत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर सहमत हो गये हैं ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : कौन सहमत हो गये हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्तावक ने कहा है कि वह समिति द्वारा इस विधेयक की परिनिरीक्षा का विरोध नहीं करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० कु० सेन** : परिनिरीक्षा के लिये तो हम तैयार हैं, लेकिन इस विधेयक का क्षेत्र इतना सीमित है और इस में अन्तर्ग्रस्त विषय इतना कम महत्व का है, कि हम इसे प्रवर समिति को सौंपना आवश्यक नहीं समझते । मैं ने निजी तौर पर कई माननीय सदस्यों से कहा है कि हम दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर इस के सम्बन्ध में उन के विचार सुनने के लिये तैयार हैं । प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बाद, हाल ही संयुक्त समिति का प्रश्न उठेगा, और उस में बहुत समय लग जायगा ।

एक बार प्रवर समिति गठित करने के बाद, उस में राज्य-सभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा । वैसे मैं कह ही चुका हूं कि हम माननीय सदस्यों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हैं । हम बैठ कर चर्चा कर सकते हैं । इस विधेयक को इसी सत्र में पारित होना चाहिये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय विधि मंत्री चाहते हैं कि यह पहेली जनवरी से पहले ही पारित हो जाये । हम इसे पहली मार्च तक भी तो पारित कर सकते हैं, उस से क्या हानि होगी?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन की आपत्ति यह है कि नियमित अधिकारियों को इन तीन महीनों में समय नहीं मिलेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम ने अविलम्बनीयता के कारण बता दिये हैं, उन को स्वीकार करना या न करना सभा के हाथ में है ।

ये कारण निर्वाचन आयोग ने ही बताये हैं । हम ने अपनी ओर से कोई भी कारण नहीं बताया । निर्वाचन आयोग को ही निर्वाचन कराना पड़ता है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वे कारण तो हमें मान्य हैं । अगर य कारण न भी होते, तो भी विधि मंत्री अपनी इच्छानुसार ही कार्य कर सकते थे । माननीय प्रस्तावक तो इसे प्रवर समिति को सौंपने के लिये तैयार थे, लेकिन यदि माननीय विधि मंत्री अब उस से सहमत नहीं हैं, तो हम केवल अनुरोध ही तो कर सकते हैं । अगले वर्ष तो चुनाव भी नहीं होने जा रहे हैं । इसलिये नियमित अधिकारियों को, इस के पहली मार्च को पारित होने के बाद भी, काफी समय रहेगा । यह कोई इतना बड़ा कारण नहीं है ।

यह एक प्रश्न ऐसा है कि जिस पर सभी दलों को संतुष्ट रखना जरूरी है । अच्छा तो यही होगा कि निर्वाचन का अनुभव रखने वाले सभी माननीय सदस्यों को इस की चर्चा में पूरा योगदान कर के इसे अच्छे-से-अच्छा बनाने दिया जाये । इसीलिये मैं विधि मंत्री से प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव मान लेने की अपील कर रहा हूं ।

अभी तक जितने भी ऐसे विधेयक सभा में रखे गये थे, सभी को प्रवर समिति को सौंपा गया था । उन में सभी माननीय सदस्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर योग दिया था ।

खण्ड १५ की व्यवस्था को देखिये । यदि इस धारा का संशोधन किया जाना है, तो जरूरी है कि प्रवर समिति इस पर विचार करे । यह मामला ही इतने महत्व का है ।

खण्ड १५ की व्यवस्था के विषय से सम्बन्धित विधि को इंगलैण्ड में अब संशोधित कर दिया गया है । स्वयं माननीय विधि मंत्री की यह राय थी कि प्रत्येक व्यक्ति को इस सभा में निर्वाचित होने का अधिकार रहना चाहिय, सभी अनर्हतायें, हटा दी जानी चाहियें । उन के मत से विरोधी दल भी सहमत हो गय थे । इस से स्पष्ट है कि सभा के सभी माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि अनर्हताये कम से कम रहने दी जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५१ में यह मूल अधिनियम अधिनियमित हुआ था । उस समय एक प्रस्ताव ऐसा आया था कि किसी भी व्यवसायी को सभा के लिये निर्वाचित होने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था । इंगलैण्ड में भी पहले की ऐसी ही अनर्हताओं को अब हटा दिया गया है । हमें भी अपने यहां इन व्यवस्थाओं को नहीं रखना चाहिये ।

अब यदि सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये तो खाद्यान्न के लगभग सभी व्यापारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सम्बन्धित होने के कारण इस की पकड़ में आ जायेंगे ।

इस प्रकार तो आप लोगों की एक बड़ी संख्या को निर्वाचन में भाग लेने से, खड़े होने से अनर्हित कर देंगे । आगे चल कर निजी उद्योग या निजी व्यापार का यह महत्व तो रह ही नहीं जायेगा, और वे सभी किसी न किसी रूप में सरकार से सम्बन्धित हो ही जायेंगे ।

आप इस व्यवस्था को देखिये । इस के क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति नहीं आता जो एक या दो ठेके लेता है । इस की पकड़ में वही व्यक्ति आता है जो अपने व्यवसाय के सिलसिले में एक-दो ऐसे ठेके लेता है ।

और यदि किसी का ठेका अप्रैल में खत्म होता हो, तो भी वह अनर्हित रहेगा, क्योंकि निर्वाचन तो मार्च में ही हो जायेंगे । लेकिन वह तो अगले निर्वाचन तक अनर्हित ही बना रहेगा ।

मैं ठेके को लाभ-पद के समान नहीं माना जा सकता । इसलिये ठेके लेने वालों को अनर्हित करना अनुचित होगा ।

इस सम्बन्ध में कई याचिकायें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने जा चुकी हैं । उन के निर्णय भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते । नियंत्रण के समय, किसी निर्णय में तो अनुज्ञप्तिधारियों को अनर्हित कर दिया गया, और किसी भी में अनर्हित-प्राप्ता माना गया था ।

सरकारी निर्माण कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में भी यही अस्पष्टता है । निर्माण-कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं । उस से सम्बन्धित कई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, जिन का सरकार से कोई सरोकार ही न हो । जिला बोर्ड का ५०० रुपये का छोटा सा ठेका भी तो निर्माण-कार्य ही होता है । उस के ठेकेदार को अनर्हित करना कहां तक उचित है ? इस सिलसिले में, हमें इंगलैण्ड को कामन्स सभा का अनुसरण करना चाहिये ।

खण्ड ११ अपूर्ण है । उस में 'सम्मिलित करना या सम्मिलित न करना' भी रखना चाहिये ।

अब कई एसी भी व्यवस्थायें हैं जिन के संशोधन के लिये हम अर्से से मांग कर रहे हैं । पिछली बार के चुनावों के सम्बन्ध में ३०० याचिकायें पेश की गई थीं । मतलब यह है कि कुल निर्वाचित व्यक्तियों के एक प्रतिशत के निर्वाचन के ही बारे में याचिकायें होती हैं । इसलिय निर्वाचन-व्यय का प्रश्न इन एक प्रतिशित के बारे में ही उठता है । इस से पहले के विधेयक पर चर्चा के समय, मैं न सभा के सामने अपनी एक टिप्पणी पेश की थी । निर्वाचन-व्यय का ठीक-ठीक लेखा रखना कठिन होता है । विधि की व्यवस्था के अनुरूप तो लेखे रखे ही नहीं जाते । और, इस प्रकार को छोटी-छोटी मदों का लेखा रखना, खास तौर से निर्वाचन के दिनों की सरगर्मियों में, बहुत ही कठिन है । एक माननीय सदस्य का निर्वाचन इसलिय अवैध घोषित कर दिया गया था कि उन के लेखे में एक बार दिये जाने का व्यय नहीं दिखाया गया था । मैं यह भी नहीं चाहता कि लेखे रखने में बेईमानी की जाये । मैं यह तो मानता हूं कि व्यय की सीमा निर्धारित कर दी जाये । नहीं तो निर्वाचन में धनी लोग ही भाग ले सकेंगे । व्यय की सीमा तो रखी जानी चाहिये, लेकिन लेखा रखना अनिवार्य नहीं होना चाहिये । मैं इस के भी पक्ष में नहीं हूं कि निर्वाचन समाप्त होते ही, १५ दिन के भीतर निर्वाचित

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने लेखा रखें और शपथ के साथ कहें कि वह सही है। केवल एक प्रतिशत मामलों में ही तो लेखों का प्रश्न उठता है। इसलिये, मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस पर भी विचार करे। यदि यह विधेयक प्रवर समिति को नहीं सौंपा जायेगा, तो सभा इस व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर सकेगी। सभा को इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करने का अवसर तो दिया ही जाना चाहिये।

प्रत्येक माननीय सदस्य को यह अवसर मिलना चाहिये कि वह इन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अपने विचारों से सभा को सहमत करने का प्रयास कर सके। ऐसा अवसर न देना, अनुचित होगा। इसलिये मैं माननीय विधि मंत्री से अपील करता हूं कि वह इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। यदि विधि मंत्री इससे सहमत नहीं होते, तो सभा को यह प्रस्ताव स्वीकृत करना चाहिये।

पिछले अवसर पर, निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में चर्चा करते समय, हम ने सुझाव दिया था कि जिला न्यायाधीश को याचिकाओं के मामले में निर्णय करने की शक्ति दी जानी चाहिये। लेकिन, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस पर भी विचार करे।

इसी प्रकार, रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में भी कुछ विवाद-ग्रस्त रूपभेद किये गये हैं। उन पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस विधेयक की व्यवस्थायें ही कुछ ऐसी हैं कि उन पर अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को चर्चा करनी चाहिये। इसलिये, सभा में दिये गये सभी सुझावों पर विचार करने के लिये प्रवर समिति का गठन अत्यावश्यक है। और यदि प्रवर समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं माना जाता, तो फिर श्री नौशीर भरूचा के प्रस्ताव के अनुसार इसे राय जानने के हेतु परिचालित किया जाना चाहिये। जनता ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णायक है। इस में कई ऐसे मामले हैं, जिनसे सभी को दिलचस्पी है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता, पर इसे प्रवर समिति को सौंपना आवश्यक समझता हूं। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावित प्रवर समिति के सदस्यों के नाम स्वीकार करने को तैयार हूं।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से पता चलता है कि इस में प्रस्तावित संशोधनों के पीछे एक बड़ी सही भावना है।

लेकिन उस भली भावना की कार्यान्विति से मुझे बड़ी निराशा हुई है।

एक मोटे तौर पर इस विधेयक का मंशा यह है कि हाल के निर्वाचनों के दौरान में इस अधिनियमन में जो कुछ त्रुटियां देखी गई थीं, उनको दूर किया जाये। इस में यह त्रुटियां पाई गई हैं कि लोग दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं, और यह कि निर्वाचन नामावलियों में मृत व्यक्तियों के या स्थान बदल देने वाले व्यक्तियों के नाम भी बने रहते हैं।

खण्ड ९ में निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी नाम को हटा या शुद्ध कर सकता है। यह एक नयी धारा है। जिसे मूल धारा २२ के स्थान पर रखा जा रहा है। इसके देखने से तो यह लगता है कि निर्वाचन पंजीयन अधिकारी किसी भी व्यक्ति के नाम को हटा या शुद्ध कर सकता है, यदि उस व्यक्ति के अलावा भी कोई व्यक्ति उसके लिये पाथना-पत्र दे। इस कार तो कोई भी व्यक्ति कई सौ व्यक्तियों के सम्बन्ध में झूठा प्रार्थना-पत्र

†मूल अंग्रेजी में

दे सकता है । इस प्रकार तो निर्वाचन के उम्मीदवारों तक का नाम हटाने की साजिश की जा सकती है । जिस व्यक्ति के नाम के लिये ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाये, उस व्यक्ति को भी तो अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये । यह ठीक है कि वह अधिकारी निर्वाचन आयोग के सामान्य निर्देशों के नियंत्रण में चलेगा, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है, निरापद नहीं है ।

यदि निर्वाचन आयोग पर ही सारी चीज़ें इस प्रकार छोड़ देना है, तो फिर लोक प्रतिनिधान अधिनियम की ही क्या आवश्यकता है ? सारी शक्तियां आयोग को ही सौंप दी जायें । इसलिये, हमें इस धारा में यह व्यवस्था भी करनी चाहिये कि निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रीति से करेगा । हम इसी में एक ऐसी संविहित व्यवस्था कर सकते हैं । मैंने इसी उद्देश्य से यह संशोधन रखा है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** हम उस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : केवल मेरे संशोधन का प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये या नहीं ।

मैं तो इस संशोधन विधेयक की कुछ त्रुटियां आपके सामने रख रहा हूं । अभी तो मैं ने ऊपरी दृष्टि से इस विधेयक को देखा है, और उससे जो त्रुटि सामने आई, मैंने रख दी है । यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है । इसलिये इस पर उत्तेजित होने का कोई भी कारण नहीं है ।

खण्ड ७ में, मूल धारा के स्थान पर एक नयी धारा रखी जा रही है, जिसके अन्तर्गत २१ वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम रखा सकता है । वैसे तो यह बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस में कुछ खतरा भी है ।

इस विधेयक के निर्माताओं ने 'साधारणतया निवासी' की कोई परिभाषा करना जरूरी नहीं समझा है । कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं, जो वर्षों एक ही बस्ती के एक ही होटल में वर्षों तक रहते हों । कुछ और भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कोई मकान नहीं रहता । क्या उनको 'साधारणतया निवासी' नहीं माना जायेगा ?

सामान्य विधि में तो 'साधारणतया निवासी' की परिभाषा की गई है । लेकिन इस प्रयोजन के लिये उसकी और स्पष्ट परिभाषा करने की जरूरत है । मैं अभी इस समय नहीं बता सकता कि परिभाषा क्या होनी चाहिये । इस पर तो जनता के प्रतिनिधियों को चर्चा करनी चाहिये । यह प्रवर समिति में ही होगा ।

खण्ड २५ में पहचान-पत्र जारी करने की आवश्यकता बताई गई है । लेकिन २० करोड़ मतदाताओं के लिये, उनके फोटो सहित, पहचान-पत्र जारी करना सम्भव नहीं होगा । उस पर १५—२० करोड़ रुपये खर्च भी हो जायेंगे । बिना फोटो के पहिचान-पत्रों में यह खतरा रहेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी बन कर पहुंच सकता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो कई कारणों से, अपनी फोटो खिंचवाना ठीक नहीं समझते । पर्दे वाली स्त्रियां भी इस पर आपत्ति कर सकती हैं । यह व्यावहारिक नहीं है । इसीलिये मैंने अपने संशोधन में कहा है कि फोटो सहित परिचय-पत्र तो जारी किये जायें, लेकिन तभी जब कि निर्वाचन आयोग भी उसे ठीक समझे । विधि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

इन सभी चीज़ों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । मतदान का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है । इसलिये इसके सम्बन्ध में जनता की राय जानना भी बहुत जरूरी है । इसलिये, इस पर पूरी गम्भीरता से विचार करने का अवसर जुटाने के लिये, यह जरूरी है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक में, लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धारा ७(घ) की मूल व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जा रहा है। उस में सरकार से संविदात्मक सम्बन्ध रखने वालों को अनर्हित किया जा रहा है। क्या यह सरकारी वकील पर भी लागू होगा ? मैं नहीं समझता कि इस में मूल धारा का कुछ भी सुधार किया गया है।

बड़ी खुशी की बात है कि कुछ आकस्मिक कारणों से उम्मीदवारों के निवृत्त होने के सम्बन्ध में दिये गये, श्री तंगामणि के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है।

मैं मानता हूं कि इस संशोधन विधेयक के पीछे बड़ी भली भावना है, लेकिन उसकी कार्यान्विति आपत्तिजनक है। इन सभी समस्याओं पर प्रवर समिति द्वारा विचार किया जाना जरूरी है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरे से पूर्व दो वक्ताओं ने विधेयक को प्रथम फरवरी, १९५९ तक जनमत जानने के लिए परिचालित करने के औचित्य का समर्थन किया है। माननीय मंत्री का कहना है अनर्हतावाचक तिथि को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस विधेयक को शीघ्रता से पारित करने की आवश्यकता है। यदि यह ही बात है तो केवल इसी खंड को अभी पारित करके एक व्यापक विधान निर्माण कुछ आगे चल कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं इससे संतुष्ट नहीं और विधेयक को जनमत के लिए परिचालित करने की अपनी बात के पक्ष में तीन चार बातें कहूंगा।

प्रथम बात का सम्बन्ध खंड १५ से है, जिसमें कि धारा ७(घ) की बात आती है मैं इसे मानने को तैयार हूं लेकिन अगर आप अनर्हता हटा रहे हैं तो उसको भूतलक्षी प्रभाव से हटा ये। दूसरी बात यह है कि क्या उपखंड (घ) का इस रूप में संशोधन करके आप समस्त कठिनाइयों पर काबू पालेंग ? मुझे इस में सन्देह है, और इसी क्षण ऐसा कोई प्रारूप भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिससे तमाम पक्षों को सन्तुष्ट किया जा सके। मेरा मत तो यह है कि अनर्हता के सम्बन्ध में निर्णय करने का अन्तिम अधिकार अदालत का होना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो मुझे सन्देह है कि छोटी छोटी बातों पर ही माननीय सदस्यों के चुनाव अवैध हो जायेंगे और वे अपनी सदस्यता से वंचित हो जायेंगे। अतः जहां तक इस (घ) का सम्बन्ध है, मैं इस बात पर जोर देता हूं। मेरा मत है कि इस मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण बात खंड २१ की है, जिसके द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की मृत्यु से सम्बन्धित धारा ५२ को संशोधित किया गया है। मेरे विचार में इसकी कोई सीमा होनी चाहिये। वह यह कि यदि वह नाम वापिस लेने की तिथि से पूर्व मरता है, तभी नये चुनाव का आदेश दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के मरने से बाकी सभी उम्मीदवारों को भी अपना सब कुछ नये सिरे से करना पड़ेगा। उससे हम बच सकते हैं। यदि मतदान के केवल एक दिन पूर्व कोई व्यक्ति मर जाता है तो चुनाव को बन्द नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए ही तो मैं कहता हूं कि विधेयक को जनमत के लिए परिचालित किया जाय अथवा इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय। ये मेरे बड़े लाभदायक सुझाव हैं, जिन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त डाक द्वारा मतदान करने की कठिनाइयों के सम्बन्ध में भी पूरी जांच की जानी चाहिए। इस कारण भी इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का औचित्य सिद्ध होता है।

'पहिचान-पत्रों' से सम्बन्धित उपबन्ध भी बड़ा महत्व पूर्ण है। नगरों में तो यह कार्यान्वित हो जायेगा, परन्तु गांवों में यह नहीं चल सकता। मेरा एक सुझाव और है। हमें चाहिये कि इन पहचान-पत्रों में अन्य सब बातों की सूचना भी हो, जैसे निर्वाचक का नाम, पता, मतदाता-सूची में उसका

---

†मूल अंग्रेजी में

नम्बर, जिस पृष्ठ पर उसका नाम हो उसकी संख्या, उसका निर्वाचन क्षेत्र और केन्द्र आदि। जब हम पहचान-पत्र बना ही रहे हैं तो यह बातें भी उसमें क्यों न दे दी जायें। इससे उम्मीदवार के लिये भी अपनी पर्चियों में इन सब बातों को देना खत्म हो जायेगा। इससे जालसाज़ी के लिये दोहरी बचत हो जायेगी क्योंकि पहचान-पत्र को संभाल कर रखना हरेक का काम होगा।

इस सम्बन्ध में एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 'पहिचान-पत्र' पर आयु नहीं लिखी रहनी चाहिए, इसे केवल गुप्त रूप में अलग रखना चाहिए, इस से भी जाली मतदान का पता चल जायेगा। इसी प्रकार के विभिन्न तरीकों से आप जाली मतदान को रोक सकते हैं। यदि आप केवल नगरों तक ही इन्हें सीमित रखेंगे तो भी एक कठिनाई रहेगी कि बहुत थोड़े समय में आप पहचान-पत्रों में मतदान केन्द्र आदि की सूचना कैसे दे सकेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : श्रीमान् मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसका बहुत लोगों से सम्बन्ध है। इसलिए मेरा विचार है कि इस विधेयक पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए जिससे यह एक प्रभावशाली विधेयक हो जाये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है उन्हें वास्तविकताओं का ध्यान न रख कर प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए इस की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि श्री भरूचा के संशोधन को स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इस का निर्वाचित व्यक्ति, हारे हुए व्यक्ति, मतदाताओं आदि सभी पर प्रभाव पड़ता है। निर्वाचन में निर्वाचकों को भी बड़ी दिलचस्पी होती है और इसलिये उनकी बात को बहुत महत्व मिलना चाहिये और इनके अनुभव का लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि मंत्रालय के पास इतना समय नहीं है कि इसको संयुक्त समिति में भेज सके। परन्तु फिर भी इसका संयुक्त समिति में भेजा जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व मंत्रालय की सलाहकार समिति को सौंपना चाहिए। इस समिति के सदस्य संसद के सदस्य भी होते हैं जिनके सुधारकों का लाभ पहले ही उठाया जा सकता है। इससे मेरा तात्पर्य यह नहं है कि इन सलाहकार समितियों को संयुक्त समिति के समान समझा जाये। परन्तु इस प्रकार मैं समझता हूं कि हमें सभा में विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही सुन्दर सुझाव मिल सकते हैं। मैं समझता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव के या श्री ईश्वर अय्यर के संशोधन को स्वीकार करने में सभा को कोई आपत्ति नहीं होगी।

मेरा यह भी निवेदन है कि चुनाव याचिका के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। याचिका के सम्बन्ध में विधि को स्पष्ट, निश्चित बनाना चाहिए। मैं चुनाव गड़बड़ी के सम्बन्ध में एक समस्या माननीय विधि मंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। लोक-सभा के सदस्य के विधान सभा के कुछ सदस्यों के साथ मिल जुल कर चुनाव में काम करना पड़ता है प्रश्न यह है कि चुनाव व्यय में दोनों का अंश रहना चाहिए अन्य का नहीं? दूसरा प्रश्न है कि चुनाव एजेन्ट किस प्रकार के व्यक्ति बनाये जा सकते हैं? इन सभी बातों की परिभाषा, व्यवस्था आदि इसी विधेयक में की जानी चाहिए।

यह चुनाव याचिकायें अधिकांशत : ज़िला न्यायधीशों को दी जाती है। इनके विरूद्ध मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह लोग अपनी योग्यतानुसार ठीक प्रकार से काम करते हैं। परन्तु फिर भी में समझता हूं कि चुनाव याचिकायें ज़िला न्यायाधीश से उच्च स्तर के पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिसाब किताब रखने की पद्धति पर्याप्त सरल कर दी है। परन्तु फिर भी इसे और सरल किया जा सकता है। क्योंकि सदस्य उस समय चुनाव आन्दोलन में लगे रहते हैं और उस समय निर्धारित रूप में हिसाब रखने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूं हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी के कारण मेरे कुछ मित्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

अब मैं परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र बदलने के सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि हमें इस आयोग के अजीब फ़ैसलों से बचाया जाये तो ठीक रहेगा। कभी कभी, जैसा कि मेरे साथ हुआ, ऐसा होता है कि एक व्यक्ति यह समझता है कि उसका एक निश्चित निर्वाचित क्षेत्र है। परन्तु अगले दिन उसको पता लगता है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया गया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र होशियारपुर था जिसको परिसीमन आयोग ने इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा कि मेरे लिए उसमें कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। मैं यह भी चाहता हूं कि चुनाव पंजीयन पदाधिकारी तथा सहायक चुनाव पंजीयन पदाधिकारी को न्यायीयिक तथा दण्डाधिकारी के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए अन्यथा संभव है कि लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने में कठिनाई आ जाये।

१९५० के अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर खण्ड १५ रखा जा रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त बातें कहीं जा चुकी है। मेरा अपना मत है कि इसके दूसरे भाग को ठीक प्रकार से नहीं लिखा गया है। इसमें "कार्य" शब्द रखा गया है। परन्तु साहित्य अकादमी द्वारा किसी पुस्तक का अनुवाद कराना अन्यथा कोई रिपोर्ट लिखना, आदि काम भी 'कार्य" शब्द के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि "कार्य" तथा 'सरकार' दोनों शब्दों की परिभाषा पूरी तरह की जानी चाहिए।

पहचान-पत्रों आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मेरा अपना विचार है कि पहचान-पत्र और फ़ोटो आदि की व्यवस्था नहीं रखी जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों को ही लीजिए। बहुत से व्यक्ति परीक्षाओं में प्राइवेट विद्यार्थी बन कर बैठते हैं। लेकिन फ़ोटो और पहचान-पत्र दोनों पर भी जाली लोग परीक्षाओं में बैठते ही हैं जिनका पता नहीं लग पाता है। जब इतने थोड़े लोगों में भी जालसाज़ी चलती है तो जहां करोड़ों लोगों का मामला है, वहां इससे कैसे बचा जायेगा।

खण्ड ३४ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें दिया है कि उम्मीदवार, उसके एजेन्ट अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा भेंट आदि देने अथवा देने का वादा करने पर उम्मीदवार अनर्ह हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि लोक सभा के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के ४००,५०० एजेन्ट होते हैं। वह सब को जानता भी नहीं है। इसके अतिरिक्त 'अन्य किसी व्यक्ति' शब्द के कारण अन्य लोग, इसके विरोधी उसको फंसाने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से इस खण्ड को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। इन सभी बातों पर पुन : विचार करने की आवश्यकता है जिससे अधिनियम में इन्हें ठीक प्रकार से उपबन्धित किया जा सके।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** वर्तमान विधेयक बड़ा उलझन वाला विधेयक है क्योंकि इसका सम्बन्ध कई अधिनियमों की धाराओं से है। यह अधिनियम १९५०, १९५१ तथा १९५६ के हैं। हमें आशा थी कि माननीय मंत्री इन सभी अधिनियमों का निरसन करके एक विस्तृत अधिनियम प्रस्तुत करेंगे। इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर मैं ने इसको प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उदाहरणतः १९५६ के द्वितीय संशोधन की धारा ५ में त्रिपुरा तथा मनीपुर के मुख्य आयुक्त से सम्बद्ध परामर्शदात्रों को परिषद् के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं थी। मैं समझता हूं कि अब इस प्रबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि खण्ड ११, १५, १६, १७, १९, २३, २५, ३२, ३५ तथा ३४ ऐसे खंड हैं, जिनको स्पष्ट किया जाना चाहिये। खण्ड ११ में झूठ घोषणाओं के लिये दण्ड की व्यवस्था है कि उन को एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा तथा जुर्माना देना होगा। मैं चाहता हूं कि जुर्माने की अधिकतम राशि इस में निर्धारित की जानी चाहिय और एक वर्ष के कारावास के स्थान पर छः महीने के कारावास की व्यवस्था रखी जानी उचित होगी।

खण्ड १६, १७ तथा १८ ठेकों के सम्बन्ध में हैं। इसमें कुछ ठेकों को अनर्हतादायक माना है। मैं चाहता हूं कि सभी ठेकों को, चाहे वह कुछ दिनों के हों अथवा महीनों के, अनर्हतादायक माना जाना चाहिये।

खण्ड २३, १९५१ के अधिनियम की धारा ५६ के सम्बन्ध में है। इस के द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिये आठ घंटे की व्यवस्था रखी गयी है। परन्तु परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिये भी समय निश्चित किया जाना चाहिये।

खण्ड २५ पहचान-पत्र लागू करने के संबंध में है। मैं समझता हूं कि देहाती मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण वहां पर इसको लागू करना संभव नहीं होगा। इसलिये इस योजना की क्रियान्विति के लिये और विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिये। खण्ड ३२, ३३ के द्वारा जमानत की रकम को वापस लेने के लिये आवेदन-पत्र भेजने का समय छः महीने से एक वर्ष किया जा रहा है। मुझे इस का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

खण्ड ३४ के द्वारा धारा १३३(१) का संशोधन किया जा रहा है। इसमें रिश्वत लेने के लिये दण्ड की व्यवस्था रखी जा रही है। परन्तु मैं चाहता हूं कि इस की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिये और कठोर अधिनियम बनाया जाना चाहिये।

हमारी चुनाव व्यवस्था इस प्रकार की है जिस के द्वारा अल्पसंख्यकों की सरकार बनाई जा सकती है। कांग्रस को ही लीजिये पिछले चुनाव में इस को ४५ प्रतिशत मत मिले परन्तु फिर भी यह सत्तारूढ़ है। हमें इसलिये इस प्रकार की पद्धति अपनानी चाहिये जिस से संसद् में तथा विधान सभाओं में प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त मतों का पता लग सके। मैं देखता हूं कि चुनाव आयोग तथा अन्य कार्यपालक आदेशों द्वारा बड़े विभेदपूर्ण नियम बनाये जाते हैं।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत चुनाव आयोग ने तीन दलों को मान्यता दी है तथा स्थायी चुनाव चिह्न दिये हैं। इस से इन तीन के अलावा अन्य दलों को बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक दल के दो सदस्य, जिन में एक सामान्य तथा दूसरा रक्षित सीट के लिये हो, एक चुनाव चिह्न नहीं रख सकते हैं। इस के अतिरिक्त इस व्यवस्था के अनुसार दलों को मान्यता भी निष्पक्षता से नहीं दी जा सकती है। मेरा तो अपना विचार है कि संविधान के अनुच्छेद १४ के अधीन तथा अनुच्छेद ३२६ के अधीन यह व्यवस्था अवैध हो जाती है। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये जिस से इस के सम्बन्ध में पूरी जांच की जा सके।

श्री राम कृष्ण : सभापति जी, जो मेरा मोशन है उस का मतलब यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये, जैसा कि मेरे से पहले बहुत से आनरेबल मेम्बरान ने भी इस तरफ ध्यान दिलाया है। इस बिल में बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो कि बहुत अहम हैं और उन को ऐडाप्ट करने से जो मौजूदा एक्ट है उस के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं खास तौर पर चन्द अमेंडमेंट्स की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सब से पहले खण्ड नम्बर १५ है। यह अमेंडमेंट भी बहुत जरूरी है। इसी तरह खण्ड नम्बर ३४ है जिस के बारे में मेरे से पहले एक आनरेबल मेम्बर ने भी ध्यान दिलाया था। इस क्लाज को एडाप्ट करने से यह असर होगा कि इलैक्शन पिटीशन फायल करने के लिये बहुत आसान तरीका बन जायेगा और आसानी से पिटीशन फाइल हो सकेगी। इसलिये यह जरूरी है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रेफर किया जाये।

इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि बहुत से जो ओरीजनल ऐक्ट (मूल अधिनियम) के अन्दर सेक्शन्स हैं उनको अमेंड किया जाना मैं बहुत जरूरी समझता था। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आनरेबिल डिप्टी मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि यह बिल कम्प्रीहेंसिव नहीं है। इसलिये मैं अर्पील करूंगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रेफर किया जाये ताकि और दूसरे अमेंडमेंट्स भी लाये जा सकें।

सब से पहले मैं ओरीजनल एक्ट के सेक्शन ८५ की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सैक्शन में दर्ज है कि धारा ८१, ८३ अथवा ११७ के उपबंधों के अनुसार यदि काम नहीं किया जायगा तो चुनाव आयोग याचिका को खारिज कर सकता है। मैं सीधा सवाल आनरेबल मिनिस्टर से करता हूं कि आज तक कितन पिटीशन डिसमिस किये गये। मेरी जहां तक इन्फारमेशन है, इस सेक्शन के तहत कोई भी इलैक्शन पिटीशन डिसमिस नहीं की गयी, जिस का नतीजा यह हुआ कि तमाम पिटीशन इलैक्शन ट्राइबुनल को रेफर कर दी गयीं। जब कि वर्ड "में" के बजाय "शैल" यूज किया गया है तो क्या कारण था कि उन पिटीशन्स को डिसमिस नहीं किया गया। इस से क्या हुआ? गवर्नमेंट का काफी नुकसान हुआ। बहुत से ट्राइबुनल मुकर्रर करने पड़े। जो पिटीशन फाइल होने के एक महीन या दो महीने के अन्दर अन्दर डिसमिस होने चाहियें थे, हो सकता है कि उन में से बहुत से पिटीशन्स के मुताल्लिक अब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही हो रही हो। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सैक्शन को भी अमेंड करने की जरूरत है ताकि जो भी पिटीशन इन क्लाजेज के तहत पूरा न हो उस को डिसमिस किया जा सके।

इस के अलावा, जहां तक इलैक्शन ट्राइबुनल को एपाइंट करने का ताल्लुक है, इस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस राय से मुत्तफिक नहीं हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज को इलैक्शन ट्राइबुनल मुकर्रर किया जाय। इस के दो कारण हैं। आप ने यह तो कहा है कि जो भी पिटीशन फाइल किया जाय उस का ६ माह के अन्दर अन्दर फैसला हो जाय। मैं मालूम करना चाहता हूं कि अब तक कितने एसे पिटीशन हैं जिन का फैसला ६ माह के अन्दर हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जज को एपाइंट करने से टाइम काफी लगता है क्योंकि उस के पास पहले से काफी से ज्यादा काम रहता है। इसलिये वह पिटीशन्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरे वह जानता है कि जो केसेज वगैरह करने का उस को क्रेडिट मिलता है उस में इलैक्शन पिटीशन का काम शामिल नहीं होता। इसलिये भी वह उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं किसी खास जज या किसी इलैक्शन ट्राइबुनल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वे स्टेट गवर्नमेंट के इम्पलुएंस में होते हैं जिस से कि इलैक्शन पिटीशन का फैसला कई हालात में ठीक तौर पर नहीं होता। इसलिये इस सैक्शन को भी अमेंड करने की जरूरत है। इस मकसद के लिये मैं ने एक बिल भी पेश किया हुआ है : उस में और भी बहुत से सेक्शन्स को अमेंड करने का जिक्र किया गया है।

इस बिल में सैक्शन ५५ ए को एक क्लाज के जरिये डिलीट कर दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब से सेक्शन ५५ ए रखा गया था तब से उस की वजह से इलैक्शन के अन्दर भी बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो गयी थीं और जो इन्तिजाम करने वाले थे उन को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यह तजवीज बहुत अच्छी है। मैं इस की ताईद करता हूं।

लेकिन इस के साथ साथ और भी बहुत से सेक्शन्स हैं जिन का मैं ने अभी जिक्र किया। उन को अमेंड किया जाना जरूरी है और वह तभी हो सकता है जब कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये। मैं इस बात को मानता हूं और मेरा यह ख्याल है कि यह बिल बहुत अहम है। इस का असर तमाम देश के लोगों पर पड़ेगा। हम जितने भी यहां चुन कर आये हैं उन को काफी तजुर्बा है कि इलैक्शन्स के अन्दर क्या क्या खास दिक्कतें आ ती हैं। इस अपने पिछले तजुर्बे की बिना पर आज हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि इस बिल को अमेंड कर के उन दिक्कतों को दूर करें। इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस बिल की अहमियत बहुत कम है या इस को सिलैक्ट कमेटी को रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें तभी हो सकती हैं जब इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये ताकि वह जब नया बिल पेश करे तो वह ज्यादा कम्प्रीहेंसिव और एग्ज्हास्टिव हो।

मैं ने इस के बारे में इतना ही कहना था।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : इस विधेयक के द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किये जा रहे हैं। इसलिये इस को प्रवर समिति को सौंपना चाहिये। खण्ड ९ के द्वारा चुनाव पंजीयन पदाधिकारी को बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं। जिन की अच्छाई तथा बुराई के बारे में जांच की जानी चाहिये।

खण्ड ११ के द्वारा मतदाता को एक वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने का दंड देने की व्यवस्था की गई है। इस में मतदाता के लिये, मेरे विचार से, अधिक दण्ड की व्यवस्था की गई है। पदाधिकारियों के लिये, जोकि सभी विधियों के ज्ञाता होते हैं, केवल ५०० रुपये जुर्माने का दण्ड है जब कि अनपढ़ मतदाताओं के लिये एक वर्ष की सजा अथवा जुर्माना रखा जाना अनुचित है। मेरा विचार है इस खण्ड को इस में से निकाल देना ठीक होगा।

१९५१ के अधिनियम की धारा ७ में यह व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति यदि सरकार अथवा किसी संस्था से कोई ठेका लेता है तो वह उस के लिये अनर्हता हो जायेगी। इस प्रकार निगमों तथा समवायों के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक होना भी अनर्हता होती है। परन्तु इस संशोधन के द्वारा यह समवायों और निगमों के निदेशकों के लिये अनर्हता नहीं रह जायेगी। अभी हाल में ही संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पारित किया गया है जिस के अनुसार यह निदेशक संसद् सदस्य नहीं हो सकेंगे। इसलिये मेरा विचार है कि इस खण्ड पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिये।

खण्ड १६ (ख) के द्वारा यह व्यवस्था रखी जा रही है कि सहकारी समितियों को धारा (७) के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिये। परन्तु धारा ८ की उप-धारा (२) को हटा कर हम सहकारी समितियों को इस में शामिल कर रहे हैं। यह बात समझ में नहीं आती, इसलिये इस की जांच होनी भी आवश्यक है।

खण्ड २५ के द्वारा पहचान-पत्र लागू करने की व्यवस्था की जा रही है और तो सब ठीक होगा परन्तु महिला मतदाताओं को इस से बड़ी कठिनाई होगी। इस लिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि शीघ्रता में कोई काम न करें अपितु सभी बातों पर पूर्णतया विचार करने के लिये इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दें।

---

† मूल अंग्रजी में

†**श्री बि० दास गुप्त** (प्रसलिया) : श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देने के बारे में गंभीरता से विचार करेंग यह विधेयक १९५० तथा १९५१ के अधिनियमों में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । यह दोनों अधि नेयम बड़े महत्वपूर्ण हैं इसलिये सदस्यों को इस पर विचार करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये ।

यह संशोधन सरकार तथा चुनाव आयोग के अनुभवों के आधार पर किये जा रहे हैं । परन्तु मेरा मत है कि सरकार को हम संसद् सदस्यों के अनुभवों का भी लाभ उठाना चाहिये और ऐसा तभी संभव होगा जब इस को प्रवर समिति को भेजा जायेगा ।

इस समय मैं मुख्यतया १९५० के अधिनियम, जो मतदाताओं के पंजीयन के बारे में हैं कुछ कहूंगा । इस सम्बन्ध में, मैं अपने कुछ अनुभव बताता हूं । १९५५ के चुनावों में २४ आय-कर आयुक्तों में से केवल ३ का पंजीयन हो सका । जबकि २१ आयुक्तों ने पंजी न के लिये कई बार आवेदन किया । इस के अतिरिक्त सब को मालूम है कि दक्षिण कलकत्ते में गत उपचुनाव में लगभग १२०० मतदाताओं के नाम मतादाताओं की सूची में नहीं थे । बड़ा विवाद हुआ और चुनाव आयुक्त ने विशेष उपबन्ध के द्वारा इन को सूची में रखा । जब कलत्ता जैसे नगर में ऐसा हो सकता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के ८५ प्रतिशत देहाती ल गों का क्या हाल होगा । इस विधेयक में भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से सभी प्रकार की जनता को मतदाता सूची में रखा जा सके ।

मुझे एक और मामले का पता है जिस में राजनैतिक कारणों से मुख्य चुनाव पदाधिकारी तथा चुनाव पंजीयन पदाधिकारी ने इस सभा के भूतपूर्व सदस्य का आवेदन पत्र जान बूझ कर अस्वीकार कर दिया । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रकार के अनौचित्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिस से इन पदाधिकारियों को आवेदन-पत्र के स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के अधिकार न दिये जा कर चुनाव आयोग को यह अधिकार दिये जाने चाहियें ।

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]

मेरा विचार है कि मतदाताओं के पंजीयन के बारे में एक सामान्य उपबन्ध रखा जाना चाहिये तथा यदि मतदाता सूची में एक निश्चित प्रतिशतता मतदाताओं की रह जाये तो पंजीयन पदाधिकारी के लिये दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये ।

पहचान-पत्र की व्यवस्था की जा रही है । मैं समझता हूं कि मतदाता के लिये पहचान-पत्र रखना आवश्यक है । ज्यूं ही किसी मतादात्ता का पंजीयन होता है उस को तुरन्त ही पहचान-पत्र दिया जाना चाहिये । जिस पर मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी हो परन्तु मतदाता सूची में नाम लिखने की व्यवस्था को और सरल बनाया जाना चाहिये । क्योंकि हमारे ८५ प्रतिशत मतदाता अनपढ़ हैं ।

१९५१ के अधिनियम के बारे में मैं केवल चुनाव व्यय का हिसाब रखने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जो उम्मीदवार किसी दल की ओर से खड़े होते हैं उन पर दल भी कुछ धनराशि व्यय करता है जिस का हिसाब रखने के लिये कोई उपबन्ध नहीं बनाया गया है । सरकार को इस सम्बन्ध में भी एक उपबन्ध रखना चाहिये जिस से दल के उम्मीदवार को कोई कठिनाई न हो सके ।

चुनावों में भ्रष्टाचार के बारे में मुझे इतना कहना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व चुनावों में जब हम ने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े थे, भ्रष्टाचार का नाम भी नहीं सुना था परन्तु अब बड़े खेद

---

†मूल अंग्रेजी में

के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बहुत प्रोत्साहन दिया है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और हम नहीं जानते कि इस का देश पर क्या असर होगा। इन सभी बातों पर पूरी तरह विचार करने के लिये विधेयक को प्रवर समिति को भेजना नितान्त आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। गत वर्षों में चुनाव विधि में काफी परिवर्तन हुए हैं। कुछ इधर उधर की जो कमियां रह गई थीं, उन्हें ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है। काफी चुनावों के अनुभव के पश्चात् चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिये, वे विधान के सुधार की दृष्टि से इस विधेयक में सम्मिलित कर लिये गये हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव बिना किसी विघ्न-बाधाओं के होने चाहियें, क्योंकि लोकतंत्र का आधार चुनावों पर ही होता है। अतः मैं चुनाव पंजीकरण अधिकारी को दिये गये अधिकारों तथा जाली मतदान को रोकने के लिये जो उपबन्ध किये गये हैं, उन का स्वागत करता हूं। कई क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है, और इस दिशा में खंड ९ में जो वर्तमान उपबन्ध रखा है, और चुनाव पंजीकरण अधिकारी को जो अधिकार दिये हैं, मैं उन का स्वागत करता हूं। ये अधिकारी सीधे चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं और इन पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों का प्रभाव नहीं हो सकता। खंड ९ के वर्तमान उपबन्ध को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इस के अन्तर्गत उन लोगों को भी सजा दी जा सकेगी जोकि मतदाताओं की सूची में जाली नाम लिखवा देते हैं और इस प्रकार उन की संख्या स्वतः ही कम हो जायेगी।

इसी प्रकार चुनाव में जाली मतदान को हटाने के लिये खंड २५ का उपबन्ध भी आवश्यक है। कई लोग किसी क्षेत्र में न रहते हुए भी वहां की मतदान सूची में अपना नाम लिखवा देते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत काफी है और इसे रोका जाना चाहिये, क्योंकि इस के बिना देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। इन हालात में ही चुनाव आयोग ने 'पहिचान पत्र' का सुझाव दिया है। निस्सन्देह इस में कई एक व्यवहारिक कठिनाइयां हैं लेकिन इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था कर दी गई है कि जब भी किसी चीज को कार्यान्वित करना हो तो चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार होगा। मैं कह नहीं सकता कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत 'पहिचान पत्रों' की व्यवस्था करने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है अथवा नहीं। इस दिशा में सरकार द्वारा नियम बनाने के लिये १९५० के अधिनियम में उपबन्ध किया जाना चाहिये।

†**श्री हजारनवीस** : इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है ; हम इस को नियम बना कर भी कर सकते थे, परन्तु हम ने सदन की अनुमति लेना ही ठीक समझा है।

†**श्री मणियंगाडन** : यदि व्यवस्था है तो ठीक है, आवश्यकता तो इस बात की है कि जाली मतदान को रोका जाय। यह भी कहा गया है कि इस से यह समस्या हल नहीं होगी। हो सकता है कि इस से रोग का पूर्णतः इलाज न हो परन्तु कुछ तो सुधार होगा ही। अतः मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं और मेरा निवेदन है कि इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिये। चुनाव आयोग को इस दिशा में काफी अनुभव है और वह विधान के सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने का पूर्ण अधिकारी है। मैं यह नहीं कह सकता कि हमें उन में परिवर्तन करने का अधिकार ही नहीं है, परन्तु मेरा निवेदन है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, इसे शीघ्र ही पारित कर के कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। जैसी कि व्यवस्था है, यदि जनवरी में कार्य आरम्भ हो गया,

---

†मूल अंग्रेजी में

तो बहुत से कामों को करने में देरी नहीं होगी। अतः मैं पुनः कहता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं और विधेयक को जितनी शीघ्रता से पारित किया जाये उतना ही अच्छा है।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं सब से पहले आप को इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि संशोधनों की सूची में मेरा सब से पहले नाम होते हुए भी, गनीमत है कि अन्त में आप ने मुझे बोलने का थोड़ा सा समय प्रदान करने की कृपा की है।

श्री ब्रज राज सिंह (फीरोज़ाबाद) : अभी तो हम मध्य में ही हैं।

श्री भक्त दर्शन : खैर मैं सदन का अधिक समय न ले कर के कुछ खास खास बातों की ओर ही आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

हमारे माननीय विधि मंत्री महोदय ने प्रायः सदन की सभी दिशाओं से एक ही आवाज़ उठने पर भी कि इस को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, अभी तक इस को स्वीकार नहीं किया है और अभी तक भी वह एक कठोर चट्टान की तरह से डटे हुए हैं। सदन की यह सम्मिलित आवाज़ होते हुए भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ हैं। अब तक जितने भी सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं उन में से केवल एक सज्जन को छोड़ कर जोकि मुझ से पहले भाषण दे रहे थे, सभी ने अपनी यह सम्मति दी है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

मैं माननीय विधि मंत्री महोदय से बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें जो इस सम्बन्ध में जल्दी मालूम पड़ती है वह यह है कि वह यह चाहते हैं कि मार्च के बदले जनवरी में रजिस्ट्रेशन की तारीख निश्चित कर दी जाय। और कोई कारण इस के सिवाय मेरी समझ में नहीं आता है। और जो धारायें हैं या और जो विषय हैं जिन के बारे में कि उन्हों ने संशोधन सुझाये हैं वे ऐसे हैं कि उन पर धैर्य के साथ और शान्ति के साथ विचार किया जा सकता है। केवल यही एक ऐसा विषय है जिस के सम्बन्ध में वह जल्दी चाहते हैं और शायद हमारे चुनाव आयोग ने भी इस सम्बन्ध में सिफ रिश की थी। अतः मैं भी इसी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

जैसाकि मैं ने अपने संशोधन नम्बर २ के द्वारा भी सूचना दी है कि जब इस का संशोधन करना ही है तो जनवरी के बदले एक नवम्बर की इस में तारीख रखी जाय। अब मैं एक नवम्बर की तारीख इसलिये सुझाना चाहता हूं कि सभापति महोदय को और माननीय विधि मंत्री महोदय को भी ज्ञात होगा कि जाड़ों के महीनों में ऊंचे पहाड़ों से बहुत से लोग मैदानों में या तो रोज़गार के लिये या कुछ दूसरे आवश्यक कार्यों के लिये उत्तर आते हैं। मैं अपने ही जिले का उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। मेरे जिले में जो तिब्बत का सीमावर्ती इलाका है वहां के लोग छः महीने नीचे निवास करते हैं और पिछले जो दो चुनाव हुए थे उन में यह बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी कि उन को मतदान में हिस्सा लेने की कैसे सुविधा प्रदान की जाय। इस समस्या को हल करने के लिये अलग से पोलिंग स्टेशन्स बनाये गये थे और तब जा कर के उन से मतदान कराया जा सका था। इसलिये मेरा तो यह सुझाव है कि बनिस्बत जनवरी की जो तारीख रखी गई है, मैं महसूस करता हूं कि उस को न रख कर के एक नवम्बर की तारीख रखी जाये। मैं यह क्यों चाहता हूं इस का एक और भी कारण है। मैं महसूस करता हूं कि मार्च के महीने में हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन के ऊपर कार्य का बड़ा बोझा रहता है। उस समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दिन नज़दीक रहते हैं और उन को काम बड़ी तत्परता से करना पड़ता है। साथ ही साथ काम का जो बोझा है वह उन के कंधों पर जनवरी से ही पड़ना प्रारम्भ हो जाता है और तभी से बढ़ने लगता है। अगर एक

नवम्बर की तारीख स्वीकार की जाती है तब तो इस संशोधक विधेयक को जल्दी स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी तक चुनाव आयोग ने, इलैक्शन कमीशन ने जो फरवरी १९५६ में आम चुनाव हुए थे, उन की रिपोर्ट पेश नहीं की है। जहां तक मेरी जानकारी है सदन के सामने वह रिपोर्ट अभी तक नहीं आई । दो वर्ष पूरे होने को आये हैं और कई बार इस सदन में प्रश्न पूछे गये हैं जिन के उत्तर में सरकार की ओर से यह कहा गया है कि रिपोर्ट तैयार हो रही है । माननीय मंत्री महोदय की ओर से यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से बहुत से सुझाव मिले हैं जिन के आधार पर यह संशोधक विधेयक यहां पर रखा जा रहा है । पता नहीं वे कौन से ऐसे गोपनीय सुझाव हैं, कान्फिडेंशल सुझाव हैं, जिन को कि इस सदन के सामने नहीं लाया जा सकता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक चुनाव आयोग की रिपोर्ट इस सदन के सामने और देश के सामने नहीं आ जाती तब तक इस समस्या पर विचार स्थगित किया जाना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक अधिनियम १९५० का है और एक सन् १९५१ का है और इस विधेयक के द्वारा हम उन में संशोधन करने जा रहे हैं । इतना होने पर भी ये दोनों विधेयक अलग अलग रह जाते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों अधिनियमों को मिला कर एक ही क्यों नहीं बना दिया जाता । अगर इन दोनों को मिला कर एक ही अधिनियम बना दिया जाये तो मैं समझता हूं कि आसानी हो सकती है, सरलता हो सकती है ।

हमारे माननीय मंत्री महोदय ने प्रारम्भ में यह कहा है कि इस विधेयक में कोई भी ऐसा सुझाव नहीं है जोकि विवादास्पद हो, कंट्रोवर्शल हो । लेकिन धारा २१, २२ और २७ के द्वारा जो मूल १९५१ का अधिनियम है उसकी धारा ५५ (ए) को हम संशोधन करने जा रहे हैं । ये धारायें नाम वापिस लेने की तिथि से संबंध रखती हैं । अभी तक यह सुविधा दी गई थी कि नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि के दस दिन तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे हालांकि जमानत जब्त हो जायेगी । पर अब यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है । मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो सुधार किया जा रहा है, वह मेरी समझ में नहीं आता है । यह कहा जा सकता है और कहा भी जायेगा कि इसमें बहुत से लोग रुपया देकर उम्मीदवारों को बिठा देते हैं । कुछ मामलों में ऐसा हुआ होगा, इसे मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोग निश्चित समय के अन्दर नाम वापिस लेते हैं वे रुपये के द्वारा या और किसी व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा समझाने बुझाने के द्वारा वापिस नहीं लेते हैं । जहां तक प्रभाव का प्रश्न है या भ्रष्टाचार का प्रश्न है या धन दे करके या किसी और तरह से फुसला करके बिठा देने का प्रश्न है यह हमेशा रहेगा ।

अभी मेरे एक मित्र जो कि भाषण कर रहे थे उन्होंने हमारे संबंध में बोलते हुये हम पर कुछ आक्षेप किया । मैं सभापति महोदय का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने उन सदस्य महोदय को टोक दिया इस तरह से किसी पर भी आक्षेप करना ठीक नहीं है और मैं चाहता हूं कि खास तौर पर उस पार्टी के संबंध में जिसके हाथ में शासन की बागडोर है, उसके ऊपर इस तरह का गम्भीर लांछन न लगाया जाये । लेकिन मैं चाहता हूं कि गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता हो गई है या नहीं कि क्या हमें अपने चुनाव के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन करने चाहियें या नहीं ? मैं चाहता हूं कि सभी पार्टियों के कर्णधार इस पर गम्भीरता से विचार करें । पिछली दो अग्नि परीक्षाओं से हम निकल चुके हैं । जो लोग सही सलामत यहां पर आकर इस सदन की सदस्यता कर रहे हैं वे अपने नक्षत्रों को धन्यवाद दे रहे होंगे लेकिन जो बेचारे उस अग्नि परीक्षा में असफल हुए हैं उनका भी कुछ

अनुभव है और उनका अनुभव मैं समझता हूं कि वह हम से भी ज्यादा कटु हैं। इस बात की साक्षी मैं समझता हूं कि सभी दल देंगे।

इस वास्ते गम्भीरता से सोचने की जरूरत है कि हमारी जो चुनाव की प्रणाली है इसमें कुछ बुनियादी अन्तर करने की क्या आवश्यकता नहीं है? सभी दलों की ओर से, —शासक दल की ओर से भी —दुर्भाग्यवश ऐसे उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं जिन की योग्यता की उतनी कसौटी नहीं होती या उनके सार्वजनिक जीवन का रिकार्ड उतना नहीं देखा जाता जितना कि यह देखा जाता है कि आया वे जीत सकेंगे या नहीं। उनका जीत सकना ही उनकी योग्यता है। इसी को सब से बड़ी कसौटी माना जाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि केवल कांग्रेस दल के ही नहीं बल्कि जितने भी और दल हैं, जो हमारे कांग्रेस दल की चूंकि उसके हाथ में शासन की बागडोर है, समय-असमय आलोचना भी करते रहते हैं, ऐसे ऐसे उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं जो जातीयता के नाम पर, भाई बिरादरी के नाम पर या रुपये के बल पर चुनाव जीतने में सफल हों। इस वास्ते बड़ी गम्भीरता से इस विषय पर सोचा जाना चाहिये और इस चीज को दूर किया जाना चाहिये। अब जब हम इस पर पूरे तौर से विचार कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिये कि हम कोई ऐसा परिवर्तन भी कर सकते हैं जिसके द्वारा इस तरह की भ्रष्टाचार की घटनायें जो आये दिन होती रहती हैं, न्यूनतम हो जायें। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ऐसा करने के लिये संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाना चाहिये और सभी दलों को मिल कर के उस संशोधन को यहां लाना चाहिये। इस संबंध में मेरा ख्याल है कि केवल पार्टियों के आधार पर सारे देश में चुनाव हों और पार्टियों को अलग अलग से जितने भी मत आयें, परिणामों के हिसाब से उनमें उनको अधिकार दिया जाये कि वे दल ही प्रतिनिधियों को असैम्बली की सीटों के लिये या संसद् के लिये अपने आदमी नामजद कर दे। यदि ऐसा किया गया तो चुनाव का जो खर्चा है वह भी बहुत कम हो जायेगा, और नाममात्र को रह जायेगा। दूसरे जो इस समय व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा चलती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का बाजार गरम रहता है, चुनाव के दौरान में जो पये व्यय होते हैं, जो गन्दगी फैलाई जाती है ये सब चीजें प्रायः समाप्त हो जायेंगी। चूंकि यह बड़ा लम्बा विषय है, इस-लिये मैं अधिक नहीं जाना चाहता। इसका मैंने इस वास्ते उल्लेख किया है कि यह भी एक विचार-धारा हमारे देश के अन्दर आ सकती है और इस पर गवनमेंट को और सभी दलों को बड़ी गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

अन्त में, सदन का और अधिक समय न लेते हुये मैं, माननीय विधि मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो चारों कोनों से आवाज उठ रही है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, इस पर वह विचार करें और थोड़ा सा और समय इस सदन को और देश के निवासियों को दें ताकि वे इस पर और विचार कर सकें, इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि जब तक और माननीय सदस्यों के भाषण समाप्त होंगे तब तक हमारे विधि मंत्री महोदय का दृष्टिकोण भी बदल चुका होगा।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का ताल्लुक है, मैं कोई मजबूत विचार नहीं रखता। इसको उसके सुपुर्द किया जाये या न किया जाये, इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि मैंने देखा है कि इस बिल के अन्दर ३७ धारायें हैं, ३७ क्लाजिज़ हैं, जिनमें से मुश्किल से पांच छः धारायें ही ऐसी हैं जिन के ऊपर कुछ दोस्तों को आपत्ति है।

अभी श्री भक्त दर्शन ने एक नई आपत्ति बताई लेकिन मेरे ख्याल में इस सदन के अन्दर बहुत सारे माननीय मित्र इस बात में सहमत हैं कि चुनाव से दस दिन पहले तक जो नाम वापिस लेने का सिलसिला है, यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि उम्मीदवार आमतौर से चाहे उसमें करप्शन हो, खराबी हो या न हो, बजाय इसके कि मतदाताओं के पास जायें, आपस में चक्कर लगाते रहते हैं और उस उम्मीदार और चुनाव लड़ने वाले को यह भी पता नहीं होता कि किस के खिलाफ मुझे लड़ना है और किस ने बैठना है और न ही मतदाताओं को पता होता है। मुझे ताज्जुब है कि श्री भक्त दर्शन जो कि एक पहाड़ी इलाके से आते हैं जहां पर कि मतदाताओं के पास दस दिन से यह खबर भी नहीं पहुंच सकती कि कौन कौन उम्मीदवार हैं, वे इस बात के क्यों हक में हैं ? इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई बहुत ज्यादा दो, तीन राये नहीं हो सकतीं अलबत्ता बाक़ी दो, तीन बातें हैं जिन पर कि एक राय नहीं है। अगर मंत्री महोदय यह चाहते हों कि यह बिल प्रवर समिति के पास न जाय तो मैं कहूंगा कि उन चार, पांच को छोड़ कर बाकी को पास कर दीजिये। ३७ बिल्स की कलाजों में ५, ७ को छोड़ दीजिये बाकी ३० के करीब तो आपके आसानी से पास ही हो जायेंगे।

जो विवादास्पद हैं उन पर पुनर्विचार करने के लिये जैसा कि सुझाव दिया गया है, सदन् के माननीय सदस्यों की एक एनफार्मेल कमेटी बैठ जाय और वह दो, तीन या चार दिन के भीतर रोजाना अच्छी तरह से सोच विचार करके उन पर फैसला कर ले। मैं तमाम विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये बहुत मजबूत विचार नहीं रखता क्योंकि हमने अनुभव किया कि दूसरे बिल के सिलसिले में किया पिछले कई महीनों में जो १३०० कमेटियां देखीं गईं, उन कमेटियों में कुछ को जोड़ा गया, कुछ को छोड़ा गया लेकिन जो कमेटियों की इस सदन के अन्दर रिपोर्ट आईं, उनकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि चन्द एक दोस्तों को छोड़ कर कोई बहुत सारे माननीय मित्र एक मत के कमेटी में हो सके हों, मैंने नहीं देखा। किसी न किसी कमेटी को किसी न किसी कमेटी पर आपत्ति थी। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री उस रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं ? वे एक अजीब रास्ते पर चलना चाहते हैं। एक तरफ तो जो सरकारी कारखाने हैं, उनमें माननीय सदस्यों के मेम्बर्स होने के ऊपर एक जगह पाबन्दी लगाई है और उनको गैर-कानूनी करार दिया है और यह प्रोवाइड किया है कि वे मेम्बर रह नहीं सकते अगर वह उन कारखानों की प्रबन्ध कमेटियों के मेम्बर हों और दूसरी तरफ यहां पर इस क्लाज़ में इसको ढीला किया जा रहा है। इसके अलावा हम जो इस देश में एक समाजवादी ढंग का सामाजिक ढांचा बनाना चाहते हैं तो उस हालत में कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर जो पहले पाबन्दी नहीं थी, उसको जो हम अब जोड़ने जा रहे हैं, वह कहां तक उसके साथ मेल खाती है। इन दो, तीन चीजों को अगर इकट्ठा मिला कर देखा जाय तो प्राइवेट सैक्टर का कुछ दबाव मालूम देता है। मेरी समझ में यह सही नहीं है।

जब हम इस देश के अन्दर समाजवादी ढंग का सामाजिक ढांचा स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं, तो हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का और पबलिक सैक्टर के अन्दर जितने कारखाने हैं, उनका कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिये मेम्बरों का सहयोग हमें लेना है। उसके साथ ही साथ जो प्राइवेट सैक्टर हैं उसे हमें कोई बन्द तो नहीं करना है लेकिन साथ ही उसे कोई बढ़ावा नहीं देना है। अब अगर इस बिल की धाराओं को हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि यह एक तरह का उनको बढ़ावा ही देना होगा। मेरा तो इस संबंध में कहना है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लाइसेंस होल्डर्स पर ही नहीं बल्कि जो भी किसी किस्म का लाइसेंस रखते हैं अथवा जो कारखाने चलाने का लाइसेंस रखते हैं, उन पर सरकार को पाबन्दी लगानी चाहिये क्योंकि आज जो कंट्रोल्ड एकोनामी है उसका उनको किसी न किसी ढंग से सरकार से फायदा होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिसके पास इम्पोर्ट लाइसेंस हो, एक्सपोर्ट लाइसेंस हो अथवा कारखाना चलाने का

लाइसेंस हो, उनके ऊपर भी पाबन्दी लगे और उनसे संबंधित व्यक्ति सदन के मेम्बर न बन सकें ताकि इस देश के अन्दर प्राइवेट सैक्टर जो काफी मजबूत है, उस का असर इस सदन के ऊपर न रहे और सदन के सदस्य बिलकुल एक इमपार्शिएल वे में सोच विचार करके देश के लिये नीति निर्धारित कर सकें ।

इसके अलावा जहां तक रेज़िडेंस की जो क्वालिफ़िकेशन की गई हैं, अगर हमने उसको वैसा ही मंजूर किया तो हम अफ़सरों के हाथों में खलेंगे । इस सिलसिले में मुझे पंजाब का एक वाक़या याद आता है । सर सिकन्दर हयात खां जो ज्वांएट चीफ़ मिनिस्टर बने थे, उनका नाम एलेक्टोरल लिस्ट में दर्ज नहीं था क्योंकि पटवारी उनसे नाराज़ था । इसी तरह से डा० काटजू का नाम भी लिस्ट में दर्ज नहीं था । बात साफ है । आपके सदन की यहां बैठकें होती हैं । हम लोगों के नाम यहां मकान एलोटेड है । सात, आठ महीने हमको यहां रहना है तो मुझे मालूम नहीं कि आया यह ७००, ७५० मेम्बर्स को कोई मतदाता उनके हलकों में बनायेगा या नहीं बनायेगा । मैं मानता हूं कि शायद दिल्ली का एक मतदाता होने के नाते भी मुझे रोहतक में खड़ा होने का मौका मिले लेकिन सवाल साफ है कि जब हमने हलकाबन्दी की है तो हर हलके वाले के दिल में यह ख़याल होता है कि मुझे उसी आदमी को अपना नुमायन्दा बना कर भेजना है जो उस हलके का रहने वाला हो । अब आसाम का भाई अगर पंजाब आये और पंजाब का भाई अगर आसाम जाय तो यह कुदरती बात है कि हम लोगों के जो दुःख हैं, उनको इस सदन के सामने नहीं रख सकेंगे. . . .

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : बिहार में तो बाहर से आसाम और बम्बई से आकर लोग मेम्बर होते हैं ।

चौ० रणवीर सिंह : बिहार के लिये तो ठीक हो सकता है क्योंकि बिहार के ही हमारे राष्ट्रपति हैं और वहां का कोई सदन का मेम्बर रहे अथवा नहीं, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन पंजाब का हरियाना का गरीब हिन्दी रीज़न, जिसकी कि आज कोई सुनवाई नहीं है, अगर बद-किस्मती से वहां कोई बिहार का आ गया तो उस हालत में हम क्या करेंगे । मुझे तो अपने पंजाब से ताल्लुक है, बिहार से मुझे कोई झगड़ा नहीं है । हां, तो मैं कह रहा था कि यह जो आप पाबन्दी लगाना चाहते हैं, यह कोई सही पाबन्दी नहीं है ।

आपने इसमें यह प्राविजन ठीक ही रक्खा है कि वह अफ़सर अगर कोई गलती करेगा तो उसको सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है । आखिर यह चीज जायगी उस अफसर के पास और वह कह देगा कि गलती रह गई और उस गलती को क्लैरिकल मिस्टेक मान कर उस अफसर को छोड़ दिया जायगा । मुकदमा एलेक्शन कमिशन की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता और उस बेचारे गरीब आदमी का जो कि चुनाव में खड़ा होना चाहता है उसका हक मारा जायगा और जो हक खड़े होने का उसे संविधान ने प्रदान किया है उसके उस हक को एक पटवारी छीन सकेगा या अन्य छोटे अफसर भले ही वह मजिस्ट्रेट भी क्यों न हों, नायब तहसीलदार ही क्यों न हों, वे उसको उस हक से महरूम कर सकेंगे और इस वास्ते यह कोई अच्छी कानूनी व्यवस्था नहीं की जा रही है । सरकार के कुछ आदमियों का जो कि पावर में हों, उनकी नीयत अगर बदल जाय तो वे यह कर सकते हैं कि उनको वोटर न बनने दिया जाय और उस हालत में फिर कौन एलेक्शन कमिशन के पास जायेगा । तो यह उनके दिल में एक खदशा हो सकता है और हमारे कुछ विरोधी पक्ष के लोग इस बात के नाम पर एलेक्शन लड़ सकते हैं कि हम कांग्रेस वाले लोग एलेक्शन के कानून को इतना

सख्त करते जा रहे हैं कि दूसरी पार्टीज़ के लोग चुनाव में आ ही न सकें और उनको चुनाव लड़ने का मौका ही न मिल सके, यह एक हमारी सरकार के खिलाफ हमारे विरोधी लोग इलजाम लगा सकते हैं।

आइडेंटिटी कार्ड की बात तो मैं समझ सकता हूं हालांकि फोटो लगाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आयी। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन एक या दो दिन में खत्म हो जाये तो उसके लिये यह जरूरी है कि सरकारी तौर पर आइडेंटिटी कार्ड देने का इन्तिजाम किया जाये। मैं यह नहीं मानता कि इससे कोई ऐसा फर्क पड़ेगा कि वोटर एक से ज्यादा जगह जाकर वोट दे सकेगा अथवा नहीं। जब एक दो दिन में ही इलेक्शन खत्म होने वाले हैं तो इस बात का ज्यादा इमकान नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी हमारे यहां गुड़गांव में चुनाव हुआ। वह चुनाव दो दिन में खत्म होने को था। एक एक दिन के लिये दो दो सौ तीन तीन सौ पोलिंग बूथ्स का इन्तिजाम करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी खासी बड़ी पार्टी है जिसकी कि पंजाब में हुकूमत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इतने ज्यादा पोलिंग बूथों पर परची काटने का इन्तिजाम नहीं कर सकी। और मेरे सामने यह वाकया आया कि कुछ हरिजन वोटर आये। पर वहां कांग्रेस की तरफ से परची काटने का इन्तिजाम नहीं था। वहां पर दूसरी पार्टी वालों का इन्तिजाम था। उन्होंने उन वोटरों से कहा कि अगर तुम ईमान धरम से यह कहो कि हम कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे तो हम तुम को परची दे सकते हैं। जब मैं उस गांव में गया तो उन्होंने मुझे यह बात बतलायी कि अब इलेक्शन का यह नया तरीका निकला है कि हम को परची देने से पहले वोट का वायदा लिया जाता है। पहले तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी और मैंने कहा कि यह नहीं हो सकता लेकिन बाद में मेरी समझ में यह बात आ गयी। मुझे बाद को पता लगा कि वहां पर कांग्रेस का कैम्प ही नहीं था और दूसरी पार्टी का कैम्प था। खैर मुझे उनसे इसके लिये कोई गिला नहीं है।

अब जो हम कानून बना रहे हैं उसके अन्दर पार्टी का नुमायन्दा होना जरूरी नहीं है। जिस आदमी की कोई भी पार्टी नहीं है उसको भी हम इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहते हैं। तो हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिये कि वह भी मुकाबला कर सके और कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्वालीफिकेशन की वजह से उसको नुकासन न हो। तो मैं आइडेंटिटी कार्ड को तो जरूरी समझता हूं क्योंकि हमारा बड़ा देश है। लेकिन अगर यह चीज सिर्फ शहरों के ही लिये है तो गलत है। शहरों में तो लोग कुछ जानते भी हैं। दिक्कत तो गांवों में होती है जहां पटवारी परची नहीं देता। जहां तक आइडेंटिटी कार्ड का ताल्लुक है यह बहुत जरूरी है। लेकिन वह सारे देश के लिये जरूरी है। यह सिर्फ शहरों का सवाल नहीं है।

दूसरी बात जो मैंने पहले कही वह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के साथ जो कन्ट्रेक्ट होता है वह डिस्क्वालीफिकेशन नहीं होना चाहिये।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभापति महोदय....

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[बुधवार, १० दिसम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९३६–५८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
७७६	१५ करोड़ डालर का अमरीकी ऋण	१९३६–३८
७७७	प्रादेशिक सेना	१९३८–४०
७७८	परीक्षा प्रणाली	१९४०–४२
७७९	पंचम अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	१९४२
८०७	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	१९४३–४६
७८०	गुमनाम शिकायत	१९४६–४७
७८१	इस्पात का उत्पादन	१९४७–४९
७८२	कानपुर में उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था	१९४९–५१
७८३	संस्कृत शिक्षा	१९५१–५३
७८४	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक कांफ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट	१९५३–५५
७८५	बोकारो कोयला खानों में जल संभरण	१९५५–५६
७८६	विकलांग बच्चों के लिये स्कूल	१९५६–५८
७८७	प्रादेशिक परिषद् के कर्मचारी	१९५८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१९५८—
	तारांकित प्रश्न संख्या	
७८८	कोलम्बो योजना के अधीन सहायता	१९५८
७८९	रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये किराये पर सामान लेना	१९५८–५९
७९०	वस्तुओं का पुनः आयात तथा पुनः निर्यात	१९५९
७९१	जीवन बीमा निगम	१९५९
७९२	भारत का राज्य बैंक	१९५९–६०
७९३	लंढौर छावनी	१९६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७९४	वेलजियम से रोलों का क्रय	१९६०
७९५	इण्टरपोल की महासभा	१९६१
७९६	नेपाल के हवाई अड्डों का सर्वेक्षण	१९६१
७९७	शिवसागर में तेल के लिये छिद्र करने का कार्य	१९६१-६२
७९८	आदिम जाति कल्याण	१९६२
७९९	लाइब्रेरियन	१९६२
८००	बौध राज्य की गद्दी का उत्तराधिकार	१९६२-६३
८०१	आदिम जाति कल्याण संबंधी केन्द्रीय परामर्श बोर्ड	१९६३
८०२	त्रिपुरा परिषद्	१९६३
८०३	गेहूं और चावल का चोरी छिपे ले जाना	१९६४
८०४	दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्य	१९६४
८०५	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस	१९६४-६५
८०६	मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारी) अधिनियम, १९५६	१९६५
८०८	केरल के उच्चन्यायालय के लिये न्यायाधीश	१९६५
८०९	त्रिपुरा में बाढ़ और तूफान	१९६५-६६
८१०	कुलटी का कारखाना	१९६६-६७
८११	सैनिक पदाधिकारियों के वेतन-क्रम	१९६७
८१२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परीक्षा के पूर्व पढ़ाई की व्यवस्था	१९६७
८१३	राजभाषा	१९६८
८१४	पश्चिमी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था	१९६८
८१५	एम० ई० एस० निर्माण समिति	१९६८
८१६	संस्कृत आयोग	१९६८-६९
८१७	नई दिल्ली के सैनिक कैण्टीन में चोरी	१९६९
८१८	तूलिका चित्रों की प्रदर्शनी के बारे में ललित-कला अकादमी की गोष्ठी	१९६९-७०
८१९	कोयले का उत्पादन	१९७०
८२०	युद्ध-सामग्री कारखानों में इस्पात का उत्पादन	१९७०-७१
८२१	प्रविधिक संस्थाओं के लिये अध्यापक	१९७१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या

८२२ आसाम और त्रिपुरा के लिये संयुक्त वित्त निगम . १९७१

८२३ विदेशी बढ़ई १९७२

८२४ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां . . . १९७२

८२५ दिल्ली में लड़कियों से छेड़छाड़ १९७३

८२६ दिल्ली नगर निगम अधिनियम . . १९७३

८२७ प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक . . १९७३-७४

८२८ विदेशों में भारतीय नरेश . . १९७४

८२९ प्राविधिक और प्रशासनिक कर्मचारी . . . १९७४-७५

८३० स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये पदों का सुरक्षण . . १९७५

८३१ दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . . १९७५

८३२ हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन . . १९७५-७६

८३३ सिंगारेनी कोलियरी १९७६

८३४ 'स्टैनवैक' द्वारा तेल के लिये छिद्रण . . १९७६-७७

८३५ छोटी भट्टियां १९७७

८३६ अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . . . १९७७

८३७ कोयला खनन सम्बन्धी मशीनरी की खरीद . . १९७८

८३८ सरकरी कर्मचारियों का स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ना . १९७८

अतरांकित

प्रश्न संख्या

११९८ भारत-पाकिस्तान बैंक संबंधी करार . . १९७९

११९९ सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार . . . १९७९

१२०० पंजाब में अस्पृश्यता . . . १९७९-८०

१२०१ माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन . . . १९८०

१२०२ भारत में विदेशी छात्र १९८०

१२०३ नाभिकीय विज्ञान तथा इंजीनियरिंग . . . १९८०

१२०४ दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूल . १९८१

१२०५ जमुना के किनारों से गांवों का हटाया जाना . . १९८१

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२०६ दिल्ली के गैर-सरकारी राज सहायता प्राप्त स्कूल १६८१–८२
१२०७ विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम . १६८२
१२०८ चन्द्रा नदी के ऊपर पुल . . १६८२
१२०९ लाहौल और स्पीती १६८२
१२१० ज्वालामुखी का तेल छिद्रण स्कूल . . . १६८२–८३
१२११ बम्बई में तम्बाकू की खेती १६८३
१२१२ निवृत्ति वेतन . . . १६८३
१२१३ उत्तर प्रदेश में शिक्षितों की बेकारी . . १६८४
१२१४ उड़ीसा की आदिम जातियां १६८४
१२१५ अनुसूचित जातियां १६८४–८५
१२१६ भूतपूर्व सैनिकों के लिये कल्याण संस्था . . . १६८५
१२१७ लोहे की छड़ें १६८५
१२१८ शिवसागर के स्मारक . . . १६८५–८६
१२१९ निवृत्ति वेतन १६८६–८७
१२२० दिल्ली में जल संभरण . . . १६८७
१२२१ "स्टोरी आफ लाइफ़" . . . १६८७
१२२२ हिमाचल प्रदेश में पंचायत घर . . १६८८
१२२३ केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण संस्था . . १६८८
१२२४ आदिम जातियों के ऋण . . . १६८८
१२२५ हिमाचल प्रदेश विधान सभा १६८९
१२२६ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना . . १६८९
१२२७ असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी . . १६८९–९०
१२२८ दोहरे कराधान के बारे में भारत-कनाडा वार्ता . १६९०
१२२९ बहुप्रयोजनीय स्कूल . . . १६९०–९१
१२३० आयकर की बकाया राशि . . . १६९१
१२३१ केन्द्रीय कांच तथा सिरामिक गवेषणा संस्था . १६९१
१२३२ फंड बैंक वार्षिक सम्मेलन १६९१–९२
१२३३ केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था . . १६९२
१२३४ दिल्ली में चो[illegible]तियां . . १६९२–९३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२३५	पश्चिमी बंगाल उड़ीसा विवाद	१९९३
१२३६	स्टेट एसोसियेटिड बैंकों से पूछताछ	१९९३–९४
१२३७	काश्मीर का भूतत्वीय सर्वेक्षण	१९९४
१२३८	रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये संयंत्र तथा मशीनरी	१९९४–९५
१२३९	इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब	१९९५
१२४०	कोयला उत्पादन में लक्ष्य	१९९५–९६
१२४१	केरल विश्वविद्यालय	१९९६
१२४२	कोलम्बो जाने वाले यात्रियों की गिरफ्तारी	१९९७
१२४३	शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का रक्षण	१९९७
१२४४	सोने का चोरी छिपे व्यापार	१९९७
१२४५	भारतीय स्कूल, धनवाद	१९९७–९८
१२४६	अलीपुर तथा कंझावाला ब्लाक	१९९८
१२४७	जामसर जिप्सम खानें	१९९८
१२४८	त्रिपुरा परिषद् के कर्मचारी	१९९८
१२४९	त्रिपुरा प्रशासन	१९९९
१२५०	चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	१९९९
१२५१	प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन	१९९९–२०००
१२५२	रेडियो वाल्व	२०००
१२५३	पाकिस्तानियों का निश्चित अवधि से अधिक ठहरना	२०००
१२५४	विमानों के ढकने के लिये तिरपाल	२०००–२००१
१२५५	शकूरबस्ती में नागरिक सुविधायें	२००१
१२५६	दिल्ली में हाई स्कूल	२००१
१२५७	पश्चिम बंगाल भूमि विकास तथा योजना अधिनियम	२००२
१२५८	प्रिविलेज टिकट आर्डर	२००२
१२५९	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का सर्वेक्षण	२००२
१२६०	अफजलगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती	२००३
१२६१	बहु-प्रयोजनीय स्कूल	२००३–२००४
१२६२	मनीपुर में खेल	२००४
१२६३	मनीपुर में आदिम जाति क्षेत्र	२००४–२००५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२६४ मनीपुर में पिछड़े वर्गों के लिये साक्षरता केन्द्र २००५

१२६५ सेना का फालतू सामान . . . २००५–२००६

१२६६ सिपाही २००६–२००९

१२६७ दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये टेलीफोन . २००९

१२६८ हिमाचल प्रदेश के सम्बद्ध कालेज २००९–१०

१२६९ पंजाब में शिक्षिकों की बेरोजगारी २०१०

१२७० भारत में विदेशी छात्र . . . २०१०

१२७१ दिल्ली में यातायात संबंधी नियम . . २०१०–११

१२७२ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां २०११

१२७३ स्टेनोग्राफरों की परीक्षा . . . २०११

१२७४ मैसूर को लोहे और इस्पात का संभरण . . . २०११–१२

१२७५ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण २०१२

१२७६ मैसूर उच्च न्यायालय २०१२–१३

१२७७ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी . . २०१३

१२७८ पंजाब में राष्ट्रीय छात्र दल . . . २०१३–१४

१२७९ हिमाचल प्रदेश की पुलिस २०१४

१२८० पदोन्नति संबंधी नियम . . २०१४–१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०१५–१६

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये —

(१) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रतिः—

(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में मनीपुर राज्य बैंक लिमिटेड, इम्फाल के कार्य का प्रतिवेदन ।

(२) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे तथा लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन सहित संचालकों का प्रतिवेदन ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(३) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक, नई दिल्ली का जनरल मैनेजर, मनीपुर राज्य बैंक लिमिटेड, इम्फाल को भेजा गया दिनांक १६ जुलाई, १६५८ का पत्र संख्या ५२५/रेप०२/२६५७।

(२) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १६५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(१) हिमाचल प्रदेश गजट अधिसूचना संख्या एच० २८-२४२/५७, दिनांक २१ नवम्बर, १६५८ में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन नियम, १६५७, और तत्संबंधी एक शुद्धिपत्र।

(२) दिल्ली गजट अधिसूचना संख्या एफ० २२(१०)/५४-होम, दिनांक १६ मई, १६५८ में प्रकाशित स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन (दिल्ली) नियम, १६५८।

(३) त्रिपुरा गजट अधिसूचना संख्या एफ० ६ (६)-पी० ड़ी०/५७, दिनांक १८ नवम्बर, १६५८ में प्रकाशित स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन (त्रिपुरा) नियम, १६५८।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २०१६

समिति के लिये निर्वाचन २०१७

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि लोक-सभा के सदस्य, विश्वभारती की संसद् में सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक अतिरिक्त सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित—

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, १६५८ २०१७

विधेयक पारित . . . . . २०१८—३०

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १६५८ पर, ३ दिसम्बर, १६५८ को प्रस्तुत किये गये, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

विषय पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन . . . . . २०३०—५३

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि —

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने तथा प्रवर समिति के सुपुर्द करने संबंधी संशोधनों पर आगे चर्चा, संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसका पारित करना ; रेलवे की १९५५–५६ और १९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा।